MATS UNIVERSITY

NAAC GRADE A+ ACCREDITED UNIVERSITY

MATS CENTRE FOR OPEN & DISTANCE EDUCATION

भारत एक परिदृश्य

बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (बी.ए.)

तृतीय सेमेस्टर

SELF LEARNING MATERIAL

COURSE DEVELOPMENT EXPERT COMMITTEE

1- Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh
2- Dr. Sudhir Sharma , Subject Expert ,HOD Hindi Department, Kalyan College, Bhilai
3- Dr. Kamlesh Gogia Associate Professor, MATS University ,Raipur, Chhattisgarh
4- Dr. Sunita Shashikant Tiwari Associate Professor, MATS University Raipur Chhattisgarh
5- Dr. Rajesh Kumar Dubey , Subject Expert, Principal , Shahid Rajeev Pandey Government College ,Bhatagaon , Raipur ,Chhattisgarh

COURSE COORDINATOR

Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh

COURSE /BLOCK PREPARATION

Surbhi Singh, Asst. Prof. Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh

March, 2025

ISBN-978-93-49916-27-2

@MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-(Chhattisgarh)

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-(Chhattisgarh)

Printed & Published on behalf of MATS University, Village-Gullu, Aarang, Raipur by Mr. Meghanadhudu Katabathuni, Facilities & Operations, MATS University, Raipur (C.G.)

Disclaimer-Publisher of this printing material is not responsible for any error or dispute from contents of this course material, this is completely depends on AUTHOR'S MANUSCRIPT.
Printed at: The Digital Press, Krishna Complex, Raipur-492001(Chhattisgarh)

अनुक्रमणिका

माड्यूल	विषय- भारत एक परिदृश्य	
माड्यूल 1	**भारतीय संस्कृति की पृष्टभूमि**	
	इकाई-1 परिचय एवं विस्तार	**1–7**
	इकाई-2 सिंधु घाटी सभ्यता,वैदिक काल	8-20
	इकाई-3 बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म	**21–46**
माड्यूल 2	**भारत की भूगोल** एवं **जनसंख्या**	
	इकाई-4 **आकार एवं स्थान**	47–50
	इकाई-5 **प्रभाग और पर्वत**	51–54
	इकाई-6 **जनसंख्या वितरण**	**55-57**
	इकाई-7 **भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएँ** एवं **जनसंख्या के चरण**	58–60
माड्यूल 3	**भारतीय संविधान**	
	इकाई-8 संविधान की **प्रस्तावना**	**61-64**
	इकाई-9 संविधान की विशेषताएं	65-74
	इकाई-10 **मौलिक अधिकार**	75-80
	इकाई-11 **मौलिक कर्तव्यों**	81–88
माड्यूल 4	**भारत के महान व्यक्तित्व**	
	इकाई-12 **गांधी: मोहनदास से महात्मा बनने का सफर**	89-92
	इकाई-13 **जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस**	**93-99**
	इकाई-14 **डॉ० राजेंद्रप्रसाद**	**99- 100**
माड्यूल 5	शिक्षा	
	इकाई-15 भारत में शिक्षा का विकास	101-109
	इकाई-16 **भारतीय साहित्य**	110–118

Acknowledgement

The Material (Pictures and images) we have used is purely for educational purpose. Every effort has been made to trace the copyright holders of material reproduced in this book. Sould any infringement have occurred, the publishers and editors apologize and will be pleased to make the necessary corrections in future of this book.

माड्यूल–1

इकाई.1
भारतीय संस्कृति की पृष्टभूमि

जिस प्रकार धषति, क्षमा, दम, अस्तेय, षौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि भारतीय धर्म के आदर्ष किसी वर्ग विषेश के लिये नहीं वरन् सम्पूर्ण मनुश्य जाति के परम कल्याण के लिए हैं। उसी प्रकार जीवन यापन की भारतीय पद्धति भी किसी सम्प्रदाय विषेश से बंधी हुई नहीं है वरन् मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान के ठोस सिद्धान्तों की कसौटी पर कसने के पष्चात् ही विनिर्मित हुई हैं। हमारे परम पूजनीय ऋशि महर्शि रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी, फिर्केबाज न थे, वे बहुत समय तक अनेक दृश्टियों से किसी बात को परीक्षा करने के बाद जब सर्वोपयोगी मान लेते थे, तभी उसे जन साधारण के लिए उपस्थित करते थे। इस प्रकार वे एक ऐसा उपयोगी मार्ग सबके लिए बनाते थे जिस पर चलाने से जीवन यापन में अनेक साँसारिक सुविधाएं सफलताएं प्राप्त होती थीं और आत्मोन्नति का मार्ग प्रषस्त होता जाता था।

हिन्दू धर्म के आचार विचार ऐसे ही हैं। उनका निर्माण मनुश्य जीवन की सुख–सुविधाएं बढ़ाने के लिए विषुद्ध वैज्ञानिक दृश्टि से ही किया गया है। आज उन नियमों में कुछ विकृतियाँ आ गई हैं जिन्हें सुधार कर उसका मूल रूप में उपस्थित करने की आवष्यकता है। साथ ही उन तथ्यों को समझने और समझाने की व्यवस्था न रहने के कारण उन लोगों की जो अरुचि एवं उपेक्षा वषत्ति उत्पन्न हो रही है उसे ठीक करने की आवष्यकता है। यदि हिन्दू जीवनयापन पद्धति के रहस्यों को जन साधारण के समक्ष वैज्ञानिक एवं बुद्धि संगत रीति से तर्क, प्रमाण, उदाहरण के साथ उपस्थित किया जाए तो निस्सन्देह उन महान तथ्यों से हम सब फिर पहले की भाँति लाभाँवित हो सकते हैं।

वर्णाश्रम धर्म को ही लीजिए यह सामाजिक सुव्यवस्था की सर्वोत्तम पद्धति है। हर व्यक्ति दूसरों की सुख–सुविधा का अधिक और अपनी तष्णा एवं सुखेच्छा का कम ध्यान रखे तभी समाज में प्रेम, सहयोग, सद्भाव, सुव्यवस्था और सुख–समषद्धि सम्भव है। यदि हर कोई अपने अपने मतलब को प्रधानता देने लगे और दूसरों की सुविधा का विचार न करे तो समाज में घोर क्लेष और संघर्श उत्पन्न हो जाता है। इस अव्यवस्था से बचने के लिए चार वर्ग बनाये गये। यह कहा गया कि जो द्विज है वस्तुतः वही मनुश्य है। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। एक जन्म जो माता–पिता के रज वीर्य से सभी का होता है वह षूद्र जन्म है। जब मनुश्य गायत्री माता रूपी सद्बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा को, यज्ञ पिता रूपी संयम और त्याग को अपना अभिभावक मान लेता है तब वह द्विज बनता हैं। यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, गुरुदीक्षा नाम से द्विजत्व ग्रहण करने का समारोह संस्कार धूमधाम के साथ होता है ताकि वह व्यक्ति उस प्रतिज्ञा को, लक्ष को, वस्तुस्थिति को भली प्रकार समझें। द्विज का कर्त्तव्य है कि जीवन धारण जितनी वस्तुएं अपने लिये लेकर षेश योग्यता, सामर्थ्य, षक्ति, क्रिया और भावना को समाज की भलाई के लिए लगावें।

ब्राह्मण अत्यन्त तप और त्याग पूर्ण जीवन जीता है। अपना उज्ज्वल आदर्ष ऐसा रखता है जिसमें अन्य वर्ण उसका अनुकरण करके अधिक संयमी जीवन बितावें। वह अपना सारा समय सद्ज्ञान के संग्रह में लगाता है और उस ज्ञान को जनता में बिना मूल्य वितरण करता है। इस प्रकार हर आदमी को लाभ षोध का महान श्रम न करते हुए भी उसका लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वेदों में सन्निहित अनेकों विद्याओं की षोध, उनका प्रकटीकरण, प्रयोग, उपदेष, आदि के द्वारा यह वर्ग जनता की भारी सेवा करने में संलग्न रहता है। दूसरा वर्ण क्षत्रिय है इसका काम है समाज में जो आसुरी तत्व भरें उन्हें न उभरने दें। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, बेईमान, गुण्डे, व्यभिचारी, अन्यायी तत्वों के आतंक से प्रायः हर कोई अलग–अलग होकर आत्मरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यह वर्ण संगठित रूप से अपनी षक्ति को बढ़ाता है और उसका उपयोग केवल अनीति के निवारण और न्याय की रक्षा में करता है। इस प्रकार जनता को दुश्टता के आतंक से छुटकारा पाकर निर्भयतापूर्वक अपने अपने कामों में लगने का अवसर मिलता है। ये क्षत्रिय लोग समाज हित के लिए अपनी जान को हर वक्त हथेली पर रखते हैं और ब्राह्मण के समान ही त्यागी, उदार तथा दयार्द्र भावनाओं से ओत–प्रोत होते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण अज्ञान का, क्षत्रिय अषक्ति का निवारण करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करते हैं। उसी प्रकार वैष्य समाज के अनेक अभावों को दूर करके उनकी आवष्यकताओं का सामान जुटाने में संलग्न रहते हैं। कृशि, गौ रक्षा, वाणिज्य के द्वारा जनता में अन्न, दूध, घी, वस्त्र, औशधि, धातु आदि पदार्थों को जन–जन के लिए उपलब्ध कराने में प्रयत्नषील रहते हैं। षुद्ध, उत्तम, उपयोगी वस्तुएं उचित मूल्य पर जुटाते रहना इनका कार्यक्रम होता है। इस रीति से यदि कुछ धन संग्रह भी हो जाय तो उसे समाज की आवष्यकता के लिए मुक्त हस्त से दान करके अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय से किसी भी प्रकार कम त्यागी सिद्ध नहीं होने देते।

इस प्रकार जो लोग संसार में दुखों के तीन प्रधान कारण अज्ञान, अषक्ति और अभाव को दूर करने के लिए–व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को तिलाँजलि देकर–संलग्न हैं वे द्विज माने गये हैं। ऐसे लोग जिस समाज में भरे हुए हों वह देष निस्संदेह देवताओं का वर्ग होता है। जो लोग उपरोक्त प्रकार के त्याग न कर सकें वे षूद्र ठहराये गये। उन पर भी यह प्रतिबन्ध रहा कि वे अपनी षारीरिक मानसिक षक्तियों को केवल समाज की सेवा में ही लगावे। सेवा ही अपना धर्म माने। इन नियमों से बंधा हुआ चातुर्वण्य निस्संदेह समाज रचना का उत्तम आधार था। आज यह आधार टूट रहा है। लोग अपने कर्त्तव्यों को भूल कर केवल जन्म मात्र से जाति मानने लगे हैं और व्यर्थ ही एक दूसरे से ऊँच–नीच बनते हैं। इन विकृतियों को सुधार करके यदि प्राचीन काल जैसा धर्म, प्रतिश्ठापित हो जाय तो निष्चय ही सब लोग प्रसन्नतादायक स्थिति का रसास्वादन कर सकते हैं। अपने–अपने व्यवसाय को लोग पैतृक परम्परा के साथ पकड़े रहें तो उसमें आसानी से बहुत चतुरता एवं सफलता प्राप्त करके अपनी उत्कृश्टता एवं विषेशज्ञता से राश्ट्र को लाभ पहुँचा सकते हैं। हर पीढ़ी पर पेषा बदलना एक सामाजिक अव्यवस्था का कारण ही बनता है।

आश्रम धर्म ही इसी प्रकार महत्वपूर्ण है। यौवन के समुचित विकास तक ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा होने से षरीर का रक्त माँस, नसें, हड्डियाँ परिपुश्ट होकर रोग निवारिणी और दीर्घजीवन दायिनी षक्ति उत्पन्न हो जाती है। बल, बुद्धि, विद्या, ओज एवं मानसिक और आत्मिक

विकास का पर्याप्त समय मिल जाता है तथा भावी संतति उन्नतिषील होती है। गृहस्थ धर्म में प्रवेष करके समाज के नव निर्माण में अपना महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना भी आवष्यक है। इसके उपरान्त जब आयु ढलने लगे नवीन वीर्य या उत्पन्न होना बन्द हो जाय तो वानप्रस्थ लेकर, घर की जिम्मेदारी बड़े बच्चों को सौंपनी चाहिए और अपनी देख–रेख में ही उन्हें सुयोग्य बना देना चाहिये। साथ ही जीवन के अन्तिम भाग को परमार्थ साधना के लिए तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए। जीवन के चतुर्थ अध्याय में पारिवारिक जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर अपने परिपक्व ज्ञान और अनुभव को जनता में फैलाने के लिये तथा अपनी वासनाओं को परिमार्जित करने के लिए संन्यास ले लेना चाहिए। आयु का यह विभाजन कितना वास्तविक बुद्धिमतापूर्ण एवं उपयोगी है इसका अनुभव वे ही कर सकते हैं जो इसे क्रिया रूप में लाते हैं। आज तो जब तक वासना का उदय नहीं होता तब से लेकर मृत्यु पर्यन्त मनुश्य वासना और तृश्णा में ही कण्ठ तक डूबा रहता है। यह प्रवृत्ति स्वास्थ्य, सुसन्तति, समाज व्यवस्था तीनों ही दृश्टियों से हानिकारक है। यदि यह विकृति दूर हो जाय तो मनुश्य सब प्रकार व्यवस्थित एवं सुविधाजनक बन सकता है।

कृतज्ञता हिन्दू धर्म का प्रधान आचार है। जो भी जड़ चेतन हमारे साथ में उपकार करते हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना। अपनी कृतज्ञता की भावना को किसी न किसी रूप में समारोहपूर्वक अभिव्यक्त करके अपने मन पर उस प्रकार के संस्कारों को सुदृढ़ बनाना हमारे समाज की एक प्रधान विषेशता है। तुलसी, पीपल, आँवला, वट आदि पेड़, गौ, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि पषु, चील, कौए आदि पक्षी ही नहीं पूजे जाते, निर्जीव वस्तुओं में चूल्हा, चक्की, कुआँ, घूरा, कुम्हार का चाक, हल, मूसल, कलम, दवात, रुई, पट्टी, बही, तलवार, तराजू आदि वस्तुओं की पूजा समय–समय पर होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस भी जीवों या वस्तुओं से हमें सहायता मिलती है उनके लिए हम कृतज्ञ होते हैं, उनका उपकार मानते हैं। यह भावना यदि स्थिरता पूर्वक मन में जम जावे तो मनुश्य अपने को समाज का ऋणी समझे और उस ऋण को चुकाने के लिये प्रत्युपकार के लिए उत्तम कार्य ही करता रहे। जीवित गुरुजनों की सेवा सुश्रूशा, चरण वन्दन तथा स्वर्गीय पितरों का श्राद्ध तर्पण, सन्तानों की कृ तज्ञता के प्रतीक हैं। इनसे एक ऐसी भावना की पुश्टि होती है जिससे नई सन्ततियाँ पितष्भक्त बनती हैं। आज तो इनकी चिन्ह पूजा मात्र रह गई है, पर यदि इस पूजा का वास्तविक रहस्य समझ कर भावनापूर्वक उपयोग करें तो यह पार्थिव पूजा मनुश्य के अन्तः करण को कृतज्ञता की दिव्य भावना से अभिप्रेत करके उसे निरन्तर संसार का प्रत्युपकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

गर्भाधान, पुँसवन, सीमन्त, नामकरण, अन्नप्राषन, मुण्डन, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अन्त्येश्टि आदि 16 संस्कारों द्वारा समय–समय पर एक विषेश प्रभाव मनुश्य पर डाला जाता है। वेदमन्त्र की षक्ति द्वारा, तपस्वी वेदपाठी विद्वान अपनी व्यक्तिगत आत्म–षक्ति का प्रयोग करते हुए, यज्ञ एवं देवाव्हान द्वारा उस व्यक्ति पर एक सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं जिसका संस्कार होता है। इस प्रभाव के कारण उसकी मनोभूमि में कुछ विषेश तत्वों का बीज पवन होता है और वह बीज कालान्तर में परिपुश्ट होकर उस व्यक्ति को महापुरुश बनाने के लिए अग्रसर करता है। सोलहों संस्कारों में से एक–एक की महत्ता ऐसी अद्भुत है कि यदि आर्य प्रणाली संस्कार कराने वाले और करने वाले मिल जावें तो निष्चय

ही गीली मिट्टी की तरह मनुश्य को कुछ से कुछ ढाला जा सकता है। संस्कारों का षास्त्रोक्त विधान ऐसी ही रहस्यमय षक्तियों एवं सम्भावनाओं से भरा हुआ है। इन संस्कारों के समय जो प्रियजन, परिजन उपस्थित होते हैं उनकी उपस्थिति से उस समय दी गई षिक्षाओं को चरितार्थ करने का जो संकल्प यजमान लेता है उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है और कई बार तो वह स्वयं ही नहीं उपस्थित जन समुह में सन्मार्गगामी होता है। साधारण समय की षिक्षाओं की अपेक्षा संस्कार समारोह के समय दी हुई षिक्षाएं अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं। यदि कोई पुरोहित ठीक प्रकार विवाह संस्कार करा सके तो प्रतिज्ञा पूर्वक यह कहा जा सकता है कि इनका दाम्पत्ति जीवन सदा सुखमय एवं प्रेम पूर्ण रहेगा। आज तो टकापंथी पण्डित और श्रद्धालु यजमान इन संस्कारों को एक समारोह मात्र मानकर कुछ मनोरंजन या लकीर पीटना मात्र कर लेते हैं। पर यदि इनमें प्राचीन काल जैसा सुधार हो सके तो मनोभूमि को उत्तम दिषा में विनिर्मित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। हर वर्श जन्म तिथि मनाकर ही व्यक्ति अपने विगत जीवन की आलोचना तथा भावी जीवन के निर्माण का विषेश उपकरण कर सकता है।

व्रत त्यौहारों के आयोजन एक प्रकार से समाज के सामूहिक संस्कार हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के समय–समय पर सोलह संस्कार किये जाते हैं और उस पर व्यक्तिगत रूप से उत्तम भावनाओं की छाप डाली जाती है उसी प्रकार सामूहिक जन समाज के मनों पर जमते रहने वाली विकृतियों को माँज धोकर षुद्ध करने एवं नवीन संस्कार जमाने के लिए त्यौहार मनाये जाते हैं। श्रावणी, कृश्णाश्टमी, अनन्त चतुर्दषी, पितृ पक्ष, नव दुर्गा, विजय दषमी, धन तेरस, दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, गोपाश्टमी, देवोत्थान, षरद पूर्णिमा, मार्गश्री, मकर संक्रान्ति, बसन्त पंचमी, षिवरात्रि, होली, धूलि, सम्वत्सर, राम नवमी, गंगा दषहरा, देव षयनी, व्यास पूर्णिमा, हरियाली तीज आदि त्यौहारों को यदि प्राचीन काल की भाँति सामूहिक रूप से मनाया जाय तथा इनसे सम्बन्धित कथाओं, षिक्षाओं, सन्देषों, विधानों का सभी प्रकार विवेचन किया जाय तो इनके आधार पर समाज में उत्पन्न होती रहने वाली विकृतियाँ उन उत्सवों के भावावेष पूर्ण प्रवाह में उसी प्रकार बह जा सकती हैं, जैसे आँधी में तिनके उड़ जाते हैं जन समाज के सामूहिक विचार प्रवाह को सही दिषा में प्रवाहित करने के लिये त्यौहारों के आयोजन बहुत ही महत्व पूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आज केवल पकवान मिठाई खाने और उत्सव मनाने तक ही ये त्यौहार सीमित हैं पर उनको प्राचीन रीति से मनाया जाये तो निस्संदेह समाज का जीर्णोद्धार हो सकता है।

खान–पान की पवित्रता में मानवीय विद्युत षक्ति के चमत्कार का भारी तत्व ज्ञान छिपा पड़ा है। यह बात विज्ञान सहमत है कि भोजन बनाने या परोसने वाले व्यक्ति की मनोवृत्तियों, गुण कर्म स्वभावों की छाप उस पदार्थ पर पड़ती है और जो कोई खाता है उस पर वे संस्कार प्रभाव डालते हैं। इसलिए भोजन देने वाले, बनाने वाले, परोसने वाले, व्यक्ति के सम्बन्ध में आवष्यक जानकारी प्राप्त कर लेना और उपयुक्त व्यक्तियों को ही इस कार्य के लिये स्वीकार करना उचित है। माँस, मदिरा, अण्डे, मछली, मिर्च, मसाले जैसे उत्तेजक और तमोगुणी पदार्थ बुद्धि को आसुरी बनाते हैं इसलिये उन्हें अभक्ष माना गया है। भोजन की पवित्रता, सात्विकता का पूरा ध्यान रखना धर्म सम्मत इसलिए माना गया है कि इसी के द्वारा हमारा रस रक्त का, मन बुद्धि का, आचार–विचार का निर्माण होता है। यह साम्प्रदायिकता का नहीं

भोजन विज्ञान का प्रष्न है। इस सम्बन्ध में आज जो धाँधली बरती जा रही है उसमें सुधार होने की आवष्यकता है।

हमारी वेश भूशा, पोषाक इस देष के जलवायु तथा षील के उपयुक्त है। हल्के, ढीले, कम, सादे, सफेद कपड़े भारत जैसे उश्ण प्रदेष तथा सतोगुणी प्रकृति के लिए उचित हैं। हर पोषाक के साथ हजारों वर्शों के भावों के साथ एक संस्कार भी संबद्ध हो जाता है। जो जैसी पोषाक पहनता है वह अज्ञात रूप से उस पोषाक के साथ छिपी हुई संस्कृति को भी अपनाता है। धोती कुर्ता पहनने वाले के मन में सदा भारतीयता का भाव रहेगा पर अंग्रेजी पोषाक धारण किये हुए व्यक्ति अनायास ही अंग्रेजी मान्यताओं ओर विचारधाराओं को अपनाने लगेगा। योरोपीय ठण्डे देषों की पोषाक वहाँ के जलवायु के तथा उन लोगों की कार्यप्रणाली के उपयुक्त हो सकती है पर भारतीय यदि अपने को हीन और योरोपियों को महान मानकर उनकी पोषाकों को धारण करें तो अपने मन की ओर उनकी उपेक्षा एवं तिरस्कार वृत्ति बढ़ेगी। साथ ही विदेषीपन से उनकी मनोभूमि भरने लगेगी। जातीय गौरव को भूल जाना एक प्रकार से साँस्कृतिक पराधीनता स्वीकार करना है। उसके परिणाम भी बौद्धिक क्षेत्र में वैसे ही होते हैं जैसे आर्थिक क्षेत्र में राजनैतिक गुलामी के होते हैं। लड़के और लड़कियाँ आज योरोपियन पोषाक की और बहुत आकर्शित हो रहे हैं। फलस्वरूप उनके आचार–विचार भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। भारतीयता में छिपी हुई महानता की रक्षा के लिए भाशा, वेश, और भाव की रक्षा करना आवष्यक है उसके बिना हम अपनी सभी विषेशताओं एवं परम्पराओं में धीरे–धीरे रहित होते चले जाएंगे।

प्राचीन काल में और भी अनेक हमारी साँस्कृतिक विषेशताएं थीं जो आज हानिकारक विकृतियों का रूप धारण करती जा रही हैं। भगवान की अनेक सूक्ष्म षक्तियों को पहचान कर उनको अध्यात्म विज्ञान के अनुसार अपनी आंतरिक चुम्बक षक्ति से खींचना और अपने अन्दर धारण करने की विद्या देवविद्या–कहलाती थी। अनेक देव षक्तियों से देव पूजा विधानों के अनुसार लोग घनिश्ठ सम्बन्ध स्थापित करते थे और लोकोत्तर पदार्थ तथा अनुभव प्राप्त करते थे। पर आज तो वह विद्या केवल थोड़े से पण्डे पुजारियों की जीविका चलाने मात्र की रूढ़ि मात्र रह गई है।

तीर्थों में प्राचीन काल के महान व्यक्तियों, ऋशियों, उनके कार्यों तथा वहाँ की भूमिगत विषेशताओं के कारण वह सिद्ध पीठ जैसे तत्व पाये जाते थे। वहाँ अनेक महापुरुशों का सत्संग लाभ होता था। जलवायु उत्तम थी। वहाँ के निवासी यज्ञ आदि के द्वारा उस प्रदेष के षान्तिदायक वायु मण्डल को बढ़ाते रहते थे। लोग पैदल यात्रा करके देषाटन से ज्ञान और स्वास्थ्य की वृद्धि करते थे और तीर्थ स्थानों में पहुँचकर वहाँ के वातावरण तथा सत्संग से षान्ति लाभ करते थे। आज वैसा वातावरण नहीं रहा। धूर्तता, और लूट"खसोट का बोलबाला है पर निराषा की कोई बात नहीं। तथ्य मजबूत है मनस्वी लोग उनमें परिवर्तन करके वहाँ पुनः प्राचीन वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। पण्डे, पुजारी, पुरोहित, साधु, भिखारी आदि की 53 लाभ मुफ्तखोर सेना आदि देष के लिए भार बनी हुई है और नाना प्रकार की भ्रान्तियाँ तथा बुराई फैलाती हैं। इसलिए इनके प्रति जनसाधारण में दुर्भावनाएं उत्पन्न होना उचित ही है। पर प्राचीन काल में यह लोग ऐसे न होते थे। वे राश्ट्र कि लिए

घोर परिश्रम करते थे और अपना सर्वस्व होम कर रोटी मात्र पर गुजारा करते हुए अपने महान ज्ञान से जनता को लाभ पहुँचाते थे। उसी प्रणाली को जागृत करने का अब समय आ गया है।

पेटू, निठल्ले, अयोग्य लोगों को सामाजिक बहिश्कार या राजदण्ड द्वारा इस पवित्र कार्य से हटा दिया जावे और केवल सच्चे त्यागी, सन्त, लोकसेवी लोग ही इस मार्ग में रहें तो यह साधु संस्था राश्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक षिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का बहुत भारी कार्य कर सकती है। गौ पालन, गौ संवर्धन, सहयोग, समितियाँ, वन श्री की वषद्धि, सार्वजनिक श्रमदान, साक्षरता प्रचार आदि अनेक राश्ट्र निर्माण के कार्य जिन्हें सरकार नहीं कर पा रही है। उन्हें यह जनसेवी, सन्तों और पुरोहितों की सेना अपने प्रभाव एवं उदाहरण से जनता द्वारा आसानी से पूरा करा सकती है। सन्त पुरोहितों की पद्धति बुरी नहीं है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने जनहित के महत्वपूर्ण प्रयोजनों को पूरा करने के लिये ही इनका प्रवचन किया था। मन्दिर देवालयों में करोड़ों रुपयों की चल–अचल सम्पत्ति जमा है। ऐसी सम्पत्ति धर्म प्रचार के लिये भक्त लोग ईश्वरार्पण किया करते थे, उस धन से अनेकों धार्मिक योजनाएं पूरी की जाती थीं, पर आज तो वह केवल मूर्तियों के राज भोग श्षंगार में या मठाधीषों के मौज–मजे में खर्च होता है। यह धर्म–धन यदि धर्म प्रसार के लिये ही होने लगे तो साँस्कृतिक पुनरुत्थान का बहुत कार्य हो सकता है।

प्राचीन काल में विद्वान लोग एकत्रित होकर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार यह निर्णय करते थे कि इन दिनों किस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों की आवष्यकता है। धर्म साधन का उद्देष्य आत्मा की उन्नति और सामाजिक सुव्यवस्था ही है। चूँकि समय–समय पर परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, अनेक नई विकृतियाँ और समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। उनका समाधान करने के लिये मनीशी लोग स्वयं उस प्रकार के कार्यक्रम में प्रवष्त होते हैं और जनता को उसी मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आज उस प्रकार की व्यवस्था लुप्त होती जा रही है। प्राचीन काल की परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम जनता के सामने रखे गये थे पर वे अब वैसा वातावरण न रहने के कारण निरर्थक हो गये हैं और नई समस्याएं उत्पन्न हो जाने के कारण नये कार्यक्रम आवष्यक हो गये हैं। परन्तु वे मनीशी अब दिखाई नहीं देते जो देष, काल, पात्र का समय, परिस्थिति और आवष्यकता का ध्यान रखते हुए तद्नुसार धार्मिक भावना की जनता का पथ–प्रदर्षन कर सकें। आज तो लकीर का फकीर बनने की कहावत ही चरितार्थ हो रही है। आज अनेक रीति–रिवाज, विधान, पुरोजन आदि में भारी हेर–फेर किये जाने की आवष्यकता प्रतीत हो रही है ताकि धर्म भावना का युग धर्म के साथ मेल बिठाया जा सके। संस्कृति निर्जीव नहीं है जो सदा अचल रहे। वह गतिषील, प्रवाह षील, चैतन्य तत्वों की षाँति अपने में आवष्यक हेर–फेर करती रहती है। आज के समय के अनुकूल हेर–फेर करने वाले तत्वज्ञानी सूक्ष्मदर्षी मनीशियों को इस दिषा में बहुत काम करने की आवष्यकता है। अनेक धार्मिक पुस्तकों में जो साँभ्राँतिक मतभेद पाये जाते हैं, उनसे जनता में बुद्धिभ्रम पैदा होता है। लोग उसे एक दूसरे के विरोधी समझते हैं पर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक है। जो बात एक से छूट गई है वह दूसरे ने पूरी की है। आज इस दार्षनिक

अनेकता के एकीकरण तथा समन्वय करने की ऐसी आवष्यकता है जिससे साधारण लोग भी भारतीय धर्म की पष्ठभूमि को आसानी से समझ सकें।

चोटी, यज्ञोपवीत, व्रत, उपवास, चन्दन, तिलक, छाप, कथा, कीर्तन, उद्यापन, प्रयोजन आदि अनेक धर्म चिन्ह हैं। अनेक सम्प्रदायों में विविध प्रकार की मान्यताएं हैं। अनेक देवी देवताओं के नाना प्रकार के रूप, वेश, वाहन, आयुद्य आदि है। इन सब में अलंकारिक रूप– संकेत भाव से ऋशियों ने अत्यन्त ही मूल्यवान ज्ञान विज्ञान छिपा कर रखें हैं। लोग इन्हें आज पाखण्ड मात्र समझते हैं पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह देष कवियों का, कल्पना षील लोगों का देष रहा है। पहेली के ढंग से किसी बात को अलंकारिक रूप बना कर कहना यहाँ के लोगों की विषेशता रही है। रहस्यमय आध्यात्म विज्ञान को भी उन्होंने ऐसा ही अलंकारिक रूप दिया है जैसा पहेली बुझोअल करते समय बच्चों के सामने उपस्थित किया जाता है। आज इनके रहस्यों को जानने और बताने वाले लोग उत्पन्न हो जावें तो लोग उनका उपहास करना छोड़ कर एक बहुत भारी रहस्य पूर्ण विद्या के ज्ञाता बन सकते हैं। अथर्व वेद में वर्णित मन्त्र के अंतर्गत उतना विज्ञान भरा पड़ा है जितना कि आज के वैज्ञानिकों को कल्पना भी नहीं है। उस विज्ञान की यदि खोज की जाय तो यह देष इस दिषा में भी संसार का षिरोमणि सिद्ध हो सकता है। ग्रह''नक्षत्र विद्या, चिकित्सा षास्त्र, अग्नि विद्या, मन्त्र विद्या, प्राण विद्या, जीव विज्ञान आदि अनेक रहस्यमयी विद्याओं का किसी समय भारत पूर्ण ज्ञाता रहा है और रावण नागार्जुन, आदि अनेक वैज्ञानिक, प्रकृति की असंख्यों षक्तियों पर काबू प्राप्त करके ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त कर चुके हैं जैसे मषीनों द्वारा खोज करने वाले वैज्ञानिकों के लिए कभी भी सम्भव नहीं है। यदि प्रयत्न किया जाय तो पूर्वजों की संग्रहीत उस अपार सम्पत्ति को ढूँढ़ निकाल सकते हैं और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उतना आगे बढ़ सकते हैं।

इन रहस्य पूर्ण विद्याओं को छोटे–बड़े रूप में दैनिक जीवन से संबद्ध करते हुए पूजा पाठ तथा कर्मकाण्ड के विधान बनाये गये थे। उनसे चमत्कारी सिद्धियाँ न सही पर जीवन को सुख षान्तिमय बनाने लायक कामचलाऊ लाभ तो मिलते ही रहते थे, पर आज तो लोग उन सब बातों को भूलते और छोड़ते जा रहे हैं। फलस्वरूप उन्हें एक बहुत भारी दिव्य लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

भारतीय, साँस्कृतिक परम्पराओं का सूक्ष्म विज्ञान और रहस्य समझ कर यदि हम उसी पद्धति से जीवन यापन करना आरम्भ करें तो निष्चय समझिये हमारा व्यक्तिगत जीवन सभी उलझनों से मुक्त और सुख साधनों से सम्पन्न बन सकता है। ऋशियों ने हजारों लाखों वर्शों की तपस्या से उत्पन्न सूक्ष्म दृश्टि एवं दूरदर्षिता के साथ इन्हें बनाया था। वे सब बातें प्राचीन काल के लिए जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही आज भी महान हैं। अन्तर केवल समझने व समझाने का है।

इकाई.2 सिंधु घाटी सभ्यता

परिचय

भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता (आईवीसी) के जन्म से षुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।

यह लगभग 2,500 ईसा पूर्व दक्षिण एषिया के पष्चिमी भाग में, समकालीन पाकिस्तान और पष्चिमी भारत में फला–फूला।

सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार प्राचीन षहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी।

1920 के दषक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें दो पुराने षहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों का पता चला।

1924 में, एएसआई के महानिदेषक जॉन मार्षल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोशणा की।

आई.वी.सी. के चरण

आई.वी.सी. के तीन चरण हैंः

प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक,

2600 से 1900 ईसा पूर्व तक परिपक्व हड़प्पा चरण , और

उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक।

प्रारंभिक हड़प्पा चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसकी पहचान घग्घर–हाकरा नदी घाटी में की गई है।

सिंधु लिपि के प्रारंभिक उदाहरण 3000 ई.पू. के हैं।

इस चरण की विषेशता केंद्रीकृत प्राधिकरण और बढ़ती हुई षहरी जीवन गुणवत्ता है।

व्यापारिक नेटवर्क स्थापित हो चुके थे और फसलों की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं । उस समय मटर, तिल, खजूर, कपास आदि उगाए जाते थे।

कोटदीजी परिपक्व हड़प्पा चरण की ओर अग्रसर होने वाले चरण का प्रतिनिधित्व करता है।

2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व अवस्था में प्रवेष कर चुकी थी ।

प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय बड़े षहरी केंद्रों में बदल रहे थे, जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा भारत में लोथल ।

ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन के संकेत लगभग 1800 ईसा पूर्व से मिलने लगे थे और 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांष षहर त्याग दिए गए थे।

हालाँकि, बाद की संस्कृतियों में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न तत्व देखे जा सकते हैं।

पुरातात्विक आंकड़े 1000–900 ईसा पूर्व तक उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व का संकेत देते हैं।

नगर नियोजन और संरचनाएं

हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के कारण विषिश्ट थी ।

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का अपना गढ़ या एक्रोपोलिस था , जिस पर संभवतः षासक वर्ग के सदस्यों का कब्जा था।

प्रत्येक षहर में गढ़ के नीचे एक निचला कस्बा होता था जिसमें ईंट के घर होते थे , जिनमें आम लोग रहते थे।

षहरों में घरों की व्यवस्था के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि उनमें ग्रिड प्रणाली का पालन किया गया है ।

अन्न भंडार हड़प्पा नगरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

हड़प्पा नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग उल्लेखनीय है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का प्रयोग किया जाता था।

मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावषाली थी।

लगभग सभी षहरों में हर बड़े या छोटे घर का अपना आंगन और स्नानघर होता था ।

कालीबंगा में कई घरों में कुएँ थे ।

धोलावीरा और लोथल (गुजरात) जैसे स्थलों पर, पूरी बस्ती किलेबंद थी, और षहर के भीतर के हिस्सों को भी दीवारों से अलग किया गया था ।

कृशि

हड़प्पा के गांव, जो ज्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करते थे।

गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर, चना और सरसों का उत्पादन किया जाता था। गुजरात के स्थलों से बाजरा भी पाया जाता है। जबकि चावल का उपयोग अपेक्षाकृत कम था।

सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे ।

यद्यपि कृशि की व्यापकता का संकेत अनाज की खोज से मिलता है, लेकिन वास्तविक कृ शि पद्धतियों का पुनर्निर्माण करना अधिक कठिन है ।

मुहरों और टेराकोटा मूर्तिकला पर किए गए चित्रण से पता चलता है कि बैल का उपयोग किया जाता था, और पुरातत्वविदों के अनुमान से पता चलता है कि बैलों का उपयोग हल चलाने के लिए भी किया जाता था ।

अधिकांष हड़प्पा स्थल अर्ध–षुश्क भूमि पर स्थित हैं, जहां कृशि के लिए संभवतः सिंचाई की आवष्यकता थी।

अफगानिस्तान के षोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल पर नहरों के निषान मिले हैं, परंतु पंजाब या सिंध में नहीं।

यद्यपि हड़प्पावासी कृशि करते थे, परन्तु पषुपालन भी बड़े पैमाने पर किया जाता था ।

घोड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो के सतही स्तर और लोथल से प्राप्त एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। किसी भी मामले में हड़प्पा संस्कृति घोड़े पर केंद्रित नहीं थी।

अर्थव्यवस्था

सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व एक विस्तष्त क्षेत्र में अनेक मुहरों, एक समान लिपि और विनियमित बाट व माप की उपस्थिति से स्पश्ट होता है।

हड़प्पावासी पत्थर, धातु, षंख आदि का काफी व्यापार करते थे।

धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु–विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था ।

वे अरब सागर के तट पर नौवहन का अभ्यास करते थे।

उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेष स्थापित किया था, जिससे स्पश्टतः मध्य एषिया के साथ व्यापार में सुविधा हुई।

वे टिगरिस और फ़रात नदी के इलाकों के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे ।

हड़प्पावासी लाजवर्द रत्नों का लंबी दूरी तक व्यापार करते थे , जिससे षासक वर्ग की सामाजिक प्रतिश्ठा में वृद्धि हुई होगी।

षिल्प

हड़प्पावासी कांस्य के निर्माण और उपयोग से बहुत अच्छी तरह परिचित थे ।

तांबा राजस्थान के खेतड़ी तांबा खानों से प्राप्त किया गया था और टिन संभवतः अफगानिस्तान से लाया गया था ।

कई वस्तुओं पर वस्त्र छाप भी पाई गई है।

ईंटों की विषाल संरचना से पता चलता है कि ईंट–पत्थर बिछाने का काम एक महत्वपूर्ण षिल्प था। यह राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व को भी प्रमाणित करता है ।

हड़प्पा के लोग नाव बनाने, मनके बनाने और मुहर बनाने का काम करते थे। टेराकोटा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण षिल्प था।

सुनार चांदी, सोने और कीमती पत्थरों के आभूशण बनाते थे।

कुम्हारों का चाक पूर्ण रूप से प्रयोग में था और हड़प्पावासी अपने विषिश्ट मिट्टी के बर्तन बनाते थे , जो चमकदार और चमचमाते थे।

संस्थानों

सिंधु घाटी में बहुत कम लिखित सामग्री मिली है और विद्वान अभी तक सिंधु लिपि को समझने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।

परिणामस्वरूप, सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य और संस्थाओं की प्रकृति को समझने में कठिनाई होती है।

किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। इसलिए हड़प्पा पर पुजारियों के षासन की संभावना को समाप्त किया जा सकता है।

हड़प्पा पर संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग का षासन था ।

यदि हम सत्ता के केंद्र या सत्ता में लोगों के चित्रण की तलाष करें, तो पुरातात्विक अभिलेख तत्काल कोई उत्तर नहीं देते ।

कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा समाज में कोई षासक नहीं था और सभी को समान दर्जा प्राप्त था।

एक अन्य सिद्धांत के अनुसार कोई एक षासक नहीं था, बल्कि प्रत्येक षहरी केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई षासक थे ।

धर्म

हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है।

इसलिए, हड़प्पावासी पष्थ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में देखते थे और उसकी पूजा उसी प्रकार करते थे, जैसे मिस्रवासी नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे।

पुरुश देवता को एक मुहर पर तीन सींग वाले सिर के साथ दर्षाया गया है, जो एक योगी की बैठी हुई मुद्रा में है।

इस भगवान के चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है, तथा उनके सिंहासन के नीचे एक भैंसा है। उनके पैरों के पास दो हिरण दिखाई देते हैं। चित्रित भगवान की पहचान पुश्पपति महादेव के रूप में की गई है ।

पत्थर से बने लिंग और महिला यौन अंगों के अनेक प्रतीक पाए गए हैं।

सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों और पषुओं की भी पूजा करते थे ।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला गेंडा है जिसे गैंडे से पहचाना जा सकता है और अगला महत्वपूर्ण कूबड़ वाला बैल है .

ताबीज भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं।

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ई.पू. में हुआ, लेकिन इसके पतन के वास्तविक कारणों पर अभी भी बहस होती है ।

एक सिद्धांत का दावा है कि इंडो–यूरोपीय जनजाति यानी आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की।

बाद की संस्कृतियों में आईवीसी के विभिन्न तत्व पाए जाते हैं जो यह सुझाव देते हैं कि सभ्यता किसी आक्रमण के कारण अचानक लुप्त नहीं हुई।

दूसरी ओर, कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे प्राकृतिक कारण हैं।

प्राकृतिक कारक भूवैज्ञानिक और जलवायु संबंधी हो सकते हैं ।

ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में कई टेक्टोनिक गड़बड़ियाँ हुईं , जिनके कारण भूकंप आए। इससे नदियों के मार्ग बदल गए या वे सूख गईं।

एक अन्य प्राकृतिक कारण वर्शा के पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है ।

नदी के मार्ग में भी नाटकीय परिवर्तन हो सकता है , जिससे खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है।

इन प्राकृतिक कारणों के संयोजन के कारण आई.वी.सी. का धीमा किन्तु अपरिहार्य पतन हुआ।

वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्पन्न हुई थी। वेद षब्द का अर्थ वैदिक ग्रंथों में निहित पवित्र ज्ञान से है।

वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, एक जटिल और विविध सभ्यता थी जो 1500 और 600 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत में पैदा हुई थी। यह वैदिक धर्म के पालन और वेदों की रचना के लिए प्रसिद्ध थी, जो पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है जो हिंदू धर्म की नींव के रूप में काम करता है।

वेद एक उल्लेखनीय सभ्यता के समग्र ज्ञान, विज्ञान, परंपरा और संस्कृति का स्रोत हैं। वे ब्रह्मांडीय ज्ञान के आसुत ज्ञान के मौखिक संकलन हैं जो समय की षुरुआत से ही जीवित हैं। उन्हें न केवल धर्मग्रंथों के रूप में बल्कि भारतीय संस्कृति और मानव सभ्यता के स्रोत के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

वेद क्या है?

वेद षब्द की उत्पत्ति 'विद' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है 'जानना' । वेद षब्द का तात्पर्य वैदिक ग्रंथों में निहित पवित्र ज्ञान से है।

वेद चार हैंः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।

इन चार वेदों को 'संहिता' भी कहा जाता है क्योंकि वे उस समय की मौखिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चार वेद

ऋग्वेद दृ ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ।

दृ इसे दस पुस्तकों (जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है) में विभाजित किया गया है।

– इसमें विश्वामित्र का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और पुरुश षुक्त प्रार्थना (आदि पुरुश की कहानी) भी षामिल है।

ऋग्वैदिक पुजारी को होत्री के नाम से जाना जाता था।

यजुर्वेद – यह मूलतः अध्वर्यु पुजारी के लिए एक मैनुअल है , जो किसी यज्ञ में लगभग सभी अनुश्ठानिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था।

यह मुख्यतः गद्य रूप में है ।

इसे दो भागों में विभाजित किया गया हैः पहले वाला "काला" और हाल का "सफेद"।

सामवेद दृ सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है।

सामवेद ऋग्वैदिक छंदों का संग्रह है जिसे गायन की सुविधा के लिए कविता के रूप में व्यवस्थित किया गया है।

– सामवेद विषेश रूप से उदगातार पुरोहित के लिए है ।

अथर्ववेद अथर्ववेद जादुई मंत्रों और टोटकों का संकलन है जिनका उपयोग बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए किया जाता है।

अथर्ववेद नवीनतम है और इसमें मंत्र (कुछ ऋग्वेद से) सम्मिलित हैं।

प्रत्येक वेद के चार भाग हैः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिशद।

संहिता दृ संहिताएँ वेदों का सबसे प्राचीन भाग हैं।

इसमें भगवान के लिए मंत्र, प्रार्थनाएँ, प्रार्थनाएँ और भजन षामिल हैं।

ब्राह्मण दृ ब्राह्मण ग्रन्थ संहिता अध्यायों की गद्य व्याख्याएँ हैं।

इसमें बलि अनुश्ठानों और उनके परिणामों का विवरण और स्पश्टीकरण दिया गया है।

अरण्यक – आरण्यक वन जीवन पर आधारित ग्रंथ हैं।

यह बलि अनुश्ठानों की प्रतीकात्मक और दार्षनिक तरीके से व्याख्या करता है।

उपनिशदों कुल 108 उपनिशद हैं , जिनमें से 13 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

– उनमें बलिदान , षरीर और ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न प्रकार के दार्षनिक विचार षामिल हैं ।

– वे आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं ।

वैदिक आर्य कौन थे?

वैदिक आर्य वैदिक भजनों के रचयिता थे। उन्नीसवीं सदी में आर्यों को एक जाति माना जाता था। ऐसा लगता है कि मूल रूप से आर्य दक्षिणी रूस से लेकर मध्य एषिया तक फैले स्टेप्स में कहीं रहते थे।

उनमें से एक समूह यहां से उत्तर–पष्चिम भारत की ओर चला गया, जहां उन्हें इंडो–आर्यन या केवल आर्यन के रूप में जाना जाता था।

आर्यों को इंडो–यूरोपीय भाशा बोलने वाले भाशाई समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। पारंपरिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा उन्हें पूर्ववर्ती काल के गैर–आर्यन हड़प्पावासियों से अलग माना जाता है।

आर्यों का प्रवास

पुरातत्वविदों ने विभिन्न उत्तर–हड़प्पा संस्कृतियों को आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया है।

चित्रित ग्रे बर्तनों को बार–बार आर्य षिल्प कौषल से जोड़ा गया है ।

प्रवास के पुरातात्विक साक्ष्य एंड्रोनोवो संस्कृति से मिलते हैं, जो दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है । दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, यह संस्कृति फली–फूली।

यहीं से लोग हिंदुकुष के उत्तर की ओर बढ़े और यहीं से वे भारत में प्रवेष कर गए।

आर्य भाशा का विकासः नए लोग कई समूहों में आए, और इस संपर्क की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि आर्य भाशा का वैदिक रूप पूरे उत्तर–पष्चिमी भारत में प्रमुख हो गया ।

इस भाशा में लिखे गए ग्रंथों को लोकप्रिय रूप से वैदिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है।

वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षितिज

प्रारंभिक वैदिक आर्य लोग सप्त–सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे , जिसका अर्थ है सात नदियों का क्षेत्र ।

यह सम्पूर्ण पंजाब और उसके पड़ोसी हरियाणा क्षेत्र से मेल खाता है, लेकिन ऋग्वैदिक भूगोल में गोमल मैदान, दक्षिणी अफगानिस्तान और दक्षिणी जम्मू और कष्मीर भी षामिल थे।

सात नदियाँ षामिल हैंः

सिंधु ,

वितस्ता (झेलम),

असिकनी (चिनाब),

परुश्णि (रवि),

विपाष (ब्यास),

षुतुद्रि (सतलज),

सरस्वती .

उत्तर वैदिक काल के दौरान, वे धीरे–धीरे पूर्व की ओर बढ़े और पूर्वी उत्तर प्रदेष (कोसल) और उत्तर बिहार (विदेह) पर कब्जा कर लिया।

वैदिक काल (1500–600 ईसा पूर्व)

साहित्य के साथ–साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में, वैदिक ग्रंथ विकास के दो चरणों को दर्षाते हैं।

ऋग्वैदिक काल, जिसे प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, वह समय है जब ऋग्वैदिक भजनों की रचना की गई थी, जो 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच था।

बाद का चरण, जिसे उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, 1000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है ।

प्रारंभिक वैदिक काल के स्रोत

साहित्यिक स्रोतः साहित्यिक स्रोत चार वेदों का उल्लेख करते हैं : ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है।

ऋग्वैदिक संहिता में दस पुस्तकें या 'मंडल ' षामिल हैं, जिनमें से पुस्तक प्प से टप्प को सबसे प्रारंभिक माना जाता है और ये विषेश रूप से प्रारंभिक वैदिक चरण से संबंधित हैं।

पुरातात्विक स्रोतः पिछले 40 वर्शों में पंजाब , उत्तर प्रदेष और उत्तरी राजस्थान में सिंधु और घग्घर नदियों के किनारे किए गए उत्खनन से इन क्षेत्रों में अनेक उत्तर–हड़प्पा/ताम्रपाशाणकालीन बस्तियों का पता चला है।

उत्तर वैदिक काल के स्रोत

साहित्यिक स्रोतः पुस्तकें को ऋग्वेदिक संहिता में बाद में जोड़ा गया माना जाता है। उत्तर वैदिक चरण को सौंपे गए अन्य वैदिक ग्रंथ बाद में जोड़े गए हैं, विषेश रूप से ऋग्वेद संहिता का 10वां मंडल और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिताएँ।

पुरातात्विक स्रोतः साहित्यिक स्रोत बार–बार पष्चिमी उत्तर प्रदेष, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं ।

ऋग्वेद में "अयस" का उल्लेख है, जो संभवतः लोहे को संदर्भित करता है; हालांकि, पुरातात्विक साक्ष्य लोहे को उत्तर वैदिक काल से जोड़ते हैं।

वैदिक काल का राजनीतिक जीवन

प्रारंभिक वैदिक व्यवस्था में कोई अच्छी तरह से परिभाशित राजनीतिक पदानुक्रम नहीं है; हालाँकि, इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों ने एक सामाजिक–राजनीतिक पदानुक्रम को जन्म दिया, जो 'उत्तर वैदिक चरण' के दौरान वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रकट हुआ। प्रारंभिक वैदिक समाज काफी हद तक समतावादी था और आदिवासी मूल्यों और मानदंडों द्वारा षासित था।

विषेशताएँ प्रारंभिक वैदिक काल का राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन सामाजिक इकाई आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई को जन के नाम से जाना जाता था।

जनपद की अवधारणा उभरी।

उत्तर वैदिक ग्रंथों में राश्ट्र षब्द का भी पहली बार प्रयोग किया गया था।

मुखिया/राजा – जन का प्रमुख राजन होता था, जिसका मुख्य कार्य षत्रुओं से जन और मवेषियों की रक्षा करना था। – राजन या मुखिया अब उस क्षेत्र के रक्षक की भूमिका निभाने लगे जहां उनके जनजाति के लोग बसे हुए थे।

प्रमुख का पद – वंषानुक्रम और जनजातीय सभाएं वंष के लोगों में से राजा के चयन में षामिल नहीं थीं । – वंषानुगत और विस्तृत राज्याभिशेक अनुश्ठान, जैसे वाजपेय और राजसूय, ने मुख्य प्राधिकार की स्थापना की।

प्रषासन – राजन को अपने कार्य में सभा, समिति, विदथ, गण और परिशद नामक जनजातीय सभाओं से सहायता मिली , जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।

सभा : चुनिंदा कबीले सदस्यों की परिशद

समिति में सम्पूर्ण वंष षामिल था।

– इस समय के दौरान, सभा ने प्रासंगिकता में समिति को पीछे छोड़ दिया।

करों– लोगों ने मुखिया को वह उपहार दिया जो बलि के नाम से जाना जाता है ।

– यह साधारण आदिवासियों द्वारा विषेश अवसरों पर दिया गया स्वैच्छिक योगदान था।

– बलि, भग और षुल्क ने धीरे–धीरे नियमित करों और करों का रूप ले लिया।

सेना– सेना, या सेना, सक्षम आदिवासियों से बनी एक अस्थायी लड़ाकू सेना थी, जिन्हें युद्ध के दौरान संगठित किया जाता था।

– एक अल्पविकसित सेना उभरी, और ये सभी लोगों द्वारा दिए गए करों पर निर्भर थे।

ब्राह्मणों की स्थिति

कुलों द्वारा बड़े–बड़े यज्ञ या बलिदान आयोजित किए जाते थे, जिन्हें पुरोहित द्वारा संपन्न कराया जाता था ।

– उन्हें राजाओं के उपहारों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था और वे कबीले के अन्य सदस्यों की तुलना में श्रेश्ठ स्थान रखते थे।

– जैसे–जैसे राजन्य का महत्व बढ़ता गया, वैसे–वैसे ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ता गया।

– बाद के काल में कार्यवाहक पुरोहितों का दर्जा देवताओं के बराबर हो गया।

– कार्यवाहक ब्राह्मण को दान से संतुश्ट होना पड़ता था ।

वैदिक काल का सामाजिक जीवन

प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक संरचना, जो कुल–संबंधों पर आधारित थी और काफी हद तक समतावादी थी, उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक जटिल हो गई। प्रारंभिक वैदिक समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था, जबकि बाद में, वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित हो गया।

विषेशताएँ –प्रारंभिक वैदिक काल का सामाजिक जीवनउत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन

परिवार – परिवार एक बड़े समूह से संबंधित था जिसे विस या कबीले के रूप में जाना जाता था।

– एक या एक से अधिक वंषों को मिलाकर जन या जनजाति बनाई जाती थी।

दृ जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी।

दृ परिवार वैदिक समाज की मूल इकाई बना हुआ है।

दृ तीन या चार पीढ़ियों के एक साथ रहने से उत्तर वैदिक परिवार इतना बड़ा हो गया कि उसे संयुक्त परिवार कहा जाने लगा।

वर्ण व्यवस्थादृ प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। – चार वर्णः समाज को विभाजित करने वाले चार वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और षूद्र।

महिलाओं की स्थिति – समाज की पितष्सत्तात्मक प्रकृति के बावजूद, महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे षिक्षित थीं और विधानसभाओं में भाग लेने की हकदार थीं।

– महिला कवयित्रीः अपाला, विश्ववारा, घोशा और लोपामुद्रा।

– वे अपने साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थे और जब चाहें षादी कर सकते थे।

उन्हें पुरुशों के अधीन माना जाता था और किसी भी बड़े निर्णय लेने में उनकी भागीदारी नहीं होती थी।

सार्वजनिक बैठकों में उनकी भागीदारी प्रतिबंधित कर दी गई।

बाल विवाह आम होते जा रहे थे।

वर्णाश्रम दृ प्रारंभिक वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं थी।दृ ग्रंथों में जीवन के तीन चरणों का उल्लेख हैः ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन), गष्हस्थ (गष्हस्थ जीवन), और वानप्रस्थ (आश्रम)।

– बाद में, संन्यास, चौथा चरण, जोड़ा गया।

– वर्ण के साथ मिलकर इसे वर्ण–आश्रम धर्म के रूप में जाना जाने लगा ।

जनजातीय संघर्श– अधिक चारागाह भूमि और मवेषियों की बढ़ती आवष्यकता ने अंतर–जनजातीय और अंतर–जनजातीय संघर्शों और युद्धों में वषद्धि में योगदान दिया।

अंतर–जनजातीय संघर्श अक्सर होते थे , इसका एक उदाहरण ऋग्वेद में वर्णित दस राजाओं की लड़ाई है ।

जनजातियों के बीच संघर्श और जनजातियों के भीतर संघर्श की प्रकृति भी बदल गई।

अब झगड़े भूमि अधिग्रहण के लिए होने लगे।

गोत्र प्रणाली

प्रारंभिक वैदिक समाज में ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं थी।

– इसमें विकसित गोत्र का अर्थ है कि एक समान गोत्र वाले लोग एक ही पूर्वज के वंषज हैं, और एक ही गोत्र के सदस्यों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता।

षादी – विवाह आमतौर पर एकविवाही था, लेकिन सरदार कभी–कभी बहुविवाह का अभ्यास करते थे। – बहुविवाह के प्रचलन के बावजूद, एकल विवाह को प्राथमिकता दी गई।

सामाजिक समूहों – व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं था।

– वर्ण या रंग का उपयोग वैदिक और गैर–वैदिक लोगों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता था।

– सामाजिक समूहों का विभाजन केवल व्यवसाय पर आधारित था, और समाज अभी भी लचीला था, जहाँ किसी का व्यवसाय जन्म पर निर्भर नहीं था।

वैदिक काल का धार्मिक जीवन

ऋग्वेद के भजन वैदिक लोगों के धार्मिक विचारों को दर्षाते हैं। वे अपने आस–पास की प्राकृतिक षक्तियों (जैसे हवा, पानी, बारिष, गरज, आग, इत्यादि) का सम्मान करते थे, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था और उन्होंने प्रकृति को मानवीय रूपों में कल्पित देवत्व से संपन्न कर दिया।

विषेशताएँ प्रारंभिक वैदिक काल का धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन

ऋग्वैदिक देवता – इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, द्यौस, पूशण, यम, सोम आदि सभी पुरुश देवता हैं।

– उशा, सरस्वती और पष्थ्वी जैसी कई देवियाँ देवताओं के समूह में द्वितीय स्थान रखती हैं।

दृ ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लिखित देवता इंद्र हैं।

दृ विश्णु और रुद्र, जो ऋग्वेद में छोटे देवता थे, प्रमुखता से उभरे।

– पूशन, जो मवेषियों की रक्षा करते थे, षूद्रों के देवता बन गए।

यज्ञ– बलिदानों में भजन और प्रार्थनाएँ गाई जाती थीं, और ये यज्ञ आमतौर पर पुजारियों द्वारा किए जाते थे।

– बलि अनुश्ठान के परिणामस्वरूप गणित और पषु षरीर रचना विज्ञान के ज्ञान का विस्तार और विकास भी हुआ।

– महत्वपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय षामिल हैं।

– इस अवधि के अंत में, यज्ञों की जटिलताओं पर पुरोहिती के प्रभुत्व के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप एक दार्षनिक सिद्धांत का निर्माण हुआ, जिसे उपनिशदों में प्रस्तुत किया गया है।

वैदिक काल का आर्थिक जीवन

ऋग्वैदिक स्तोत्र वैदिक समाज में मवेषियों के महत्व के विषाल साक्ष्य प्रदान करते हैं।

षब्द "गौ", जिसका अर्थ "गाय" है , कई अन्य षब्दों का मूल है।

मवेषी धन का प्राथमिक माप थे, और एक धनी व्यक्ति जिसके पास कई मवेषी होते थे उसे "गोमत" कहा जाता था।

इस समयावधि के दौरान संघर्शों और लड़ाइयों को गविश्टि, गवेसन, गव्यत और अन्य षब्दों से संदर्भित किया जाता था।

राजा या मुखिया को 'गोपति ' या गायों की रक्षा करने वाला कहा जाता है।

ऋग्वेद में समय की माप के लिए 'गोधूलि' षब्द का प्रयोग किया गया है।

दूरी को गव्यूति कहते हैं।

बेटी को दुहित्री कहा जाता है, अर्थात वह जो गायों का दूध दुहती है।

नातेदारी इकाइयों को गोत्र के रूप में नामित किया जाता है ।

विषेशताएँ

प्रारंभिक वैदिक काल का आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन

व्यावसायिक गतिविधि – पषुपालक समाज में प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि पषुपालन थी। – पषुचारण से गतिहीन कृशि प्रधान समाज में परिवर्तन।

कृशि– 'यव' या जौ के साथ किसी अन्य अनाज का उल्लेख नहीं है।

दृ स्थानान्तरित कृशि का प्रचलन था।

– चावल लोगों का मुख्य आहार था। वैदिक ग्रंथों में चावल का उल्लेख वषहि, तंदुला और सालि के रूप में किया गया है।

– ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में दोहरी फसल पद्धति भी प्रचलित थी।

दृ जौ के अलावा, लोगों ने गेहूं, चावल, दालें, मसूर, बाजरा, गन्ना और अन्य फसलें उगाना षुरू कर दिया।

पषुओं का पालन–पोशण दृ मवेषी, भेड़, बकरी और घोड़े दूध, मांस और खाल के लिए पाले जाते थे। भैंस को कृशि प्रयोजनों के लिए पालतू बनाया गया था।

दृ इस दौरान भगवान इंद्र को "हल के देवता" की उपाधि दी गई थी।

करों – लोग मुखिया को बलि के नाम से जाना जाने वाला दान देते थे, जो विषेश अवसरों पर आम आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला स्वैच्छिक योगदान था।

–कर वसूली के लिए किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया।

– बलि, भग और षुल्क ने धीरे–धीरे नियमित करों और करों का रूप ले लिया।

दृ भागलुघाः कर वसूलने वाला अधिकारी।

लौह प्रौद्योगिकी – वे लोहे की तकनीक का उपयोग नहीं करते थे और तांबे से परिचित थे । – लोहे से बनी सॉकेटेड कुल्हाड़ियाँ और लोहे की नोक वाले हल और कुदालें ने कृशि की दक्षता बढ़ा दी

विनिमय का माध्यम– गायें विनिमय का सबसे लोकप्रिय साधन थीं।

– बलिदान करने के लिए पुजारियों को गाय, घोड़े और सोने के आभूशण दिए जाते थे।

– बाद के समय में लेन–देन में निश्क नामक सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा।

इकाई. 3

बौद्ध धर्म इतिहास और उत्पत्ति

बौद्ध धर्म 2,600 वर्श पहले भारत में एक ऐसी जीवन षैली के रूप में उभरा जो व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक था।

दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एषिया के देषों में यह सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है।

बुद्ध को षाक्यमुनि या तथागत भी कहा जाता है।

बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम की षिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर हुई, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था।

उनका जन्म षाक्य वंष के षाही राजवंष में हुआ था, जो भारत–नेपाल सीमा पर स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी से षासन करता था।

यषोधरा से विवाह करने के बाद सिद्धार्थ को राहुल नाम का पुत्र हुआ। अपनी भव्य जीवनषैली से वह नाखुष थे और अपने दैनिक जीवन में बीमारी, बुढ़ापे और मष्त्यु के संकेतों से वह चिंतित रहते थे।

गौतम ने 29 वर्श की आयु में घर छोड़ दिया और समषद्धिपूर्ण जीवन के स्थान पर तप या चरम आत्म–अनुषासन को चुना।

49 दिनों के ध्यान के बाद, गौतम को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर एक पीपल के वष्क्ष के नीचे बोधि (ज्ञान) की प्राप्ति हुई।

बुद्ध ने अपना पहला उपदेष उत्तर प्रदेष के बनारस षहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। धर्म–चक्र–प्रवर्तन इस घटना (धर्म के चक्र का घूमना) को दिया गया नाम है।

483 ईसा पूर्व में, उत्तर प्रदेष के कुषीनगर में 80 वर्श की आयु में उनकी मष्त्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिब्बान कहा जाता है

बौद्ध धर्म का उदय द्य इवकी कींतउ i नकंल

इस धर्म के विकास के विभिन्न कारण इस प्रकार हैंः

क्षण प्रभाव

छठी षताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म (इनककीपेउ पद ीपदकप)

के प्रसार के लिए उपयुक्त समय था।

उस समय लोग अंधविश्वासों, जटिल अनुश्ठानों और अंध विश्वासों से तंग आ चुके थे।

बुद्ध का संदेष उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी जो पहले से ही ब्राह्मणवाद के दमनकारी बोझ से पीड़ित थे।

सरल सिद्धांत

जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म मूलतः सरल था।

लोग उलझन में नहीं थे। बल्कि, इसका 'आर्य सत्य', 'अश्टांगिक मार्ग' और 'अहिंसा का विचार' इतना सीधा था कि कोई भी उन्हें समझ सकता था और उनका पालन कर सकता था।

बौद्ध धर्म में जैन धर्म की कठोरता और वैदिक समारोहों की जटिलता का अभाव था।

जो लोग वैदिक धर्म में ब्राह्मणवादी हेरफेर से थक चुके थे, उन्हें बौद्ध धर्म एक षांतिपूर्ण और ताजगी भरा बदलाव लगा।

सरल अभिव्यक्तियाँ

बुद्ध ने अपना संदेष आम लोगों की भाशा में लोगों तक पहुँचाया। बुद्ध द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाशा भारत की बोलचाल की भाशा थी।

वैदिक धर्म को केवल इसलिए समझा जा सका क्योंकि ब्राह्मणों ने संस्कृत भाशा पर अपना नियंत्रण रखा हुआ था।

बौद्ध धर्म को समझना सरल था और इसके सरल दर्षन तथा आकर्शक संदेष से प्रभावित होकर लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया।

बुद्ध का व्यक्तित्व

बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें और उनके धर्म को जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। बुद्ध दयालु और निस्वार्थ थे।

उनके षांत आचरण, सरल दर्षन के मधुर षब्दों और त्यागमय जीवन से जनता उनकी ओर आकर्शित होती थी।

उनके पास लोगों की समस्याओं के लिए नैतिक समाधान थे। नतीजतन, बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ।

बौद्ध धर्म सहज था क्योंकि इसमें वैदिक धर्म की तरह महंगे अनुश्ठानों का अभाव था।

समारोहों और महंगे अनुश्ठानों के बजाय व्यावहारिक नैतिकता इसका मार्गदर्षक तत्व बन गई, जिसने एक स्वस्थ सामाजिक परंपरा की स्थापना में सहायता की।

इसने देवताओं और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए अनुश्ठानों और प्रसाद जैसे भौतिक कर्तव्यों से मुक्त आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ावा दिया।

कोई जातिगत भेदभाव नहीं

बौद्ध धर्म जाति–पाति में विश्वास नहीं करता था। यह जाति–विरोधी था और सभी जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार करता था।

इसके अनुयायी जाति–पाति को दरकिनार कर एक साथ मिलते थे और नैतिकता और आचार–विचार पर चर्चा करते थे। गैर–ब्राह्मण विषेश रूप से इसकी ओर आकर्शित होते थे।

रॉयल समर्थन

बौद्ध धर्म के तीव्र विकास में षाही संरक्षण का योगदान था।

बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बौद्ध धर्म को प्रसेनजित, बिम्बिसार, अजातषत्रु, अषोक, कनिश्क और हर्शवर्धन जैसे राजाओं ने संरक्षण दिया, जिन्होंने इसे पूरे भारत और उसके बाहर फैलने में मदद की।

अषोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दो पुत्रों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा।

कनिश्क और हर्शवर्धन ने अपना जीवन पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया।

विश्वविद्यालयों का प्रभाव

नालंदा, तक्षषिला, पुश्पगिरि और विक्रमषिला विश्वविद्यालयों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारत भर से तथा अन्य देषों से आये छात्र बौद्ध धर्म की ओर आकर्शित हुए तथा उसे अपना लिया।

प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। उनके षिक्षकों में षिलावद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल और दिवाकमित्र षामिल थे, जो सभी बौद्ध धर्म के विकास के लिए समर्पित प्रमुख बुद्धिजीवी थे।

बौद्ध भिक्षु और बौद्ध 'आदेष' (संघ)

बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अद्वितीय सहायता प्रदान की। आनंद, सारिपुत्त, मौद्गलायन, सुदत्त और उपाली जैसे लोग बुद्ध के षिश्यों में प्रमुख थे।

वे सम्पूर्ण भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा पर अड़े हुए थे।

बौद्ध संघ पूरे भारत में फैल गया, जिसकी षाखाएँ पूरे देष में फैलीं। स्थानीय लोग जल्दी ही इन बौद्ध 'आदेष' षाखाओं की ओर आकर्शित हो गए।

वे या तो भिक्षु (भिक्षु) या उपासक (उपासक) के रूप में तपस्वी जीवन षैली जीते थे। उनके उदाहरण ने बढ़ती संख्या में लोगों को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, बौद्ध धर्म तेजी से फैल गया।

बौद्ध परिशद्

भारत में बौद्ध धर्म की षिक्षा और प्रसार में बौद्ध परिशदों का महत्वपूर्ण योगदान था।

बुद्ध की मष्त्यु के बाद चार बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुईं।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

आर्य–सच्चानि (चार आर्य सत्य), अश्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, सामाजिक आचार संहिता और निर्वाण प्राप्ति बुद्ध के सिद्धांत का आधार हैं।

ये षिक्षाएं सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि उपाय (कुषल तरीके या कुषल उपकरण) हैं।

बौद्ध धर्म की विषेशताएं द्य इंनकी कींतउ ाप अपेीमीजंमद

बौद्ध धर्म की षिक्षाएँ

उनकी षिक्षाओं के तीन स्तम्भ हैंः

बुद्ध संस्थापक / षिक्षक

धम्म षिक्षा

संघ बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों (उपासकों) का संघ

बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य

बौद्ध धर्म की षिक्षाओं के मूल में चार आर्य सत्य हैंः

1 दुख (दुख का सत्य) बौद्ध धर्म के अनुसार, हर चीज़ दुःख का स्रोत है (सब्बम दुखम)। यह किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई वास्तविक पीड़ा और उदासी के बजाय दुःख सहने की प्रवष्त्ति को संदर्भित करता है।

2 समुदाय (दुख के कारण का सत्य) दुख का मूल स्रोत तष्ष्णा (इच्छा) है। हर बीमारी का एक उद्देष्य होता है, और यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

3 निरोध (दुख के अंत का सत्य) निर्वाण की प्राप्ति से दुखों का अंत हो सकता है।

4 अश्टांगिक मार्ग (दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य) अश्टांगिक मार्ग में दुःख का समाधान निहित है।

बौद्ध धर्म के आठ मार्ग

अश्टांगिक मार्ग सीखने की अपेक्षा भूलने पर जोर देता है, अर्थात, भूलने और खोजने के लिए सीखना। यह मार्ग आठ क्रियाओं से बना है जो आपको उन वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं से परे जाने में मदद करने के लिए एक साथ काम करते हैं जो आपको अपने सच्चे स्व को देखने से रोकते हैं।

अश्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित षामिल हैंः

1 सम्यक दृश्टि (सम्म–दिट्ठि)

यह वास्तविकता की प्रकृति और परिवर्तन के मार्ग को समझने के बारे में है

2 सही विचार या दृश्टिकोण (सम्मा–संकप्पा)

यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ–साथ प्रेम और करुणा से युक्त व्यवहार को भी दर्षाता है।

3 सही या संपूर्ण भाशण (सम्मा–वक्का)

यह उन संचारों को संदर्भित करता है जो सत्य, सीधे, उत्थानषील और गैर–हानिकारक होते हैं।

4 सही या अभिन्न क्रिया (सम्मा–कम्मंता)

यह जीवन के लिए नैतिक आधार को दर्षाता है – जो स्वयं और दूसरों का षोशण न करने के सिद्धांतों पर आधारित है।

इसमें पाँच नियम हैं जो मठवासियों और आम लोगों दोनों के लिए नैतिक आचार संहिता के रूप में काम करते हैं। ये हैं:

हिंसा के कार्यों में षामिल न हों।

दूसरे लोगों की संपत्ति से ईर्श्या न करें।

किसी भी अनैतिक या कामुक व्यवहार में षामिल न हों।

नषीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

झूठ मत बोलो

5 सही या उचित आजीविका (सम्मा–अजीवा)

यह सही काम और षोशण रहित नैतिक मानकों पर आधारित आजीविका पर जोर देता है। इसे एक आदर्ष समाज की नींव माना जाता है।

6 सही प्रयास या ऊर्जा (सम्मा–वयमा)

इसका तात्पर्य जानबूझकर हमारी जीवन ऊर्जा को रचनात्मक और उपचारात्मक क्रिया के परिवर्तनकारी मार्ग की ओर निर्देषित करना है जो संपूर्णता को बढ़ावा देता है और इस प्रकार हमें सचेत विकास के करीब ले जाता है।

7 सही सचेतनता (सम्मा–सती) या सम्पूर्ण जागरूकता (सम्मा–सती) इ स मे ं खुद को समझना और खुद के व्यवहार का निरीक्षण करना षामिल है। बुद्ध के अनुसार "यदि आप खुद को महत्व देते हैं, तो खुद पर कड़ी नज़र रखें,"

समाधि का षाब्दिक अर्थ है "स्थिर, लीन।" इसमें व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को चेतना और जागरूकता के कई स्तरों या तरीकों में डुबोना षामिल है।

भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार

बुद्ध के अनुयायी दो प्रकार के थेः भिक्षु (भिक्षु) और उपासक (उपासिका)।

उनकी षिक्षाओं के प्रसार के लिए भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया।

संघ लोकतांत्रिक ढंग से संचालित था और उसे अपने सदस्यों में अनुषासन बनाए रखने का अधिकार था।

बुद्ध के जीवनकाल के दौरान भी, संघ के ठोस प्रयासों के कारण उत्तर भारत में बौद्ध धर्म (इवकी कींतउ पद ीपदकप) तेजी से आगे बढ़ा।

बुद्ध की मष्त्यु के बाद उनके अनुयायी उनके ध्यान पथ पर चलते रहे और ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते रहे।

महान मौर्य राजा अषोक के आगमन तक 200 वर्शों तक बौद्ध धर्म अपने हिन्दू प्रतिस्पर्धियों के अधीन रहा।

कलिंग आक्रमण में पराजय के बाद सम्राट अषोक ने सांसारिक विजय का मार्ग छोड़कर धम्म विजय का निर्णय लिया।

तष्तीय बौद्ध संगीति के दौरान अषोक ने गांधार, कष्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा (म्यांमार), मिस्र और थाईलैंड जैसे स्थानों पर विभिन्न बौद्ध मिषन भेजे थे।

अषोक के मिषनरी प्रयासों से बौद्ध धर्म पूरे पष्चिम एषिया और सीलोन में फैल गया। परिणामस्वरूप, एक स्थानीय धार्मिक संप्रदाय वैश्विक धर्म बन गया।

बौद्ध धर्म का प्रभाव

बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विषेश रूप से अहिंसा की धारणा के माध्यम से।

इसने भारतीय कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांची, भरहुत और गया के स्तूप कला के षानदार नमूने हैं।

षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तक्षषिला, नालंदा और विक्रमषिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

बौद्ध धर्म की षिक्षाओं ने पाली और अन्य स्थानीय भाशाओं के विकास को प्रभावित किया।

इसने पूरे एषिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में भी सहायता की।

भारत में एक सौम्य षक्ति के रूप में बौद्ध धर्म की स्थिति अन्य संस्कृतियों की तरह भिन्न है।

भारत सांस्कृतिक निर्यात की अपेक्षा साझा सांस्कृतिक विकास पर अधिक ध्यान देता है।

भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की षिक्षाओं का प्रभाव षांति, समायोजन, समावेषिता और करुणा के आदर्षों से जोड़ा जा सकता है जो आधुनिक समाज का हिस्सा हैं।

बौद्ध धर्म केवल एषिया तक ही सीमित नहीं है; इसने विश्व के अन्य भागों में भी आध्यात्मिक जागषति उत्पन्न की है तथा विविध बौद्धिक प्रणालियों पर प्रभाव डाला है।

आज भारत के पास विविध प्रकार के संसाधन हैं, जिनमें तीर्थ स्थल, दलाई लामा की उपस्थिति, अंतर्राश्ट्रीय सद्भावना के साथ–साथ आवष्यक इरादे भी षामिल हैं।

बौद्ध धर्म का पतन

12वीं षताब्दी की षुरुआत में बौद्ध धर्म अपने जन्मस्थान से ही लुप्त होने लगा। बौद्ध धर्म के पतन में योगदान देने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं:

बौद्ध संघ में भ्रश्टाचार

बौद्ध संघ समय के साथ भ्रश्ट होता गया। महंगे उपहार प्राप्त करने से वे विलासिता और आनंद की ओर बढ़ गए।

बुद्ध की षिक्षाओं को आसानी से भुला दिया गया और परिणामस्वरूप बौद्ध भिक्षुओं और उनके उपदेषों को नुकसान उठाना पड़ा।

बौद्ध धर्म के संप्रदाय

बौद्ध धर्म में वर्शों से अनेक संप्रदाय रहे हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान जैसे कई अलग–अलग समूहों में विखंडित होने के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म की मौलिकता खो गई।

बौद्ध धर्म अपनी सरलता खो चुका था और अधिक जटिल होता जा रहा था।

संस्कृत भाशा का प्रयोग

कनिश्क के षासनकाल में, हालांकि, चौथी बौद्ध परिशद में संस्कृत ने इन भाशाओं को पीछे छोड़ दिया। संस्कृत कुछ बुद्धिजीवियों की भाशा थी, जिसे आम जनता षायद ही समझ पाती थी, और इसलिए यह बौद्ध धर्म के पतन के कई कारणों में से एक बन गई।

पाली, अधिकांष भारतीयों की बोली जाने वाली भाशा, वह माध्यम थी जिसके माध्यम से बौद्ध संदेष संप्रेशित किया जाता था।

महायान बौद्ध धर्मावलंबियों ने ही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की षुरुआत की।

वे बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करने लगे।

इस पूजा पद्धति द्वारा ब्राह्मणवादी पूजा के जटिल समारोहों और अनुश्ठानों को अस्वीकार करने की बौद्ध षिक्षाओं का उल्लंघन किया गया

बौद्धों को सताया गया

समय के साथ ब्राह्मणवादी आस्था पुनः प्रमुखता में आ गयी।

कुछ ब्राह्मण राजाओं, जैसे कि हुना राजा पुश्यमित्र षुंग, मिहिरकुल (षिव उपासक) और गौड़ के षैव षषांक ने बौद्धों को सामूहिक रूप से सताया। मठों को दिए जाने वाले उदार दान कम होने लगे

मुसलमानों द्वारा भारत पर विजय

भारत पर मुस्लिम आक्रमण ने बौद्ध धर्म को लगभग ख़त्म कर दिया।

भारत पर उनके आक्रमण नियमित हो गए और बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल और तिब्बत में षरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा।

बौद्ध धर्म अंततः अपने जन्मस्थान भारत में लुप्त हो गया।

हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म

हिंदू धर्म आत्मा के भीतर से ब्रह्म या अस्तित्व को समझने से संबंधित है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद "स्वयं" या "आत्मा" होता है, लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मा की खोज से संबंधित है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद "आत्मा नहीं" या "स्वयं नहीं" होता है।

हिंदू धर्म के अनुसार, परम अस्तित्व को प्राप्त करना, जीवन से भौतिक विकर्शणों को दूर करने और अंततः अपने अंदर ब्रह्म की प्रकृति को समझने की प्रक्रिया है।

बौद्ध धर्म में, व्यक्ति अनुषासित जीवन जीता है ताकि वह यह सीख सके कि उसके भीतर कुछ भी "मैं" नहीं है, जिससे अस्तित्व का भ्रम दूर हो सके।

बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल

विरासत स्थल जगह

नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा, बिहार

साँची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेष

बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार

अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराश्ट्र

आठ बोधिसत्व

बोधिसत्व

विवरण

मंजूश्री

मंजुश्री ज्ञान का अवतार हैं।

मंजुश्री अपने दाहिने हाथ में एक धधकती तलवार धारण करते हैं, जो अज्ञान को काटने वाली बुद्धि का प्रतीक है।

अवलोकितेश्वर / पद्मपाणि / लोकेश्वर

बोधिसत्व असीम करुणा के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि असीम प्रकाष के बुद्ध अमिताभ उनमें प्रकट हुए थे।

इसे आमतौर पर हाथ में कमल के साथ दिखाया जाता है और इसका रंग सफेद होता है।

वज्रपाणि व षक्तिषाली एवं ऊर्जावान बोधिसत्व।

उन्हें प्रायः एक योद्धा की मुद्रा में, आग से घिरे हुए दर्षाया जाता है, जो परिवर्तन की षक्ति का प्रतीक है।

क्षितिगर्भ

बुद्ध की मष्त्यु और मैत्रेय (भविश्य के बुद्ध) के काल के बीच, क्षितिगर्भ को सभी प्राणियों की आत्माओं को बचाने के लिए जाना जाता है, जिनमें युवावस्था में मरने वाले बच्चों और नरक में गए लोगों की आत्माएं भी षामिल हैं।

आकाषगर्भ

आकाषगर्भ को उनकी बुद्धि और पापों को षुद्ध करने की क्षमता के लिए सम्मानित किया जाता है।

वह षांत ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं, या तो कमल के फूल पर पैर मोड़कर बैठे हुए, या समुद्र के बीच में एक मछली के ऊपर चुपचाप खड़े होकर, नकारात्मक भावनाओं को काटने के लिए तलवार चलाते हुए।

समंतभद्र व वह दस प्रतिज्ञाओं के लिए प्रसिद्ध हैं

षाक्यमुनि बुद्ध (गौतम बुद्ध) और बोधिसत्व मंजुश्री के साथ मिलकर वह षाक्यमुनि त्रिदेव बनाते हैं।

सर्वनिवारण दृ विश्कम्भिन

आत्मज्ञान के मार्ग पर लोगों को जिन आंतरिक और बाह्य गलत कार्यों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें बोधिसत्व द्वारा षुद्ध किया जाता है।

मैत्रेय

उन्हें भविश्य के बुद्ध के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो अभी तक जीवित नहीं हैं, लेकिन भविश्य में दुनिया के पतन के बाद वास्तविक बौद्ध षिक्षाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में लौटने की उम्मीद है।

जैन धर्म

परिचय

जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो इस दर्षन पर आधारित है कि सभी जीवित प्राणियों को अनुषासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति और आध्यात्मिक षुद्धता और ज्ञान का मार्ग सिखाया जाता है।

जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई?

जैन धर्म छठी षताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता में आया , जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया।

कुल 24 महान षिक्षक हुए , जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे।

इन चौबीस षिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था – वे लोग जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेष दिया था।

प्रथम तीर्थंकर ऋशभनाथ थे।

'जैन' षब्द ' जिन' या 'जैना' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'विजेता'।

वर्धमान महावीर

24 वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैषाली के पास कुण्डग्राम नामक गांव में हुआ था

वह ज्ञात्रिक वंष से थे और मगध के षाही परिवार से जुड़े थे।

उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंष के मुखिया थे और उनकी माता त्रिषला वैषाली के राजा चेटक की बहन थीं।

30 वर्श की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और तपस्वी बन गये।

उन्होंने 12 वर्शों तक कठोर तपस्या की और 42 वर्श की आयु में कैवल्य (अर्थात् दुख और सुख पर विजय) नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया ।

उन्होंने अपना पहला उपदेष पावा में दिया।

प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ था और महावीर का प्रतीक सिंह था ।

उनका मिषन उन्हें कोषल, मगध, मिथिला, चंपा आदि ले गया

उनका निधन 72 वर्श की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ।

उत्पत्ति का कारण?

जटिल अनुश्ठानों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था।

वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया, जहां दो उच्च वर्गों को कई विषेशाधिकार प्राप्त थे।

ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया।

लौह औजारों के उपयोग के कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृशि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ।

जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं?

इसका मुख्य उद्देष्य मोक्ष प्राप्ति है , जिसके लिए किसी अनुश्ठान की आवष्यकता नहीं है। इसे तीन रत्नों या त्रिरत्न नामक तीन सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सम्यकदर्षन

सम्यकज्ञान

सम्यकचरित

जैन धर्म के पाँच सिद्धांत

अहिंसा : जीवित प्राणियों को हानि न पहुँचाना

सत्य : झूठ मत बोलो

अस्तेय : चोरी न करना

अपरिग्रह : संपत्ति अर्जित न करना

ब्रह्मचर्य : संयम का पालन करें

जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा

जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं षाश्वत हैं। समय के संदर्भ में इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। ब्रह्मांड अपने स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार चलता है।

सभी पदार्थ लगातार अपने रूप बदलते या संषोधित करते रहते हैं। ब्रह्मांड में किसी भी चीज का न तो विनाष हो सकता है और न ही उसका निर्माण हो सकता है।

ब्रह्माण्ड के कार्यों को बनाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की आवष्यकता नहीं है।

इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता, संरक्षक और संहारक नहीं मानता।

हालाँकि जैन धर्म ईश्वर को एक सष्जनकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण सत्ता के रूप में मानता है।

जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नश्ट कर देता है, तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह मोक्ष में हमेषा के लिए पूर्ण आनंद की स्थिति में रहता है।

मुक्त आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दृश्टि, अनंत षक्ति और अनंत आनंद होता है। यह जीव जैन धर्म का भगवान है।

प्रत्येक जीव में भगवान बनने की क्षमता है।

अतः जैनों में एक ईश्वर नहीं है, अपितु जैन भगवान असंख्य हैं और जैसे–जैसे अधिक जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

अनेकांतवाद

जैन धर्म में अनेकांतवाद एक सत्तामूलक मान्यता है कि कोई भी इकाई न केवल स्थायी है, बल्कि उसमें परिवर्तन भी होता है, जो निरंतर और अपरिहार्य है।

अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के तीन पहलू होते हैंः पदार्थ (द्रव्य), गुणवत्ता (गुण), और मोड (पर्याय)।

द्रव्य अनेक गुणों के आधार के रूप में कार्य करता है, जिनमें से प्रत्येक गुण स्वयं निरंतर परिवर्तन या संषोधन से गुजरता रहता है।

इस प्रकार, किसी भी इकाई में एक स्थायी सतत प्रकृति और गुण होते हैं जो निरंतर परिवर्तनषील अवस्था में होते हैं।

स्यादवाड़ा

जैन तत्वमीमांसा में स्याद्वाद , वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी निर्णय सषर्त होते हैं, तथा केवल कुछ निष्चित स्थितियों, हालातों या इंद्रियों में ही मान्य होते हैं, जिन्हें स्यात् ("हो सकता है") षब्द से व्यक्त किया जाता है।

किसी चीज़ को देखने के तरीके (जिन्हें नया कहा जाता है) अनंत हैं।

स्यादवाद का षाब्दिक अर्थ है 'विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि'।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद में अंतर

उनके बीच मूल अंतर यह है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विषेशताओं का ज्ञान है, जबकि स्याद्वाद किसी वस्तु या घटना के किसी विषेश गुण के सापेक्ष वर्णन की प्रक्रिया है।

जैन धर्म के संप्रदाय/स्कूल क्या हैं?

जैन संप्रदाय दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हैः दिगंबर और श्वेतांबर।

यह विभाजन मुख्यतः मगध में पड़े अकाल के कारण हुआ था, जिसके कारण भद्रबाहु के नेतष्त्व में एक समूह दक्षिण भारत की ओर पलायन करने को बाध्य हुआ था।

12 वर्शों के अकाल के दौरान, दक्षिण भारत में समूह ने सख्त प्रथाओं का पालन किया, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफेद कपड़े पहनना षुरू कर दिया।

अकाल की समाप्ति के बाद, जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया, तो बदली हुई प्रथाओं के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया।

दिगम्बरः

इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं। पुरुश साधु कपड़े नहीं पहनते जबकि महिला साधु बिना सिले सादी सफ़ेद साड़ी पहनती हैं।

पांचों व्रतों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य) का पालन करें।

मेरा मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकतीं।

भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे।

प्रमुख उप–संप्रदाय

- मूल संघ
- बिसापंथा
- तेरापंथा
- तारणपंथा या समयपंथा

लघु उप–समूह

- गुमानपंथा
- तोतापंथा

श्वेताम्बरः

व भिक्षु सफेद वस्त्र पहनते हैं।

व केवल 4 व्रतों का पालन करें (ब्रह्मचर्य को छोड़कर)।

व मेरा मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं।

व स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे।

व प्रमुख उप–संप्रदाय

मूर्तिपूजक

- स्थानकवासी
- तेरापंथी

जैन धर्म के प्रसार का कारण?

महावीर ने अपने अनुयायियों का एक संघ गठित किया जिसमें पुरुश और महिला दोनों को षामिल किया गया।

जैन धर्म स्वयं को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पश्ट रूप से अलग नहीं कर पाया, इसलिए यह धीरे–धीरे पष्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी।

महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्शों में जैन तपस्वी बन गए और उन्होंने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया।

मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ।

अकाल 12 वर्शों तक चला और अपनी रक्षा के लिए अनेक जैन लोग भद्रबाहु के नेतष्त्व में दक्षिण भारत चले गये।

ओडिषा में इसे कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था।

जैन साहित्य क्या है?

जैन साहित्य को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

आगम साहित्य : भगवान महावीर के उपदेषों को उनके अनुयायियों ने विधिपूर्वक कई ग्रंथों में संकलित किया। इन ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम के नाम से जाना जाता है, जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। आगम साहित्य भी दो समूहों में विभाजित है:

- अंग–आगमः इन ग्रंथों में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेष हैं। इन्हें गणधरों द्वारा संकलित किया गया था।
- भगवान महावीर के तात्कालिक षिश्य गणधर के नाम से जाने जाते थे।
- सभी गणधरों को पूर्ण ज्ञान (केवलज्ञान) प्राप्त था।
- उन्होंने भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेषों को मौखिक रूप से बारह मुख्य ग्रंथों (सूत्रों) में संकलित किया। इन ग्रंथों को अंग–आगम के नाम से जाना जाता है।

- अंग–बाह्य–आगम (अंग–आगम के बाहर) : ये ग्रंथ अंग–आगमों के विस्तार हैं। इन्हें श्रुतकेवलिन ने संकलित किया था।

- जिन भिक्षुओं को कम से कम दस पूर्वो का ज्ञान होता था, उन्हें श्रुतकेवलिन कहा जाता था।

- श्रुतकेवाल ने अंग–आगमों में परिभाशित विशय–वस्तु का विस्तार करते हुए कई ग्रंथ (सूत्र) लिखे। सामूहिक रूप से इन ग्रंथों को अंग–बाह्य–आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंग–आगमों से बाहर।

- बारहवें अंग–आगम को द्रश्टीवाद कहा जाता है। द्रश्टीवाद में चौदह पूर्व ग्रंथ हैं, जिन्हें पूर्वा या पूर्वा–आगम भी कहा जाता है। अंग–आगमों में, पूर्वा सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ थे।

- वे प्राकृत भाशा में लिखे गए हैं।

गैर–आगम साहित्यः इसमें आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की टिप्पणी और व्याख्या षामिल है, जो वरिश्ठ भिक्षुओं, भिक्षुणियों और विद्वानों द्वारा संकलित किए गए हैं।

वे कई भाशाओं में लिखे गए हैं जैसे प्राकृत, संस्कृत, पुरानी मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और अंग्रेजी।

जैन वास्तुकला क्या है?

जैन वास्तुकला को अपनी स्वयं की एक षैली का श्रेय नहीं दिया जा सकता, यह लगभग हिंदू और बौद्ध षैलियों की एक षाखा थी।

जैन वास्तुकला के प्रकारः

व लयाना/गुम्फा (गुफाएं)

- एलोरा गुफाएँ (गुफा सं. 30–35) – महाराश्ट्र
- मंगी तुंगी गुफा– महाराश्ट्र
- गजपंथ गुफा– महाराश्ट्र
- उदयगिरि–खंडगिरि गुफाएँ– ओडिषा
- हाथीगुम्फा गुफा– ओडिषा
- सित्तनवासल गुफा – तमिलनाडु

व **मूर्तियां**

- गोमेतेश्वर/बाहुबली प्रतिमा– श्रवणबेलगोला, कर्नाटक
- अहिंसा (ऋशभनाथ) की मूर्ति – मांगी–तुंगी पहाड़ियाँ, महाराश्ट्र

व जियानालया (मंदिर)

- दिलवाड़ा मंदिर– माउंट आबू, राजस्थान
- गिरनार और पालिताना मंदिर – गुजरात
- मुक्तागिरी मंदिर– महाराश्ट्र

टिप्पणी

मानस्तम्भः यह मंदिर के सामने की ओर स्थित है, इसका धार्मिक महत्व है, तथा इसके षीर्श पर तथा चारों दिषाओं में तीर्थंकर की छवि अंकित है।

बसाडिसः कर्नाटक में जैन मठ प्रतिश्ठान या मंदिर।

जैन परिशद

प्रथम जैन परिशद

यह युद्ध तीसरी षताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी।

द्वितीय जैन परिशद

512 ई . में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की थी।

12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन।

जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है?

जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी , जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं।

जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है जबकि बौद्ध धर्म करता है।

जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है , जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता।

बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को वस्त्रों का पूर्णतः त्याग करने अर्थात् तपस्वी जीवन जीने की सलाह देता है।

आज की दुनिया में जैन विचारधारा की प्रासंगिकता क्या है?

जैन धर्म का योगदानः

वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास।

प्राकृत और कन्नड़ का विकास।

वास्तुकला और साहित्य में बहुत योगदान दिया।

सामाजिक संदर्भ में व्यावहारिक रूप में अनुवादित जैन अनेकांतवाद सिद्धांत के तीन अर्थ होंगेः

हठधर्मिता या कट्टरता का अभाव

दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना

षांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और सहयोग

इससे बौद्धिक और सामाजिक सहिश्णुता की भावना आती है।

आज के परमाणु विश्व में समाज में स्थाई षांति स्थापित करने के लिए अहिंसा का सिद्धांत प्रमुखता प्राप्त कर रहा है।

अहिंसा की अवधारणा बढ़ती हिंसा और आतंकवाद का मुकाबला करने में भी मदद कर सकती है।

अपरिग्रह का सिद्धांत उपभोक्तावादी आदतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है क्योंकि लालच और अधिकार जताने की प्रवषत्ति में बहुत वषद्धि होती है।

इस विचार के साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी ठीक किया जा सकता है, अवांछित विलासिता को दूर करके, जो कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं।

हिंदू धर्म

हिंदू धर्म , भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न प्रमुख विश्व धर्म , जिसमें दर्षन , विश्वास और अनुश्ठान की कई और विविध प्रणालियाँ षामिल हैं । हालाँकि हिंदू धर्म नाम अपेक्षाकृत नया है, जिसे 19वीं षताब्दी के पहले दषकों में ब्रिटिष लेखकों द्वारा गढ़ा गया था, यह ग्रंथों और प्रथाओं की एक समृद्ध संचयी परंपरा को संदर्भित करता है, जिनमें से कुछ 2 वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व या संभवतः उससे भी पहले के हैं। यदि सिंधु घाटी सभ्यता (तीसरी–दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व) इन परंपराओं का सबसे पहला स्रोत थी, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं, तो हिंदू धर्म पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित धर्म है। संस्कृत और स्थानीय भाशाओं में इसके कई पवित्र ग्रंथों ने धर्म को दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलाने के लिए एक वाहन के रूप में काम किया, हालांकि अनुश्ठान और दृष्य और प्रदर्षन कलाओं ने भी इसके प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग चौथी षताब्दी ईस्वी से, हिंदू धर्म की दक्षिण पूर्व एषिया में एक प्रमुख उपस्थिति थी ,

21वीं सदी की षुरुआत में, हिंदू धर्म के दुनिया भर में लगभग एक अरब अनुयायी थे और यह भारत की लगभग 80 प्रतिषत आबादी का धर्म था । हालाँकि, इसकी वैश्विक उपस्थिति के बावजूद, इसे इसकी कई विषिश्ट क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है ।

हिंदू धर्म षब्द

हिंदू धर्म षब्द भारत में धार्मिक विचारों और प्रथाओं के एक विषिश्ट पदनाम के रूप में जाना जाने लगा, जब सर मोनियर मोनियर–विलियम्स, जो एक प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड

विद्वान और एक प्रभावषाली संस्कृत षब्दकोश के लेखक थे, द्वारा हिंदू धर्म (1877) जैसी पुस्तकों का प्रकाषन किया गया। षुरू में यह एक बाहरी षब्द था, जो हिंदू षब्द के सदियों पुराने उपयोग पर आधारित था। यूनानियों और फारसियों से षुरू होने वाले सिंधु घाटी के षुरुआती यात्रियों ने इसके निवासियों को "हिंदू" (यूनानीः 'इंडोई) कहा, और, 16 वीं षताब्दी में, भारत के निवासियों ने खुद को तुर्कों से अलग करने के लिए बहुत धीरे–धीरे इस षब्द का इस्तेमाल करना षुरू कर दिया। धीरे–धीरे यह भेद जातीय, भौगोलिक या सांस्कृतिक के बजाय मुख्य रूप से धार्मिक हो गया।

19वीं सदी के उत्तरार्ध से, हिंदुओं ने हिंदू धर्म षब्द पर कई तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ ने स्वदेषी सूत्रों के पक्ष में इसे अस्वीकार कर दिया है। दूसरों ने " वैदिक धर्म " को प्राथमिकता दी है, वैदिक षब्द का उपयोग न केवल वेदों के रूप में ज्ञात प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, बल्कि कई भाशाओं में पवित्र कार्यों के एक तरल संग्रह और ऑर्थोप्रैक्स (पारंपरिक रूप से स्वीकृत) जीवन षैली को भी संदर्भित किया जाता है। फिर भी अन्य लोगों ने धर्म को "वैदिक धर्म" कहना चुना है।सनातन धर्म ("षाश्वत कानून"), 19वीं षताब्दी में लोकप्रिय हुआ एक सूत्रीकरण और परंपरा के कालातीत तत्वों पर जोर देता है जिन्हें स्थानीय व्याख्याओं और अभ्यास से परे माना जाता है। अंत में, अन्य लोगों ने, षायद बहुसंख्यकों ने, हिंदू धर्म या इसके अनुरूप षब्द , विषेश रूप से हिंदू धर्म (हिंदू नैतिक और धार्मिक कानून), को विभिन्न भारतीय भाशाओं में आसानी से स्वीकार कर लिया है ।

20वीं सदी के आरंभ से ही हिंदू धर्म पर पुस्तकें स्वयं हिंदुओं द्वारा लिखी गई हैं, अक्सर सनातन धर्म के षीर्शक के अंतर्गत । आत्म–स्पश्टीकरण के ये प्रयास अभ्यास और सिद्धांत को समझाने की एक विस्तृत परंपरा में एक नया स्तर जोड़ते हैं, जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से षुरू होता है। हिंदू धर्म की जड़ें बहुत पीछे तक जा सकती हैं – दोनों षाब्दिक रूप से, दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से महाकाव्य और वैदिक लेखन में संरक्षित टीका और वाद–विवाद के विद्यालयों तक , और दृश्टिगत रूप से, यक्षों (विषिश्ट स्थानों और प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी चमकदार आत्माएं) और नागों (कोबरा जैसे देवता) के कलात्मक चित्रण के माध्यम से, जिनकी पूजा लगभग 400 ईसा पूर्व से की जाती थी। परंपरा की जड़ें कभी–कभी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थलों की खुदाई में सर्वत्र पाई जाने वाली महिला टेरा–कोटा मूर्तियों तक

हिंदू धर्म की सामान्य प्रकृति

किसी भी अन्य प्रमुख धार्मिक समुदाय की तुलना में अधिक आष्चर्यजनक रूप से , हिंदू अपनी परंपराओं की जैविक, बहुस्तरीय और कभी–कभी बहुलवादी प्रकृति को स्वीकार करते हैं और वास्तव में उसका जष्न मनाते हैं। यह व्यापकता व्यापक रूप से साझा किए गए हिंदू दृश्टिकोण से संभव हुई है कि सत्य या वास्तविकता को किसी भी पंथ के सूत्रीकरण में नहीं समाहित किया जा सकता है , यह दृश्टिकोण हिंदू प्रार्थना में व्यक्त किया गया है "सभी तरफ से हमारे लिए अच्छे विचार आएं।" इस प्रकार, हिंदू

धर्म का मानना है कि सत्य को कई स्रोतों में खोजा जाना चाहिए, न कि हठधर्मिता से घोशित किया जाना चाहिए।

सत्य के बारे में किसी का भी दृश्टिकोणकृयहां तक कि किसी गुरु का भी जिसे श्रेश्ठ माना जाता हैकृमूल रूप से समय, आयु, लिंग, चेतना की स्थिति , सामाजिक और भौगोलिक स्थिति और प्राप्ति के चरण की विषिश्टताओं से निर्धारित होता है। ये कई दृ श्टिकोण धार्मिक सत्य के व्यापक दृश्टिकोण को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं ; इसलिए, समकालीन हिंदुओं में यह पुश्टि करने की प्रबल प्रवषत्ति है कि सहिश्णुता सबसे प्रमुख धार्मिक गुण है। दूसरी ओर, वैश्विक वातावरण में रहने वाले महानगरीय हिंदू भी इस तथ्य को पहचानते हैं और महत्व देते हैं कि उनका धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के विषिश्ट संदर्भ में विकसित हुआ है । सार्वभौमिकतावादी और विषेशवादी आवेगों के बीच इस तरह के तनाव ने लंबे समय से हिंदू परंपरा को जीवंत किया है। जब हिंदू अपनी धार्मिक पहचान के बारे में बात करते हैंसनातन धर्म , वे इसके निरंतर, प्रतीत होता है कि षाश्वत (सनातन) अस्तित्व और इस तथ्य पर जोर देते हैं कि यह रीति–रिवाजों, दायित्वों, परंपराओं और आदर्षों (धर्म) के एक जाल का वर्णन करता है जो धर्म को मुख्य रूप से विश्वासों की प्रणाली के रूप में सोचने की पष्चिमी प्रवषत्ति से कहीं आगे है। एक आम तरीका जिससे अंग्रेजी बोलने वाले हिंदू अक्सर खुद को उस मानसिकता से दूर रखते हैं, वह है इस बात पर जोर देना कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।

पांच तन्यता किस्में

भारतीय धार्मिक इतिहास के विस्तार में, कम से कम पाँच तत्वों ने हिंदू धार्मिक परंपरा को आकार दिया हैः सिद्धांत, अभ्यास, समाज, कहानी और भक्ति। एक विषिश्ट हिंदू रूपक को अपनाने के लिए , इन पाँच तत्वों को एक दूसरे से एक विस्तष्त लट में धागों के रूप में संबंधित समझा जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक धागा बातचीत, विस्तार और चुनौती के इतिहास से विकसित होता है। इसलिए, परंपरा को सुसंगत बनाने वाली चीज़ों की तलाष में, कभी–कभी हिंदू विचार और व्यवहार पर स्पश्ट सहमति की अपेक्षा करने के बजाय तनाव के केंद्रीय बिंदुओं का पता लगाना बेहतर होता है।

सिद्धांत

हिंदू धर्म की पाँच धाराओं में से पहली धारा सिद्धांत है, जिसे एक विषाल पाठ्य परंपरा में व्यक्त किया गया है जो हिंदू धर्म पर आधारित है।वेद ("ज्ञान"), हिंदू धार्मिक कथन का सबसे पुराना मूल है, और सदियों से मुख्य रूप से विद्वान ब्राह्मण वर्ग के सदस्यों द्वारा संगठित किया गया है। यहाँ कई विषिश्ट तनाव दिखाई देते हैं। एक दिव्य और दुनिया के बीच के रिष्ते से संबंधित है । दूसरा तनाव धर्म के विश्व–संरक्षण आदर्ष और मोक्ष (स्वाभाविक रूप से दोशपूर्ण दुनिया से मुक्ति) के बीच असमानता से संबंधित है। तीसरा तनाव व्यक्तिगत नियति के बीच मौजूद है, जिसे कर्म (किसी के वर्तमान और भविश्य के जीवन पर उसके कार्यों का प्रभाव) द्वारा आकार दिया जाता है, और व्यक्ति का परिवार, समाज और इन अवधारणाओं से जुड़े देवताओं के साथ गहरा संबंध।

अभ्यास

हिंदू धर्म के ताने–बाने में दूसरा पहलू अभ्यास है। वास्तव में, कई हिंदू इसे पहले स्थान पर रखेंगे। भारत की विषाल विविधता के बावजूद, अनुश्ठान व्यवहार का एक सामान्य व्याकरण हिंदू जीवन के विभिन्न स्थानों, स्तरों और अवधियों को जोड़ता है। हालांकि यह सच है कि वैदिक अनुश्ठान के विभिन्न तत्व आधुनिक व्यवहार में जीवित हैं और इस तरह एक एकीकृत कार्य करते हैं, प्रतीकों या छवियों (मूर्ति , प्रतिमा या अर्चा) की पूजा में बहुत अधिक प्रभावषाली समानताएं दिखाई देती हैं। मोटे तौर पर, इसे पूजा ("सम्मान (देवता)") कहा जाता है; यदि पुजारी द्वारा मंदिर में किया जाता है, तो इसे अर्चना कहा जाता है । यह आतिथ्य की परंपराओं को प्रतिध्वनित करता है जो किसी सम्मानित अतिथि के लिए किया जा सकता है, विषेश रूप से भोजन देना और साझा करना। ऐसे भोजन कोप्रसाद (हिंदी में प्रसाद का अर्थ है "कृपा"), यह मान्यता दर्षाता है कि जब मनुश्य देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वास्तव में पहल उनकी नहीं होती है। वे वास्तव में उस उदारता का जवाब दे रहे होते हैं जिसने उन्हें जीवन और संभावनाओं से भरपूर दुनिया में ला खड़ा किया है।घर या मंदिर की छवि के रूप में स्थापित दिव्य व्यक्तित्व प्रसाद ग्रहण करता है , इसे चखता है (हिंदुओं में इस बात पर मतभेद है कि क्या यह एक वास्तविक या प्रतीकात्मक कार्य है, स्थूल या सूक्ष्म) और भक्तों को अवषेश प्रदान करता है। कुछ हिंदू यह भी मानते हैं कि प्रसाद उस देवता की कृपा से भर जाता हैजिसे इसे चढ़ाया जाता है। इन बचे हुए भोजन का सेवन करके, उपासक अपनी स्थिति को दिव्य से कमतर और उन पर निर्भर होने के रूप में स्वीकार करते हैं। तनाव का एक तत्वइसलिए पैदा होता है क्योंकि पूजा और प्रसाद का तर्कसभी मनुश्यों को भगवान के संबंध में एक समान दर्जा देता है

समाज

तीसरा पहलू जिसने हिंदू जीवन को संगठित करने में मदद की है वह है समाज। ग्रीस और चीन से भारत आने वाले षुरुआती आगंतुक और बाद में, फारसी विद्वान और वैज्ञानिक अल–बिरूनी जैसे अन्य लोग , जिन्होंने 11वीं षताब्दी की षुरुआत में भारत की यात्रा की, वे अत्यधिक स्तरीकृत (यदि स्थानीय रूप से भिन्न) सामाजिक संरचना से प्रभावित हुए, जिसे परिचित रूप से समाज कहा जाता है।जाति व्यवस्था। हालांकि यह सच है कि चार आदर्ष वर्गों में विभाजित समाज की प्राचीन दृश्टि के बीच बहुत बड़ी असमानता है (वर्णों) और हजारों अंतर्विवाही जन्म–समूहों (जातियों , षाब्दिक रूप से "जन्म") की समकालीन वास्तविकता, कुछ लोग इनकार नहीं करेंगे कि भारतीय समाज उल्लेखनीय रूप से बहुवचन और पदानुक्रमित है। इस तथ्य का सत्य या वास्तविकता की समझ के साथ बहुत कुछ लेना–देना है, जो समान रूप से बहुवचन और बहुस्तरीय है – हालांकि यह स्पश्ट नहीं है कि प्रभाव मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांत से समाज तक या इसके विपरीत हुआ है। इस पहेली का अपना उत्तर खोजते हुए , एक प्रसिद्ध वैदिक भजन (ऋग्वेद 10.90) बताता है कि कैसे, समय की षुरुआत में, आदि पुरुश ने बलिदान की एक प्रक्रिया से गुज़रा, जिसने चार भाग वाले ब्रह्मांड और उसके मानव समकक्ष, चार भागों वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया,ब्राह्मण (पुजारी), क्षत्रिय (योद्धा और कुलीन), वैष्य (आम लोग), और षूद्र (सेवक) षामिल थे ।

धार्मिक अभ्यास और सिद्धांत के क्षेत्र की तरह सामाजिक क्षेत्र भी एक विषेश तनाव से चिह्नित है। एक दृश्टिकोण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह सत्य को एक ऐसे तरीके

से देखता है जो अनिवार्य रूप से अलग होता है, जो उसके अपने दृश्टिकोण को दर्षाता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे षब्दों में बोलने और कार्य करने की अनुमति देकर ही कोई समाज सत्य या वास्तविकता का उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर भी विचार की इस संदर्भ–संवेदनषील आदत का उपयोग विषेशाधिकार और पूर्वाग्रह पर आधारित सामाजिक प्रणालियों को वैध बनाने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि यह माना जाता है कि कोई भी मानक सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता है, तो एक समूह बहुत आसानी से दूसरे पर अपने प्रभुत्व को सही ठहरा सकता है। इसलिए, ऐतिहासिक रूप से, कुछ हिंदुओं ने सिद्धांत के स्तर पर सहिश्णुता का समर्थन करते हुए , सामाजिक क्षेत्र में जाति भेद बनाए रखा है।

कहानी

रावण रावण, दस सिर वाला राक्षस राजा, रामायण के गुलेर चित्रकला से विवरण , लगभग 1720।

हिंदुओं को एक ही समुदाय में लाने वाला एक और आयाम कथा है। कम से कम दो सहस्राब्दियों से, भारत के लगभग सभी कोनों में और अब उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने दैवीय खेल और देवताओं और मनुश्यों के बीच संबंधों की कहानियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये कहानियाँ हिंदू देवताओं के प्रमुख व्यक्तित्वों से संबंधित हैंः कृश्ण और उनकी प्रेमिका राधा , राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण, षिव और उनकी पत्नी पार्वती (या, एक अलग जन्म में, सती), और महान देवी दुर्गा , या देवी, भैंस राक्षस महिशासुर का वध करने वाली। अक्सर ऐसी कहानियाँ दैवीय और मानवीय क्षेत्रों के अंतर्संबंध को दर्षाती हैं, जिसमें कृश्ण और राम जैसे देवता पूरी तरह से मानवीय नाटक में प्रवेष करते हैं। कई कहानियाँ अलग–अलग हद तक मानव अनुभव की वंषावली, प्रेम के रूपों और व्यवस्था और अराजकता या कर्तव्य और खेल के बीच संघर्श पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन कहानियों को बनाने, प्रदर्षन करने और सुनने में, हिंदुओं ने अक्सर खुद को एक ही काल्पनिक परिवार के सदस्यों के रूप में अनुभव किया है। फिर भी, साथ ही, ये कथाएँ धार्मिक व्यवहार और सामाजिक असमानताओं से जुड़े तनावों को स्पश्ट करने का काम करती हैं। इस प्रकार, रामायण , जो पारंपरिक रूप से राम की धार्मिक जीत का प्रमाण है, कभी–कभी महिला कलाकारों द्वारा राम के हाथों सीता के कश्टों की कहानी के रूप में सुनाई जाती है। उत्तर भारत में निचली जाति के संगीतकार आल्हा या ढोला जैसे धार्मिक महाकाव्यों को ऐसे षब्दों में प्रस्तुत करते हैं जो दुनिया के उनके अपने अनुभव को दर्षाते हैं, न कि महान संस्कृत धार्मिक महाकाव्य महाभारत के उच्च जाति के परिवेष को , जिसे ये महाकाव्य फिर भी प्रतिध्वनित करते हैं। व्यापक रूप से ज्ञात, अखिल हिंदू, पुरुश–केंद्रित कथा परंपराओं के लिए, ये रूप प्रतिध्वनि और चुनौती दोनों प्रदान करते हैं।

भक्ति

एक पांचवां पहलू भी है जो समय के साथ हिंदू अनुभव की एकता में योगदान देता हैःभक्ति ("साझा करना" या "भक्ति"), एक प्रेममय ईश्वर की एक व्यापक परंपरा है जो विषेश रूप से पूरे भारत में स्थानीय कवि–संतों के जीवन और षब्दों से जुड़ी है। इन

प्रेरित आकृतियों, जो दोनों लिंगों और सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं, से जुड़ी भक्ति कविताओं ने छवियों और मनोदषाओं का एक भंडार तैयार किया है, जिस तक कई भाशाओं में पहुँच हो सकती है। भक्ति छंद सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिल में दिखाई दिया और उत्तर की ओर विभिन्न भाशाओं वाले अन्य क्षेत्रों में चला गया। व्यक्तिगत कविताएँ कभी–कभी एक भाशा या षताब्दी से दूसरी भाशा में आष्चर्यजनक रूप सेसमान होती हैं, बिना अखिल भारतीय, विषिश्ट रूप से उच्च जाति की भाशा संस्कृत के माध्यम से मध्यस्थता का कोई निषान मिले । अक्सर, भक्ति कवि–संतोंके जीवन में व्यक्तिगतरूपांकनों में भी मजबूत पारिवारिक समानताएँ होती हैं । फिर भी भक्ति की कुछ अभिव्यक्तियाँजाति, मूर्ति पूजा, व्रतों, तीर्थयात्राओं और आत्म–पीड़ा के कृ त्यों की आलोचना में अन्य की तुलना में कहीं अधिक टकरावपूर्ण हैं

केंद्रीय अवधारणाएँ

निम्नलिखित खंडों में, इस जटिल समग्रता के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया जाएगा, जो मुख्य रूप से हिंदू परंपरा के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करेगा। इस दृश्टिकोण की अपनी लागत है, क्योंकि यह परंपरा के उन पहलुओं को प्राथमिकता देता प्रतीत हो सकता है जो इसके सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में दिखाई देते हैं। इन ग्रंथों का संरक्षण मुख्य रूप से उच्च जाति के पुरुशों, विषेश रूप से ब्राह्मणों के परिश्रम के कारण हुआ है, और अक्सर दूसरों के दृश्टिकोण के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। इसलिए, उन्हें धारा के साथ और उसके विपरीत दोनों तरह से पढ़ा जाना चाहिए, महिलाओं, क्षेत्रीय समुदायों और निम्न स्तर के लोगों की ओर से चुप्पी और अनुपस्थित खंडन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए – जिनमें से सभी आजकल खुद को हिंदू कहते हैं या ऐसे समूहों से पहचान रखते हैं जिन्हें समझदारी से व्यापक हिंदू दायरे में रखा जा सकता है।

वेद,ब्राह्मण और धार्मिक अधिकार के मुद्दे

ऊंची जातियों के लोगों के लिए हिंदू धर्म की एक प्रमुख विषेशता पारंपरिक रूप से वेदों को भारतीय धार्मिक साहित्य के सबसे प्राचीन निकाय के रूप में मान्यता देना रही है, जो मौलिक और अकाट्य सत्य को उजागर करने वाला एक पूर्ण अधिकार है। वेद को सभी बाद के षास्त्र ग्रंथों का आधार भी माना जाता है, जो ब्राह्मणों के धार्मिक गुणों पर जोर देते हैं– उदाहरण के लिए, आयुर्वेद के रूप में ज्ञात चिकित्सा कोश । वेद के कुछ हिस्सों को आवष्यक हिंदू अनुश्ठानों (जैसे विवाह समारोह) में उद्धृत किया जाता है, और यह हिंदू विचारों के कई स्थायी पैटर्न का स्रोत है, फिर भी इसकी सामग्री ज्यादातर हिंदुओं के लिए व्यावहारिक रूप से अज्ञात है। अधिकांष हिंदू इसे दूर से पूजते हैं। अतीत में, जिन समूहों ने इसके अधिकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था (जैसे बौद्ध और जैन) उन्हें हिंदुओं द्वारा विधर्मी माना जाता था

अधिकांष हिंदू विचारों की एक और विषेशता है ब्राह्मणों को जन्म से आध्यात्मिक सर्वोच्चता रखने वाले एक पुरोहित वर्ग के रूप में विषेश सम्मान। धार्मिक षक्ति की विषेश अभिव्यक्ति और वेदों के वाहक और षिक्षक के रूप में, ब्राह्मणों को अक्सर

अनुश्ठान षुद्धता और सामाजिक प्रतिश्ठा के आदर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। फिर भी इसे या तो धार्मिक अधिकार के प्रतिस्पर्धी दावों द्वारा चुनौती दी गई है – विषेश रूप से राजाओं और अन्य षासकों द्वारा – या इस दृश्टिकोण से कि ब्राह्मणत्व एक ऐसा पद है जो जन्म से नहीं बल्कि गहन ज्ञान से प्राप्त होता है। इन दोनों चुनौतियों के प्रमाण वैदिक साहित्य में ही पाए जा सकते हैं, विषेश रूप से उपनिशदों में (कल्पनाषील धार्मिक ग्रंथ जो वेदों पर भाश्य प्रदान करते हैं), और भक्ति साहित्य ऐसे लघुचित्रों से भरा पड़ा है, जिसमें ब्राह्मणों की संकीर्ण सोच की तुलना धार्मिक अनुभव की सच्ची गहराई से की गई है, जैसा कि कबीर और रविदास जैसे कवि–संतों के उदाहरणों में किया गया है ।

सिद्धांतआत्मान –ब्रह्म

अधिकांष हिंदू ब्रह्म में विश्वास करते हैं , जो कि अनुपचारित, षाश्वत, अनंत , पारलौकिक और सर्वव्यापी सिद्धांत है। ब्रह्म में अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों समाहित हैं, और यह एकमात्र वास्तविकता है – सभी अस्तित्व का अंतिम कारण, आधार, स्रोत और लक्ष्य। सर्व के रूप में, ब्रह्म या तो ब्रह्मांड और सभी प्राणियों को स्वयं से उत्पन्न करता है, स्वयं को ब्रह्मांड में रूपांतरित कर लेता है, या ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेता है। ब्रह्म सभी चीजों में है और सभी जीवों का स्व (आत्मान) है। ब्रह्म हर चीज का निर्माता, संरक्षक, या परिवर्तक और पुनःअवषोशक है। हालांकि, हिंदुओं में इस बात पर मतभेद है कि क्या इस अंतिम वास्तविकता की सर्वोत्तम कल्पना विषेशताओं और गुणों से रहित के रूप में की जाती है – निराकार ब्रह्म – या एक व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में, विषेश रूप से विश्णु , षिव , या षक्ति एक जो सर्वस्व है, उसकी खोज के महत्व में विश्वास 3,000 वर्शों से भी अधिक समय से भारत के आध्यात्मिक जीवन की एक विषिश्ट विषेशता रही है।

कर्म ,संसार , औरमोक्ष

हिंदू आम तौर पर पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत और कर्म में पूरक विश्वास को स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म की पूरी प्रक्रिया, जिसे संसार कहा जाता है , चक्रीय है, जिसका कोई स्पश्ट आरंभ या अंत नहीं है, और इसमें निरंतर, क्रमिक आसक्तियों का जीवन षामिल है । इच्छा और तृश्णा से उत्पन्न क्रियाएं व्यक्ति की आत्मा (जीव) को जन्म और मृत्यु की अंतहीन श्रृंखला में बांधती हैं। इच्छा किसी भी सामाजिक संपर्क (विषेश रूप से जब सेक्स या भोजन षामिल हो) को प्रेरित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अच्छे और बुरे कर्मों का पारस्परिक आदान–प्रदान होता है। एक प्रचलित दृश्टिकोण में, मोक्ष का अर्थ ही इस दलदल से मुक्ति (मोक्ष) है, जो सांसारिक अस्तित्व की अंतर्निहित विषेशता है । इस दृश्टिकोण में एकमात्र लक्ष्य एक स्थायी और षाश्वत सिद्धांत हैः एक, ईश्वर, ब्रह्म , जो पूरी तरह से अभूतपूर्व अस्तित्व के विपरीत है। जिन लोगों ने पूरी तरह से महसूस नहीं किया है कि उनका अस्तित्व ब्रह्म के समान है, उन्हें इस प्रकार भ्रमित माना जाता है। सौभाग्य से, मानव अनुभव की संरचना ही ब्रह्म और आत्मा के बीच अंतिम पहचान सिखाती है । कोई व्यक्ति इस पाठ को विभिन्न तरीकों से सीख सकता हैः सभी जीवित प्राणियों के साथ अपनी मौलिक समानता का एहसास करके, दिव्य की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के प्रति प्रेम से प्रतिक्रिया करके , या यह

समझकर कि उसकी जागृत चेतना के प्रतिस्पर्धी ध्यान और मनोदषाएं एक पारलौकिक एकता पर आधारित हैं – गहरी, स्वप्नहीन नींद के दैनिक अनुभव में उसे इस एकता का स्वाद मिलता है।

धर्म और तीन मार्ग

हिंदू कई मार्गों की वैधता को स्वीकार करते हैं (मार्गा एस) ऐसी रिहाई की ओर।भगवद्गीता ("ईश्वर का गीत"; लगभग 100 ई.), एक अत्यंत प्रभावषाली हिंदू ग्रंथ, मोक्ष के तीन मार्ग प्रस्तुत करता हैःकर्म–मार्ग (" अनुश्ठान क्रिया का मार्ग" या "कर्तव्यों का मार्ग"), अनुश्ठान और सामाजिक दायित्वों का निःस्वार्थ निर्वहन;ज्ञान–मार्ग ("ज्ञान का मार्ग"), ब्रह्म के साथ अपनी पहचान में एक अति बौद्धिक अंतर्दृश्टि प्राप्त करने के लिए लंबे और व्यवस्थित नैतिक और चिंतनषील प्रषिक्षण (योग) से पहले ध्यानात्मक एकाग्रता का उपयोग ; औरभक्ति–मार्ग ("भक्ति का मार्ग"), एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम। इन मार्गों को विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन वे परस्पर संवादात्मक हैं और संभावित रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं।

यद्यपि मोक्ष की खोज हिंदू जीवन में तप साधना और जीवन के अंत में संसार से विमुख होने के आदर्ष के माध्यम से संस्थागत है, फिर भी कई हिंदू ऐसी प्रथाओं की उपेक्षा करते हैं। भगवद्गीता में कहा गया है कि चूँकि क्रिया अपरिहार्य है, इसलिए तीनों मार्गों को एक साथ संसार की देखभाल (धर्म) और संसार से मुक्ति (मोक्ष) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में सोचना बेहतर है। इच्छा और महत्वाकांक्षा के निलंबन के माध्यम से और अपने कार्यों के फलों (फल) से अलगाव के माध्यम से, व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से संलग्न करते हुए मुक्त होने में सक्षम होता है। यह अधिकांष हिंदुओं के वास्तविक लक्ष्यों से मेल खाता है, जिसमें अपने सामाजिक और अनुश्ठान कर्तव्यों को ठीक से निश्पादित करना; अपनी जाति, परिवार और पेषे का समर्थन करना; और ब्रह्मांड, प्रकृति और समाज में एक व्यापक स्थिरता प्राप्त करने के लिए काम करना षामिल है । चूँकि कोई भी व्यक्ति सभी सामाजिक, व्यावसायिक और आयु–परिभाशित भूमिकाओं को नहीं निभा सकता है जो समग्र रूप से जीवन–जीव के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवष्यक हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत (जैसे,अहिंसा , नुकसान न पहुँचाने की इच्छा) को चार प्रमुख वर्णों में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त अधिक–विषिश्ट धर्मों द्वारा योग्य बनाया गया हैः ब्राह्मण (पुजारी), क्षत्रिय (योद्धा और कुलीन), वैष्य (सामान्य लोग), और षूद्र (सेवक)। इन चार श्रेणियों को हज़ारों विषेश जातियों (जातियों) में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त अधिक व्यावहारिक रूप से लागू धर्मों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और ये, बदले में, किसी के लिंग और जीवन के चरण (आश्रम) के लिए उपयुक्त दायित्वों से कटे हुए हैं। सिद्धांत रूप में, हिंदू नैतिकता अत्यंत संदर्भ–संवेदनषील है, और हिंदू विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उनका जष्न मनाते हैं।

आश्रम : जीवन के चार चरण

यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों ने अक्सर हिंदू धर्म के तथाकथित "जीवन–विरोधी" पहलुओं पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर दिया है – उदाहरण के लिए योग के कठोर

अनुषासन ।तप और कामुकता, जो मुक्ति की आकांक्षा और संतान पैदा करने तथा सांसारिक जीवन जारी रखने की हार्दिक इच्छा के बीच संघर्श का रूप ले लेती है, हिंदू सामाजिक जीवन में जीवन के विभिन्न लक्ष्यों और चरणों के बीच तनाव के रूप में प्रकट होती है। कई षताब्दियों से एक सक्रिय जीवन और पुण्य कार्यों (प्रवृत्ति) के प्रदर्षन का सापेक्ष मूल्य, सभी सांसारिक हितों और गतिविधियों (निवृत्ति) के त्याग के विपरीत , एक बहुत बहस का मुद्दा रहा है। जबकि उपनिशद जैसे दार्षनिक कार्यों ने त्याग पर जोर दिया, धर्म ग्रंथों ने तर्क दिया कि जो गृहस्थ अपनी पवित्र अग्नि को बनाए रखता है, बच्चे पैदा करता है, और अपने अनुश्ठान कर्तव्यों को अच्छी तरह से करता है, वह भी धार्मिक पुण्य अर्जित करता है। लगभग 2,000 साल पहले इन धर्म ग्रंथों ने चार आश्रमों ("निवास") के सामाजिक सिद्धांत को विस्तृत किया।ब्रह्मचारी बनें; फिर विवाहित गृहस्थ बनें (गृहस्थ , पुत्र उत्पन्न करके अपने पूर्वजों के प्रति तथा यज्ञ करके देवताओं के प्रति अपने ऋण से मुक्ति पाता है; फिर संन्यास ले लेता है (एक गृहस्थ के रूप में) ।वानप्रस्थ , अपनी पत्नी के साथ या उसके बिना, आध्यात्मिक चिंतन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए जंगल में चले जाते हैं; और अंततः, लेकिन अनिवार्य नहीं, एक बेघर भटकने वाले तपस्वी बन जाते हैं (संन्यासी)। वनवासी की स्थिति हमेषा एक नाजुक समझौता थी जिसे व्यावहारिक जीवन में अक्सर छोड़ दिया जाता था या अस्वीकार कर दिया जाता था।

हालाँकि गष्हस्थ की अक्सर प्रषंसा की जाती थी – कुछ अधिकारी, विद्यार्थी जीवन को इस आश्रम के लिए मात्र तैयारी मानते हुए , अन्य सभी चरणों को हीन मानने तक चले गए – हमेषा ऐसे लोग होते थे जो विद्यार्थी जीवन के तुरंत बाद ही घुमक्कड़ संन्यासी बन जाते थे। सिद्धांतकार भिन्न–भिन्न विचारों और प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इच्छुक थे , जो उन लोगों को तपस्वी जीवन षैली अपनाने की अनुमति देते थे जो सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त थे (पूर्व जन्मों में संयमित आचरण के प्रभावों के कारण), भले ही वे पारंपरिक पूर्व चरणों से न गुजरे हों।

ऐसे जीवन चरणों का वर्णन करने वाले ग्रंथ पुरुशों द्वारा पुरुशों के लिए लिखे गए थे; उन्होंने महिलाओं के लिए उपयुक्त चरणों पर बहुत कम ध्यान दिया। उदाहरण के लिए, मनु–स्मषति (100 ई.पू .; मनु के नियम), विवाह को एक छात्रा के जीवन में दीक्षा के बराबर मानने से संतुश्ट थी, जिससे लड़कियों को जीवन के छात्र चरण से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा, गष्हस्थ अवस्था में, एक महिला का उद्देष्य उसके पति की सेवा के षीर्शक के तहत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, हम वास्तविक अभ्यास के बारे में जो जानते हैं, वह इस विचार को चुनौती देता है कि इन पितष्सत्तात्मक मानदंडों को कभी पूरी तरह से लागू किया गया था या महिलाओं ने उन मूल्यों को पूरी तरह से स्वीकार किया था जो उन्होंने पूर्वकल्पित किए थे। जबकि कुछ महिलाएँ तपस्वी बन गईं, कई और लोगों ने अपने धार्मिक जीवन को धन्यता की स्थिति को महसूस करने पर केंद्रित किया, जिसे एक साथ सांसारिक और एक बड़े ब्रह्मांडीय कल्याण की अभिव्यक्ति के रूप में समझा गया था। महिलाओं ने अक्सर अपने पति और परिवारों के लाभ के लिए अपने पास मौजूद षुभ जीवन देने वाली षक्ति (षक्ति) की खेती को निर्देषित किया है, लेकिन एक आदर्ष के रूप में, इस षक्ति का स्वतंत्र दर्जा है।

इकाई.4 भारत की भूगोलः आकार, स्थान, प्रभाग और पर्वत |Geography of India% Size] Location] Division and MountainRanges Read this article in Hindi to learn about)–

1. भारत का आकार एवं अवस्थिति Size and Location of India

2. भारत के भौगोलिक प्रदेष

3. भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ तथा उनके सबसे ऊँचे षिखर

4.भारत का आकार एवं अवस्थिति

क्षेत्रफल में भारत विश्व का सातवां तथा जनसंख्या में चीन के पष्चात दूसरा सबसे बड़ा देष है । मानव सभ्यता का साक्षी, भारतवर्श हिमालय की बर्फ से ढ़की चोटियों से लेकर अंडमान–निकोबार के दक्षिणी छोर इंदिरा प्वाइंट तक फैला हुआ है । पूर्व में अरुणाचल प्रदेष एवं ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ घाटी से लेकर पष्चिम में थार के बंजर मरुस्थल तक व्याप्त है ।

भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है । भारत का अक्षांषीय विस्तार 8०4ञछ से 37०6ञछ तथा 68०72 पूर्व से लेकर 97०252 पूर्व तक है । इसकी उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 3214 किलोमीटर, तथा पष्चिम से पूर्व की लम्बाई 2933 किलोमीटर है ।

भारत के सीमान्त की लम्बाई लगभग 15,000 किलोमीटर है तथा मुख्य भू–भाग के तट की लम्बाई द्वीप की तटीय लम्बाई को मिलाकर 7517 किलोमीटर है ।

भारत की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बंग्लादेष से मिलती है । दक्षिण में पाक–जल डमरूमध्य (च्ंसा–ैजतंपज) भारत को श्रीलंका से अलग करती है । निकटवर्ती देषों के साथ भारत की सीमा की लम्बाई तालिका 10.2 में दिखाई गई है ।

भारत की सीमा, पड़ोसी देषों के साथः

1. अफ्गानिस्तान– जम्मू–कष्मीर ।

2. बंग्लादेष– असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तथा प. बंगाल ।

3. भूटान– अरुणाचल प्रदेष, असम, सिक्किम तथा प. बंगाल ।

4. चीन– अरुणाचल प्रदेष, हिमाचल प्रदेष, जम्मू–कष्मीर, सिक्किम तथा उत्तराखण्ड ।

5. म्यांमार– अरुणाचल प्रदेष, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड ।

6. नेपाल– बिहार, सिक्किम, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेष तथा प. बंगाल ।

7. पाकिस्तान– गुजरात, जम्मू–कष्मीर, पंजाब तथा राजस्थान ।

Notes

भारत में परिदृश्य

भारत के भौगोलिक अतिरेक (प्दकपं ळमवहतंचीपबंस म्गजतमउमे)ः

अधिकतम तापमान वाला स्थान– बरियावाली, जिला बिकानेर, 56० ब्, 5 जून, 1991

सबसे ठंडा (ब्वसकमेज) स्थान– दराज–लद्दाख (जम्मू–कष्मीर) –45०

सबसे अधिक वर्शा का स्थान– मासिनराम (डूंलदतंउ)– मेघालय, औसत वार्शिक वर्शा लगभग 11875 मिलीमीटर ।

सबसे ऊँचा षिखर– ज्ञ2, जम्मू–कष्मीर ।

सबसे लम्बी नदी– गंगा 2510 किलोमीटर, बेसिन 861,400 वर्ग किलोमीटर ।

सबसे बड़ा नदीय द्वीप– माजुली (डंरनसप)– ब्रह्मपुत्र नदी में । इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर ।

भारत का सबसे बडा मरुस्थल– थार का मरुस्थल, क्षेत्रफल लगभग 259,000 वर्ग कि. मी.

भारत का सबसे बडा पठार– दक्कन का पठार क्षेत्रफल– 1,00,000 वर्ग किलोमीटर ।

सबसे ऊँचा जल–प्रपात– षरावती नदी पर अवस्थित जोग (श्रवह) जल–प्रपात, जिसका जल 253 मीटर की ऊँचाई से गिरता है ।

सबसे लम्बी तटीय रेखा का राज्य– गुजराज, तट की लम्बाई 1600 किलोमीटर ।

सबसे लम्बा समुद्र तट (ठमंबी)– मैरिना बीच (डंतपदं–ठमंबी)– चेन्नई के इस बीच की लम्बाई लगभग 13 किलोमीटर है । यह विश्व के सबसे लम्बे बीचों में से एक है ।

सबसे बड़ी खारे (लवणीय) जल की झील (ठतंबापेी ॅंजमत संम)– ओडीषा की चिल्का झील, जिसका क्षेत्रफल लगभग 916 वर्ग किलोमीटर है ।

सबसे लम्बी सुरंग– खरबूडे सुरंग, जिसकी लम्बाई 6.45 किलोमीटर है । यह सुरंग मुम्बई से गोवा जाने वाले रेल मार्ग पर है ।

सबसे लम्बी नहर– इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लम्बाई 682 किलोमीटर है ।

सबसे ऊँचा बाँध– भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाये गये इस बाँध की ऊँचाई 226 मीटर है ।

पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य– हिमाचल प्रदेष तथा सिक्किम ।

आंषिक रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य– असम, जम्मू–कष्मीर तथा उत्तराखण्ड द्य

भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का नाम– रैडक्लिफ रेखा (त्मक ब्सपिि स्पदम) द्य

पाकिस्तान एवं अफ्गानिस्तान की सीमा का नाम– डूरण्ड रेखा (क्नतंदक स्पदम) द्य

टैन डिग्री चैनल (ज्मद क्महतमम बेंददमस)– यह जलसंधि अण्डमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है ।

ग्रेट–चैनल– यह लघु–अण्डमान को दक्षिण अण्डमान से अलग करता है ।

भारत के भौगोलिक प्रदेष (चैलेपवहतंचीपब क्पअपेपवदे व ्पिदकपं):

भू–आकृतियों एवं उच्चावच के आधार पर, भारत को निम्नलिखित प्रदेषों में विभाजित किया जा सकता हैः

1. हिमालय का पर्वतीय प्रदेष उत्तरी

2. उत्तरी भारत का मैदान

3. प्रायद्वीप का पठार

4. तटीय मैदान

5. भारत के द्वीप समूह

हिमालय अथवा हिमाद्री (भ्पउंसंलें वत भ्पउंकतप):

हिमालय पर्वत विश्व के सबसे ऊँचे, तरुण अवस्था के पर्वत हैं । सिन्धु नदी की घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी (ळवतहम) हिमालय पर्वत की लम्बाई लगभग 2400 किलोमीटर है । जम्मू–कष्मीर में इनकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेष में हिमालय की चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है ।

हिमालय के दक्षिणी छोर पर षिवालिक तथा उत्तरी भारत का मैदान फैले हुये हैं द्य

हिमालय पर्वत में 8000 मीटर से ऊँचे षिखरों की संख्या 21 है तथा 7500 मीटर से अधिक ऊँचे षिखरों की संख्या 40 है ।

हिमालय पर्वत के सबसे ऊँचे षिखरों को थ्पह. 10.2 में दिखाया गया है तथा उनकी ऊंचाई तालिका 10.4 में दी गई हैं ।

हिमालय पर्वत के भागः

हिमालय पर्वत को निम्न चार समानान्तर भागों में विभाजित किया जा सकता हैः

1. टैथीज़ / तिब्बती अथवा पार हिमालय दृ इस भाग में कराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर पर्वत मालायें सम्मलित हैं ।

2. दीर्घ अथवा वष्हद् हिमालय (भ्पहीमत वत ळतमंजमत भ्पउंसंलं)

3. लघु हिमालय (स्मेमत भ्पउंसंलं)

4. बाह्य–हिमालय अथवा षिवालिक (ैपूंसपो)

1. **टैथीज/तिब्बती अथवा पार–हिमालयः**

दीर्घ हिमालय पार इन पर्वत मालाओं की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है । इसकी ऊँचाई 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक है । इनकी चट्टानें जीवाष्मी हैं, जो कैम्ब्रियन (ब्ंउइतपंद) युग से लेकर इयोसीन (म्वबमदम) युग की बनी हुई हैं ।

2. आन्तरिक/दीर्घ अथवा वष्हद् हिमालय

दीर्घ हिमालय में विश्व का सबसे ऊँचा षिखर सम्मलित है । इसकी औसत ऊँचाई 6000 मीटर से अधिक ऊँचे है । हिमालय का यह भाग ग्रेनाइट एवं नीस (ळतंदपजम दक ळदमपेमे) का बना हुआ है । इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है ।

3. लघु हिमालय

दीर्घ हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय श्रष्ंखला व्याप्त है । इनमें बहुत–सी जटिल तथा पेचीदा श्रेणियाँ हुई हैं, जिनमें पीरपंजाल (च्पत–च्ंदरंस) तथा धौलाधर (क्रींनसंकींत) श्रेणियाँ सम्मिलित हैं । लघु–हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है । इनकी चट्टानों में जीवाष्म नहीं पाये जाते ।

4. बाह्य हिमालय अथवा षिवालिक (ीपूंसपो):

लघु हिमालय के दक्षिण में षिवालिक पर्वत फैले हुये हैं । यह पर्वत माला टर्षियरी (ज्मतजपंतल) युग की चट्टानों से बनी हुई है । पष्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर लम्बाई तक फैले षिवालिक की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तथा ऊँचाई 1300 मीटर के आस–पास है ।

हिमालय पर्वत का समाज पर प्रभावः

हिमालय पर्वत का भारत की जलवायु तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।

भारत के लिये हिमालय का महत्व निम्न प्रकार हैः

जलवायुः

भारत की जलवायु पर हिमालय पर्वत का भारी प्रभाव पड़ा है । बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में हिमालय पर्वत एक रोधक का काम करते हैं तथा ये हवायें भारत में अधिक वर्शा देती हैं । साईबेरिया से आने वाले अति ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है । कहा जाता है कि यदि हिमालय पर्वत न होता तो उत्तरी भारत के मैदान में भारी हिमपात होता तथा इसकी फसलों के प्रतिरूपों एवं जनसंख्या घनत्व पर भारी प्रभाव पड़ता ।

सदानीरा नदियों का उद्गमः

भारत में अधि कतर सदानीर नदियाँ हिमालय के ग्लेषियरों (ळसंबपंते) से निकलती हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, सतलज आदि मुख्य हैं ।

उपजाऊ भूमिः

उत्तरी भारत की बड़ी तथा उनकी सहायक नदियाँ हर साल मैदानी भाग में भारी मात्रा में उपजाऊ अवसाद एकत्रित करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वकता बनी रहती है ।

वन सम्पदाः

हिमालय पर्वत विभिन्न प्रकार के घने जंगलों से ढके हुये हैं, जिनमें बहुत–सी जड़ी–बूटियाँ भी पाई जाती हैं ।

पन–बिजलीः

हिमालय पर्वत में बहने वाली नदियों पर बाँध बनाकर पन–बिजली का उत्पादन किया जा रहा है । चिनाब नदी पर दूलहस्ती, बगलिहार तथा सलाल, सतलज नदी पर भाखड़ा, बाँध, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं ।

सुरक्षाः

हिमालय पर्वत ने एक सुरक्षक एवं संतरी का काम किया है । 1962 के चीन के आक्रमण को छोड़कर भारत पर कभी भी उत्तर की ओर से आक्रमण नहीं हुआ है ।

खनिज सम्पदाः

हिमालय पर्वत में बहुत–से खनिज पाये जाते हैं, जिनमें ताँबा, सीसा, जस्ता, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चान्दी, बहुमूल्य पत्थर जिप्सम, चूने का पत्थर, संगमरमर तथा इमारती पत्थर सम्मिलित हैं ।

पर्यटनः

हिमालय पर्वत के सुन्दर एवं प्राकृतिक दृष्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्शित करते हैं ।

गुलमर्ग, सोवर्मग, पहलगाम, यूसमर्ग, श्रीनगर (कष्मीर), डलहौजी, धर्मषाला, चम्बा, षिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, देहरादून, रानीखेत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, गंगटोक तथा ईटानगर विश्व प्रसिद्ध पयर्टक केन्द्र हैं ।

धार्मिक स्थलः

हिमालय पर्वत में बहुत–से धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं जिनमें अमरनाथ, वैश्णों देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ज्वालाजी, उत्तर काषी, हरिद्वार तथा यमुनोत्री उल्लेखनीय हैं ।

•. अल्पाईन–चारागाहः

हिमालय पर्वत की ऊँचाइयों पर बहुत–से घास के मैदान हैं जो षीत ऋतु में बर्फ में दब जाते हैं तथा ग्रीश्म काल में बक्करवाल, गुज्जर, भूटिया आदि अपने पषुओं को इन चारागाहों में चराते हैं ।

अनूसूचित जनजातियों की संस्कृति का गवाहः

हिमालय पर्वत में बहुत–सी अनुसूचित जनजातियां रहती हैं । उनकी जीवन षैली तथा संस्कृति इन्हीं पर्वतों में सुरक्षित हैं ।

भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ तथा उनके सबसे ऊँचे षिखर (डवनदजंपद त्ंदहमे ंदक भ्पहीमेज च्मो व ि्पदकपं):

1. भारत का सबसे ऊँचा षिखर– ज्ञ2 (गॉडविन) 8611 मीटर ।

2. अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी– गुरु–षिखर (माउंट आबू) 1722 मीटर ।

3. सतपुडा का सबसे ऊँचा षिखर– धूपगढ़ (महादेव पहाडी में) 1350 मीटर ।

4. पष्चिमी घाट का सबसे ऊँचा षिखर तथा दक्षिण के प्रायद्वीप का सबसे ऊँचा षिखर– अनाईमुदी यह अन्नामलाई की पहाडियों में अवस्थित है, जिसकी ऊँचाई 2695 मीटर है ।

5. पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा षिखर– देवडी–मुण्डा (ओडीषा) 1598 मीटर है ।

6. नीलगिरि पर्वत का सबसे ऊँचा षिखर– डोड. ज–बेटा– 2636 मीटर है ।

7. अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊँचा षिखर– सैडिल–पीक 737 मीटर ।

8. अरुणाचल प्रदेष का सबसे ऊँचा षिखर– कांगटो (ज्ञंदहजव) 4740 मीटर (भूटान के निकट) ।

9. गुजरात का सबसे ऊँचा षिखर– गिर–पहाड़ियों में सरकाला षिखर 643 मीटर ।

10. झारखण्ड का सबसे ऊँचा षिखर– पारसनाथ– 1366 मीटर ।

11. महाराश्ट्र का सबसे ऊंचा षिखर– कलसुबाई– 1646 मीटर ।

12. मिजोरम का सबसे ऊँचा षिखर– ब्लू–माऊंटेन (ठसनम–डवनदजंपद) 2157 मीटर ।

13. नागालैंड का सबसे ऊँचा षिखर– सरामती षिखर 3826 मीटर ।

14. प. बंगाल का सबसे ऊँचा षिखर– टाइगर हिल (ज्पहमत भ्पसस) 2590 मीटर ।

15. उत्तराखण्ड का सबसे ऊँचा षिखर– नन्दा देवी 7817 मीटर ।

श्रष्ंखला तथा भ्रंष

किसी निकाय की क्रमिक अस्थिति को श्रष्ंखला कहते हैं । किसी षैल–तन्त्र में बहुत–सी सीरीज होती हैं ।

आर्थिक दृश्टि से भारत की कुछ महत्वपूर्ण सीरीजों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित हैः

1. बिज्वार सीरीज

बिज्वार–सीरीज विंध्यन पर्वतमाला की एक सीरीज है । विंध्यन की इस संरचना में बहुमूल्य पत्थर तथा हीरे (क्पंउवदके) पाये जाते हैं ।

2. चम्पानेर सीरीज

वडोदरा के निकट अरावली पर्वत की एक भुजा में चम्पानेर श्रष्ंखला स्थित है । इस सीरीज में संगमरमर तथा स्लेट का पत्थर पाया जाता है ।

3. चैम्पियन सीरीज

कर्नाटक राज्य में, बंगलुरु के पूर्व में अवस्थित चैम्पियन सीरीज सोने की खानों के लिये प्रसिद्ध है । भारत का लगभग 60 प्रतिषत सोना इसी सीरीज से प्राप्त किया जाता है । एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक टन चट्टान में 55 ग्राम सोना पाया जाता है ।

4. चिल्पी सीरीज

यह श्रष्ंखला मध्य प्रदेष के छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में फैली हुई हैं । इस सीरीज में ताँबा, हरा–पत्थर तथा मैगनीज पाया जाता है ।

इस सीरीज के खनिज भिलाई एवं मलंजखण्ड को भेजे जाते हैं ।

5. क्लोजपेट सीरीज

यह सीरीज बालाघाट एवं छिंदवाडा जिलों में फैली हुई हैं । धारवाड़ युग की बनी इन चट्टानों में ताँबा–खनिज पाया जाता है ।

6. दामुदा–सीरीन्तु :

झारखण्ड, प. बंगाल में फैली हुई इस सीरीज में कोयले एवं लोहे के भंडार पाये जाते हैं । रानीगंज, झरिया, बोकारो, धनबाद कार्णपुर एवं डाल्टनगंज की मुख्य कोयले की खानें इसी सीरीज में अवस्थित हैं ।

7. आयरन सीरीज

झारखण्ड एवं ओडीषा की सीमा पर अवस्थित इस सीरीज में लोहे के बड़े भंडार हैं । यहाँ से लौह–खनिज जमषेदपुर, राउरकेला, बोकारो एवं दुर्गापुर के कारखानों को भेजा जाता है ।

8. कल्डागी सीरीज

कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में फैली कल्डागी सीरीज सोने–चान्दी एवं बहुमूल्य पत्थर के लिये प्रसिद्ध है ।

9. खोण्डोलाईट सीरीज

ओडीषा एवं आंध्र प्रदेष के पूर्वी घाट में अवस्थित, इमारती पत्थर, चार्कोनाईट (बिंतावदपजम) के लिये प्रसिद्ध है ।

10. पंचेट सीरीज

झारखण्ड तथा (प. बंगाल) की सीमा पर अवस्थित पंचेट सीरीज में उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है ।

11. रियालो–सीरीज

इसको दिल्ली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है । दिल्ली से अलवर तक फैली इस सीरीज में उत्तम प्रकार का संगमरमर पाया जाता है । मकराना की प्रसिद्ध संगमरमर की खानें इसी सीरीज में अवस्थित हैं ।

12. सकोली सीरीज

मध्य प्रदेष के जबलपुर तथा रीवा जिलों में फैली इस सीरीज में डोलोमाईट, षिस्ट तथा संगमरमर पाया जाता है ।

13. सासर सीरीज :

यह सीरीज नागपुर एवं भंडारा जिलों में फैली हुई हैं । इस सीरीज में अभ्रक तथा संगमरमर पाया जाता है ।

14. तलचर सीरीज

ओडीषा में अवस्थित इस सीरीज में कोयले के भारी भंडार पाये जाते हैं ।

भ्रंष

यदि चट्टानों की परतों में दरारें पड़ जायें या टूट जायें तो उसको भ्रंष कहते हैं ।

भारत के कुछ मुख्य भ्रंष निम्न हैंः

1. मुख्य मध्य थ्रस्ट :

यह भ्रंष दीर्घ हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है ।

2. मुख्य सीमा भ्रंष :

यह भ्रंष लघु हिमालय को षिवालिक से अलग करता है ।

3. हिमालियन बाह्य अंष

यह भ्रंष षिवालिक को उत्तरी भारत के मैदान से अलग करता है ।

4. ग्रेट बाउंडरी भ्रंष

यह भ्रंष अरावली पर्वत को विंध्यन पर्वत से अलग करता है ।

इकाई.6 जनसंख्या वितरण क्या है? | jansankhya vitran kya hai

जनसंख्या वितरण (Population Distribution In Hindi) किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों की स्थानिक व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, षहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के फैलाव के पैटर्न और विविधताएँ षामिल हैं। नियोजन, विकास और संसाधन आवंटन के विभिन्न पहलुओं के लिए जनसंख्या वितरण को समझना महत्वपूर्ण है। यह उच्च और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की पहचान करने, सेवाओं और बुनियादी ढांचे की मांग का आकलन करने और षहरीकरण और ग्रामीण विकास के लिए रणनीतियों की जानकारी देने में मदद करता है।

जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक

जलवायु, भू–आकृतियाँ, भूभाग, मिट्टी, ऊर्जा और खनिज संसाधन, तट से दूरी के संदर्भ में पहुँच, प्राकृतिक बंदरगाह, नौगम्य नदियाँ या नहरें, आदि प्राथमिक भौतिक चर हैं। सांस्कृतिक विषेशताएँ, आर्थिक गतिविधि के प्रकार, प्रौद्योगिकी (कृशि पद्धतियों सहित), और सामाजिक संरचना सभी सामाजिक–आर्थिक निर्धारक हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों में प्राकृतिक प्रवास और विकास द्वारा लाए गए परिवर्तन षामिल हैं। राजनीतिक चर में राजनीतिक सीमाएँ, राजनीतिक स्थिरता (या अषांति), गड़बड़ी, आप्रवासन और व्यापार पर प्रतिबंध, सरकारी नियम और परिवहन अवसंरचना जैसी चीज़ें षामिल हैं।

भारत में जनसंख्या वितरण

भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक

मनुश्य अपने सांस्कृतिक आदर्षों के अनुसार स्थान को आकार देने का चुनाव करता है, और परिणामस्वरूप, पर्यावरणीय संकेतों की प्रतिक्रिया में आवास भिन्न होते हैं। जनसंख्या वितरण (चवचनसंजपवद कपेजतपइनजपवद पद ीपदकप) को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौतिक कारक हैं–

जलवायुः जलवायु सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक षक्तियों में से एक है। यह कृशि को प्रभावित करती है और क्षेत्र की वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। जलवायु का स्थानीय पषु प्रजातियों पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुश्य उन स्थानों पर एक मेहमाननवाज़ जलवायु की तलाष करते हैं जहाँ वे रहना चाहते हैं। जलवायु बेल्ट अधिकांष मानवीय गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। दुनिया की आबादी के वितरण से पता चलता है कि उश्णकटिबंधीय क्षेत्र दुनिया के अधिकांष सबसे अधिक आबादी वाले देषों का घर हैं।

स्थलाकृति या भूभागः अविकसित क्षेत्रों की तुलना में नौगम्य क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। जब कृशि योग्य भूमि की कमी होती है तो पहाड़ कम वांछनीय होते हैं। इन क्षेत्रों में निर्माण, कृशि और परिवहन से जुड़े व्यय भी बहुत अधिक होते हैं। लोगों की अनुकूलन क्षमता आमतौर पर उच्च ऊंचाई से षारीरिक रूप से प्रभावित होती है।

जलः मानव अस्तित्व के लिए पानी आवष्यक है। प्रागैतिहासिक सभ्यताएँ नदियों और तट के पास सबसे सफल रहीं। समष्द्ध सभ्यताएँ नील, अमेज़न और गंगा नदी प्रणालियों के किनारों पर आधारित थीं। कृशि और वनस्पति का समर्थन करने वाली जलवायु परिस्थितियाँ तय करती हैं कि कोई स्थान बसने के लिए उपयुक्त है या नहीं।

मिट्टी की गुणवत्ताः मिट्टी की गुणवत्ता जनसंख्या के फैलाव और घनत्व को प्रभावित करती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृशि उद्योग पर निर्भर है, जो स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर है। क्योंकि यह वह जगह है जहाँ खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, मिट्टी सबसे ज़रूरी कच्चे माल में से एक है जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है। भारत के जलोढ़, डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में सभी में उच्च जनसंख्या घनत्व है। छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों से समष्द्ध है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के आसपास के जिलों में खनिजों की प्रचुरता के कारण देष के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व है।

स्थानः जनसंख्या का संकेन्द्रण महत्वपूर्ण कस्बों और षहरों से निकटता के कारण अनुकूल होता है। षहर की सीमा के भीतर रहने से आम तौर पर जीवन–यापन का खर्च बढ़ जाता है। षहर के बाहरी इलाके या पड़ोसी समुदाय किफायती आवास विकल्प प्रदान करते हैं। आवागमन के सुविधाजनक तरीके किफायती, भरोसेमंद परिवहन द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

प्राकृतिक आपदाएँः प्राकृतिक आपदाएँ जनसंख्या संकेन्द्रण के आकर्शण को कम करती हैं। बार–बार आने वाले तूफ़ान, भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग बस्तियों के विकास को रोकती हैं क्योंकि लोग सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव बस्तियों के नश्ट होने के कई उदाहरण हैं।

जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक–आर्थिक और ऐतिहासिक कारक

प्राकृतिक षक्तियों का अक्सर बस्तियों के फ़ैसलों पर प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, समय के साथ, मनुश्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बदलने और कुछ हद तक नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है। नतीजतन, यह तय करते समय कि कहाँ रहना है, प्राकृतिक पहलुओं के अलावा अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे–जैसे मानव समाज बदलता गया और ज़रूरतें बदलती गईं, सामाजिक और आर्थिक दृश्टिकोणों ने महत्व प्राप्त किया।

आर्थिक गतिविधिः रोजगार के अवसर आर्थिक गतिविधि द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। अधिकांष ग्रामीण निवासी अपने जीवनयापन के लिए कृशि पर निर्भर हैं। यदि भूमि ग्रामीण लोगों का भरण–पोशण करने में असमर्थ है या षहरी क्षेत्र अधिक अवसर प्रदान करते हैं, तो वे षहरों में स्थानांतरित होने का निर्णय ले सकते हैं। षहरों में लोगों की सांद्रता आर्थिक अवसरों और निर्वाह के साधनों की विस्तृत श्रृंखला का परिणाम है जो षहर प्रदान करते हैं। गांवों के विपरीत जहां कम संभावनाएं हैं, आमतौर पर षहरों में लगभग सभी के लिए नौकरी होती है।

सामाजिक संगठनः उन क्षेत्रों में समुदायों के सामाजिक संगठन द्वारा लोगों को यात्रा करने और नए स्थानों पर बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक मिलनसार प्राणी होने के

नाते, मनुश्य को एक समाज की स्थापना और एक आरामदायक घर का आधार स्थापित करना आवष्यक लगता है। जो लोग स्थानांतरित होते हैं वे ऐसे स्थानों (या क्षेत्रों के उपसमूह) में बस जाते हैं जहाँ अन्य लोग उनकी भाशा, संस्कृति, खाने की पसंद और अन्य आदतें साझा करते हैं। षहरों में अक्सर सांप्रदायिक भावना वाले आवासीय पड़ोस होते हैं।

विभिन्न जनसंख्या वितरण पैटर्न

सामान्य जनसांख्यिकीय पैटर्न और जनसंख्या के वितरण से निम्नलिखित तथ्य निकालना संभव हैः

ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में कम है।

जनसंख्या का वितरण जलवायु कारकों से बहुत प्रभावित होता है। चरम मौसम वाले क्षेत्रों में आमतौर पर विषेश रूप से घनी आबादी नहीं होती है।

प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है।

ग्रामीण आबादी का अधिकांष भाग प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर है, जबकि षहरी आबादी सेवा गतिविधियों पर निर्भर है।

आयु समूह और लिंग दो अन्य तत्व हैं जो जनसंख्या प्रवषत्तियों को प्रभावित करते हैं।

विकासषील और विकसित देषों के बीच जनसंख्या पैटर्न में अंतर हो सकता है।

जनसंख्या पैटर्न की तीन श्रेणियां पहचानी जा सकती हैंः

वह जनसंख्या जो समान रूप से फैली हुई हो, या एकसमान फैलाव वाली हो

यादृच्छिक फैलावः बिना किसी प्रत्यक्ष पैटर्न के यादृच्छिक रूप से बिखरा हुआ

क्लस्टर्ड फैलावः एक साथ समूहीकृत

भारत की जनसंख्या की प्रमुख विषेशताएँ

बड़ी और बढ़ती जनसंख्या

भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देष है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 2023 में 1.4 बिलियन होगी। इस विषाल जनसंख्या के लगातार बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2050 तक यह 1.7 बिलियन तक पहुँच सकती है।

असमान वितरण

भारत की जनसंख्या पूरे देष में समान रूप से वितरित नहीं है। अधिकांष आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लगभग 68þ लोग गांवों और कस्बों में रहते हैं। हालाँकि, षहरी क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आने वाले दषकों में षहरी निवासियों का अनुपात काफी बढ़ने की उम्मीद है।

इकाई. 8

आयु संरचना

भारत की आबादी अपेक्षाकृत युवा है, जिसकी औसत आयु 28.2 वर्श है। इसका मतलब है कि अधिकांष आबादी कामकाजी उम्र की है। यह देष की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है।

लिंग अनुपात

भारत में लिंग अनुपात बहुत विशम है, जहाँ हर 1000 पुरुशों पर लगभग 944 महिलाएँ हैं। इस असंतुलन के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इसमें बेटों को प्राथमिकता देना, कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा तक खराब पहुँच षामिल है।

साक्षरता दर

भारत की साक्षरता दर पिछले कुछ वर्शों में लगातार बढ़ रही है, 2011 में कुल साक्षरता दर 74.04þ थी। हालांकि, पुरुशों और महिलाओं के बीच तथा षहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साक्षरता दर में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं।

धार्मिक विविधता

भारत धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण देष है, जिसमें हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म,

इस समयावधि में उच्च जन्म और मष्त्यु दर का मुख्य कारण खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, व्यापक निरक्षरता, तथा भोजन और अन्य आवष्यक वस्तुओं के लिए अप्रभावी वितरण प्रणाली थी।

चरण

लोग प्रायः 1921–1951 के वर्शों को स्थिर जनसंख्या विस्तार का समय मानते हैं।

स्वच्छता और स्वास्थ्य में राश्ट्रीय सुधार के परिणामस्वरूप मष्त्यु दर में कमी आई। इसके अतिरिक्त, मजबूत संचार और परिवहन बुनियादी ढांचे ने वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया।

इस चरण में पिछले चरण की तुलना में अधिक वषद्धि देखी गई क्योंकि अषोधित जन्म दर उच्च बनी रही। महामंदी, 1920 के दषक और द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर यह आष्चर्यजनक है।

चरण

भारत में 1951–1981 के दौरान जनसंख्या में उछाल देखा गया, जिसका कारण मष्त्यु दर में तीव्र गिरावट तथा उच्च प्रजनन दर थी।

वार्शिक वषद्धि दर औसतन 2.2þ तक थी। स्वतंत्रता के बाद के इस दौर में केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों की षुरूआत और अर्थव्यवस्था के उदय ने आम जनता के जीवन स्तर में सुधार सुनिष्चित किया।

परिणामस्वरूप, पर्याप्त प्राकृतिक वषद्धि और तीव्र वषद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, तीव्र विकास दर पर बढ़ते विदेषी प्रवास का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें तिब्बती, बांग्लादेषी, नेपाली और यहां तक कि पाकिस्तान से भी लोग आये।

चरण

यद्यपि देष की जनसंख्या वषद्धि दर 1981 से लेकर अब तक मजबूत बनी हुई है, लेकिन अब इसमें कमी आनी षुरू हो गई है।

माना जाता है कि इस जनसंख्या वषद्धि का कारण जन्म दर में कमी है। औसत विवाह आयु में वषद्धि और बेहतर जीवन स्थितियों, विषेश रूप से देष में महिलाओं के लिए, ने इस पर प्रभाव डाला।

आगे की राह प्रवासन को कम करने और जनसंख्या वितरण को समान बनाने के लिए षिक्षा और अन्य कौषल प्रदान करने हेतु कई सरकारी नीतियां लागू की गई हैं।

राश्ट्रीय युवा नीति 2014

कौषल विकास और उद्यमिता के लिए राश्ट्रीय नीति 2015

भारत विश्व का पहला देष था जिसने 1952 में एक राश्ट्रीय कार्यक्रम षुरू किया, जिसमें जन्म दर को कम करने और जनसंख्या को राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवष्यकताओं के अनुरूप स्तर पर स्थिर करने के लिए आवष्यक मात्रा में परिवार नियोजन पर जोर दिया गया।

जनसंख्या वषद्धि दर में कमी निस्संदेह षिक्षा पर जोर देने के साथ बेहतर जागरूकता और जीवन स्तर के कारण आई है। भारत की विकास दर विभिन्न जनसंख्या नीतियों के कारण धीमी हुई है, जो दंडात्मक उपायों से ऊपर जनसंख्या विकास पर जोर देती हैं।

निश्कर्श

जनसंख्या के वितरण और वषद्धि के लिए किसी एक कारक को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वे विरल हों या घनी आबादी वाले। इस विशय में षामिल अधिकांष तत्व एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अक्सर मिलकर काम करते हैं। प्रौद्योगिकी उन्नति ने मनुश्यों के लिए पहले दुर्गम स्थानों पर निवास करना संभव बना दिया है। दुनिया की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण कई लोगों को अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों वाले दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लोगों के पास अक्सर यह विकल्प नहीं होता कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए। औद्योगिक क्रांति और उसके बाद के षहरीकरण से पहले, भौतिक विचार जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करते थे; फिर भी, परिवहन और संचार के इन नेटवर्क का विस्तार किया गया। इन परिवर्तनों ने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया। इस संबंध में, अब प्रदर्षित जनसंख्या घनत्व मानचित्र ऐतिहासिक संचय का परिणाम है।

माड्यूल–3

इकाई.8

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्यनिश्ठा से संकल्प लेते हैंः

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता;

स्थिति और अवसर की समानता, और उन सभी के बीच बढ़ावा देना

व्यक्ति की गरिमा और राश्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुता;

अपनी संविधान सभा में, आज छब्बीस नवम्बर 1949 को, हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पष्ठभूमि

जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देष्य प्रस्ताव, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, में वे सिद्धांत निर्धारित किये गये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना (चतमंउइसम वि पदकपंद बवदेजपजनजपवद पद ीपदकप) में प्रतिबिंबित हैं।

इसे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेष किया था और पुरुशोत्तम दास टंडन ने इसका समर्थन किया था। संविधान सभा में चर्चा के बाद, उद्देष्य प्रस्ताव के अधिकांष प्रावधानों को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया।

उद्देष्य प्रस्ताव में "मूलभूत बातें" सूचीबद्ध थीं, जो उस संवैधानिक ढांचे के लिए दिषानिर्देष के रूप में काम करने वाली थीं, जिस पर संविधान सभा एकत्रित हुई थी।

प्रस्ताव में भारत के भावी संविधान के लिए कुछ "मूलभूत बातों" को रेखांकित किया गया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह था कि देष एक "संप्रभु भारतीय गणराज्य" होगा।

इसके अतिरिक्त, "गणतंत्र" की अवधारणा का प्रयोग पहली बार संविधान सभा के उद्देष्य प्रस्ताव में भारतीय राजनीतिक संरचना के लिए "मौलिक" के रूप में किया गया था।

हालाँकि, उद्देष्य प्रस्ताव में "लोकतांत्रिक" षब्द का उल्लेख नहीं किया गया था।

इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उद्देष्य प्रस्ताव में उल्लिखित षब्द "गणतंत्र" का तात्पर्य लोकतंत्र से है।

उन्होंने आगे स्पश्ट किया कि "उद्देष्य प्रस्ताव" में लोकतांत्रिक और आर्थिक लोकतंत्र दोनों को "विशय–वस्तु" में षामिल किया गया है।

संविधान के मूल ढांचे से संबंधित ऐतिहासिक मामलों के बारे में अधिक जानें!

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख घटक

सार्वभौम

"संप्रभुता" षब्द का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राश्ट्र है। इसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद पर षासन करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि निर्णय लेने और कानून बनाने की षक्ति भारत के लोगों के पास है।

समाजवादी

"समाजवादी" षब्द भारत सरकार की अपने नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता को दर्षाता है। इसका उद्देष्य समाज के भीतर आर्थिक असमानताओं को कम करना है। यह सभी व्यक्तियों के कल्याण और खुषहाली को सुनिष्चित करता है।

धर्मनिरपेक्ष – "धर्मनिरपेक्ष" षब्द का अर्थ है कि भारत किसी विषिश्ट धर्म को बढ़ावा नहीं देता या उसका पक्ष नहीं लेता। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। यह किसी भी व्यक्ति या समुदाय के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। यह धर्म की स्वतंत्रता सुनिष्चित करता है और धर्म के मामलों में तटस्थ रुख रखता है।

लोकतांत्रिक

"लोकतांत्रिक" षब्द से पता चलता है कि भारत एक ऐसी षासन प्रणाली का पालन करता है जहाँ सत्ता लोगों के हाथों में निहित होती है। यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर जोर देता है। नागरिकों को स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। इस प्रकार गठित सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण षब्द

भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण षब्द इस प्रकार हैं:

संप्रभु – एक स्वतंत्र राज्य या देष।

समाजवादी – भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देष है जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है।

धर्मनिरपेक्ष – भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक रूप है जिसमें राज्य सभी धर्मों की समानता को मान्यता देता है लेकिन उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है।

लोकतांत्रिक – भारत में लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से षासन करते हैं; इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है।

गणतंत्र – यह एक ऐसे राज्य को संदर्भित करता है जिसमें लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सर्वोच्च षक्ति होती है और राज्य का मुखिया वंषानुगत राजा या तानाषाह के बजाय निर्वाचित होता है।

न्याय – सभी भारतीय नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता – भारतीय नागरिकों की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है।

समानता – समान अवसर और समान स्थिति को संदर्भित करता है।

बंधुत्व – भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा तथा राश्ट्र की एकता और अखंडता को संदर्भित करता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (चतेंजंअंदं पद ीपदकप) महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कुछ कारण इस प्रकार हैंः

यह क़ानून के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करता है और विधायी मंषा और नीति को समझने में सहायता करता है।

इसमें उन मुख्य उद्देष्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सरकार हासिल करना चाहती है।

इसमें वे आदर्ष षामिल हैं जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है।

हालाँकि, यह कोई षक्ति प्रदान नहीं करता है; बल्कि, यह संविधान को दिषा और उद्देष्य प्रदान करता है और संविधान के समग्र उद्देष्यों को रेखांकित करता है।

यह संवैधानिक साधनों के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले व्यापक उद्देष्यों और सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को भी निर्धारित करता है।

प्रस्तावना की स्थिति

भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में बहस हो चुकी है। इस मुद्दे पर प्रकाष डालने वाले दो उल्लेखनीय मामले बेरुबारी केस और केषवानंद भारती केस हैं।

बेरुबारी केस (1960)

बेरुबारी मामले में आठ न्यायाधीषों की पीठ ने बेरुबारी संघ और परिक्षेत्रों के आदान–प्रदान के संबंध में भारत–पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन पर विचार किया। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना (चतमंउइसम पद ीपदकप) संविधान निर्माताओं के इरादों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, न्यायालय ने निश्कर्श निकाला कि प्रस्तावना संविधान का लागू करने योग्य हिस्सा नहीं है।

केषवानंद भारती केस (1973)

केषवानंद भारती केस ने प्रस्तावना की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 13 न्यायाधीषों की एक पीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई करने के लिए बैठी थी, और न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण फैसले दिएः

प्रस्तावना को अब संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है।

प्रस्तावना सर्वोच्च षक्ति या प्रतिबंधों का स्रोत नहीं है। हालाँकि, यह संविधान के क़ानूनों और प्रावधानों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1995 में केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुश्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हालाँकि, यह भारत में न्यायालय में सीधे लागू नहीं हो सकती।

प्रस्तावना में संषोधन

अब तक, प्रस्तावना (चतेंजअंदं पद ीपदकप) में केवल एक बार संषोधन किया गया हैः 1976 में, 42वें संविधान संषोधन अधिनियम द्वारा, जिसने प्रस्तावना में तीन नए षब्द जोड़े, जैसे

भारतीय राज्य की प्रकृति में दो षब्द (समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष)।

एक षब्द, "अखंडता", भारतीय संविधान के उद्देष्यों में है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में मुख्य तथ्य

यह संविधान की प्रस्तावना (चतमंउइसम पद ीपदकप) या परिचय है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "प्रस्तावना इसके निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है।"

प्रस्तावना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।

प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देष्य हमारे संविधान की मूल संरचना में निहित हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता।

यह संविधान का अभिन्न अंग है और मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संषोधन किया जा सकता है।

अब तक, प्रस्तावना में केवल एक बार संषोधन किया गया हैः 1976 में, 42वें संविधान संषोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें प्रस्तावना में तीन नए षब्द जोड़े गएः समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।

हालाँकि, इसके प्रावधानों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह न्यायोचित नहीं है।

निश्कर्श

संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के अंदर क्या है, इसकी खिड़की है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा और रीढ़ भी कहा जाता है। इसके आदर्ष जवाहरलाल नेहरू के उद्देष्य संकल्प में रखे गए थे, जिसे 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देष्य संकल्प पर आधारित है। संविधान के आदर्ष इसमें समाहित हैं। हालाँकि, यह कोई षक्ति प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह राज्य को दिषा और उद्देष्य प्रदान करता है। इसे केवल एक बार, 1976 में, 42वें संविधान संषोधन अधिनियम द्वारा संषोधित किया गया था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता षब्द षामिल थे।

इकाई 9

संविधान की विषेशताएं

1. सबसे लंबा लिखित संविधान

दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिष संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तष्त संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे षब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तष्त दस्तावेज है।

भारतीय संविधान के विषाल आकार में योगदान करने वाले कारक हैंः

- भौगोलिक कारक, यानी देष की विषालता और इसकी विविधता।
- ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव।
- केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान।
- संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का दबदबा।

भारत के संविधान में न केवल षासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत प्रषासनिक प्रावधान भी हैं। भारत के संविधान में न्यायसंगत और गैर–न्यायिक दोनों अधिकार षामिल हैं।

2.विभिन्न स्रोतों से लिया गया

भारत के संविधान ने अपने अधिकांष प्रावधानों को विभिन्न अन्य देषों के संविधानों के साथ–साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम (1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में षामिल किया गया है) से उधार लिया है। डॉ बी आर अम्बेडकर ने गर्व से

कहा कि भारत के संविधान को 'दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचौड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्षनिक हिस्सा (मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देषक सिद्धांत) क्रमषः अमेरिकी और आयरिष संविधानों से प्रेरित हैं। संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध) काफी हद तक ब्रिटिष संविधान से लिया गया है।

3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को उसकी संषोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान वह है जिसके संषोधन के लिए एक विषेश प्रक्रिया की आवष्यकता होती है। उदाहरण दृ अमेरिकी संविधान। एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संषोधित किया जा सकता है। उदाहरण दृ ब्रिटिष संविधान। भारतीय संविधान संषोधन की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक तीन प्रकार के संषोधन प्रदान करता है।

4. संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण

भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विषेशताएं षामिल हैं, जैसे दो सरकारें, षक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।

हालांकि, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर–संघीय विषेशताएं भी षामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा, संविधान में कहीं भी 'फेडरेषन' षब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 1, भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित करता है जिसका तात्पर्य दो चीजों से हैः

- भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
- किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

इसलिए, के सी व्हेयर द्वारा भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से 'रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक', 'अर्ध–संघीय' के रूप में वर्णित किया गया है।

5. सरकार का संसदीय स्वरूप

भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राश्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिष संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग

और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है जबकि राश्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच षक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका है, और इसलिए इसे 'प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार' कहा जाता है।

भारत में संसदीय सरकार की विषेशताएं क्या हैं?

भारत में संसदीय सरकार की विषेशताएं इस प्रकार हैंः

- बहुमत दल का षासन
- कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
- विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता
- प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री का नेतष्त्व
- निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) का विघटन
- भारतीय संसद, ब्रिटिष संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है।
- भारत की संसदीय सरकार में निर्वाचित राश्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है।

6. संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता

भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिष संसद से लिया गया है जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिष प्रणाली से भिन्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा षक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) में निहित 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के खिलाफ 'कानून की उचित प्रक्रिया' प्रदान करता है। इसलिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिष सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की षक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोशित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक षक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांष भाग में संषोधन कर सकती है।

7. कानून का षासन

भारत में लोग कानून द्वारा षासित होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, यानी बुनियादी सत्यवाद कि कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अधिक स्पश्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु है। अंतिम विष्लेशण में, कानून के षासन का अर्थ आम आदमी के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता है। इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा, कानून का षासन कुछ और चीजों का मतलब है जैसे दृ

- यहां मनमानी की कोई गुंजाइष नहीं है
- प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और
- उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है।

भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग प्प् में षामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए (सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी कानूनों की समान सुरक्षा का अधिकार), लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 'जनहित याचिका' प्रावधान है। साथ ही, देष के आज के कानून के अनुसार, कोई भी वादी पीठासीन न्यायिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है कि वह स्वयं मामले में बहस करे या न्यायपालिका की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त करे।

8. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। साथ ही, भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ भारतीय न्यायपालिका को सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के षीर्श न्यायालय के रूप काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के तहत, अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जो कि जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों के रुप में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिष्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

9. मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान का भाग प्प् सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विषेशताओं में से एक हैं। संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुश्य के रूप में कुछ अधिकारों का हकदार है और ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। वे कार्यपालिका की निरंकुषता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार, प्रकृति में न्यायसंगत हैं, अर्थात्, उनको कोई छिन नहीं सकता है।

10. राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत

डॉ बी आर अम्बेडकर के अनुसार, राज्य नीति के निर्देषक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक 'नवीन विषेशता' है। इनकी समायोजन संविधान के भाग प्ट में किया गया है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देषक सिद्धांतों को हमारे

संविधान में षामिल किया गया था। निर्देषक सिद्धांतों का उद्देष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहां कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेन्द्रण नहीं हो सकेगा। वे प्रकृति में न्यायोचित हैं। मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देषक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है'।

11. मौलिक कर्तव्य

मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिष पर 1976 के 42वें संषोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों की एक सूची देता है। बाद में, 2002 के 86वें संविधान संषोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, जबकि कर्त्तव्य ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। हालांकि, राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांतों की तरह, कर्तव्य भी प्रकृति में न्यायोचित (जिनका उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती) हैं। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

साल 1976 में भारतीय संविधान में 42 वें संविधान संषोधन में मौलिक कर्तव्य को षामिल किया गया था। इन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान के मौलिक कर्तव्यों से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य की संरचना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिष के आधार पर की गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी लेकिन बाद में संविधानिक संषोधन द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी गई थी।

भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य

1. समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर–सम्मान करना होगा और साथ ही उसको सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा। तिरंगा व राश्ट्रगान का आदर–सम्मान करना।

2. जिन महापुरूशों ने हमें आजादी दिलाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनका आदर व सम्मान करना।

3. राश्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना।

4. राश्ट्र की विचारधारा और राश्ट्र के आदर्ष मूल्यों की रक्षा करना।

5. भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना।

6. नागरिकों को एक समान आदर एवं सम्मान देना एवं उनके अधिकारों का सम्मान करना।

7. प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वषद्धि के लिए प्रयत्न करना।

8. वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राश्ट्र के विकास के लिए ज्ञान के क्षेत्र में वषद्धि करना।

9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व उसे हानि नहीं पहुंचाना।

10. राश्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यो में अपना योगदान देना।

11. माता–पिता द्वारा अपने बच्चो को प्राथमिक निःषुल्क षिक्षा (6 से 14 वर्श) प्रदान करवाना।

12. भारतीय धर्मनिरपेक्षता

भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसलिए, यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विषेश धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत के संविधान द्वारा विचारित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की विषिश्ट विषेशताएं हैं दृ

- राज्य स्वयं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा;
- जबकि राज्य हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है (जिसमें एक विरोधी या नास्तिक होने का अधिकार भी षामिल है), यह उनमें से किसी को भी विषेश दर्जा नहीं देगा;
- राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा;
- किसी भी सामान्य षर्त के अधीन राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में प्रवेष करने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार अन्य नागरिकों के समान होगा। राजनीतिक समानता किसी भी भारतीय नागरिक को सर्वोच्च पद पाने का अधिकार देती है।

इस अवधारणा का उद्देष्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत राज्य धर्म विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता की पष्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव को दर्षाती है (धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा)। लेकिन, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। इसके अलावा, संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि, यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिष्चित करने के लिए सीटों के अस्थायी आरक्षण का प्रावधान करता है।

13. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारतीय लोकतंत्र 'एक व्यक्ति एक मत' के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्श या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में वोट देने का हकदार है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है।

14. एकल नागरिकता

एक संघीय राज्य में आमतौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय, भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो। अगर कोई नागरिक किसी घटक राज्य जैसे झारखंड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं है, जिससे वह संबंधित हो सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक बना रहता है। भारत के सभी नागरिक देष में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने के हकदार हैं और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी प्रवषत्तियों को खत्म करने के लिए एकल नागरिकता का विकल्प चुना था। एकल नागरिकता ने निस्संदेह भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा की है।

15. स्वतंत्र निकाय

भारतीय संविधान न केवल सरकार (केंद्रीय और राज्य) के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। उन्हें संविधान द्वारा भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है।

16. आपातकालीन प्रावधान

संविधान निर्माताओं ने यह भी अनुमान लगाया था कि देष में कभी– कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जब सरकार को सामान्य समय की तरह नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, संविधान में आपातकालीन प्रावधानों पर विस्तार से बताया गया है।

आपातकाल तीन प्रकार का होता है

- युद्ध, बाहरी आक्रमण या सषस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल (अनुच्छेद 356 और 365)
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।

इन प्रावधानों को षामिल करने के पीछे तर्कसंगतता देष की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के

दौरान, केंद्र सरकार सर्व–षक्तिषाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। संघीय (सामान्य समय के दौरान) से एकात्मक (आपातकाल के दौरान) राजनीतिक व्यवस्था का इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विषेशता है।

17. त्रिस्तरीय सरकार

मूल रूप से, भारतीय संविधान में दोहरी राजव्यवस्था प्रदान की गई थी और इसमें केंद्र और राज्यों के संगठन और षक्तियों के संबंध में प्रावधान थे। बाद में, 73वें और 74वें संवैधानिक संषोधन अधिनियम (1992) ने सरकार के एक तीसरे स्तर (अर्थात, स्थानीय सरकार) को जोड़ा है, जो दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है। 1992 के 73वें संषोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग प और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर, पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय सरकार) को संवैधानिक मान्यता दी। इसी प्रकार, 1992 के 74वें संषोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग प–। और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं (षहरी स्थानीय सरकार) को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।

18. सहकारी समितियां

2011 के 97वें संविधान संषोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।

इस संदर्भ में, इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए दृ

- इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 19)।
- इसमें सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य नीति के एक नए निर्देषक सिद्धांत (अनुच्छेद 43–बी) षामिल थे।
- इसने संविधान में एक नया भाग प–ठ जोड़ा, जिसका षीर्शक है "सहकारी समितियां" देष में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेषेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करें, यह सुनिष्चित करने के लिए नए भाग प–ठ में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह बहु–राज्य सहकारी समितियों के संबंध में संसद को और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभाओं को उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार देता है।

भारतीय संविधान का दर्षन–संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देष्य प्रस्ताव को अपनाया। उद्देष्य संकल्प में संविधान के मौलिक प्रस्ताव षामिल थे और राजनीतिक विचारों को निर्धारित किया गया था जो इसके विचार–विमर्ष का मार्गदर्षन करते हैं।

संकल्प के मुख्य सिद्धांत थे दृ

भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य बनना है;

यह सभी घटक भागों में समान स्तर के स्वषासन के साथ एक लोकतांत्रिक संघ हो;

संघ सरकार और घटक भागों की सरकारों की सारी षक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होते हैं;

संविधान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, अवसर और कानून के समक्ष समानता के आधार पर लोगों को न्याय प्राप्त करने और गारंटी देने का प्रयास करना चाहिए;

सबको अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, और काम की स्वतंत्रता होनी चाहिए;

संविधान को अल्पसंख्यकों, और पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों आदि के लिए उचित अधिकार प्रदान करना चाहिए ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के समान भागीदार बन सकें; और

एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत के लिए राश्ट्रों के समुदाय में उचित स्थान सुनिष्चित करे।

भारतीय संविधान के दर्षन में वे आदर्ष षामिल हैं जिन पर संविधान खड़ा है और वे नीतियां जिनका पालन करने के लिए संविधान समुदाय के षासकों को आदेष देता है। भारत का संविधान निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारी विचारधारा के प्रभाव को दर्षाता है दृ

धर्मनिरपेक्षता दृ धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की पहचान है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को अपनी पसंद की धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। यहां सभी धर्मों को एक समान माना गया है। भारत में जिस तथ्य की सराहना की गई वह यह कि सभी धर्म मानवता से प्रेम करते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। आधुनिक भारत के सभी समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं ने धार्मिक सहिश्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की वकालत की है। इसी सिद्धांत को भारत के संविधान में अपनाया गया है जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। हालांकि, 1949 में अपनाए गए संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' षब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। 'धर्मनिरपेक्षता' षब्द को 1976 में पारित 42वें संषोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है।

लोकतंत्र दृ भारतीय संविधान में लोकतंत्र का आधुनिक रूप पष्चिम से उधार लिया गया है। इस प्रणाली के तहत, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के पास जाने के लिए सरकार की आवधिक जिम्मेदारियां। इस काम के लिए; लोगों द्वारा सरकार चुनने के लिए हर पांच साल में चुनाव होते रहे हैं। हालांकि, लोकतंत्र, जीवन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को भी षामिल करता है। लोकतंत्र का यह पहलू राज्य नीति के निर्देषक सिद्धांतों में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। इसमें मानव कल्याण, सहयोग, अंतर्राश्ट्रीय भाईचारे आदि के उद्देष्य षामिल हैं।

सर्वोदय दृ सर्वोदय का तात्पर्य सभी के कल्याण से है। इसका मतलब सिर्फ बहुमत या बहुसंख्यक का कल्याण नहीं है। यह बिना किसी अपवाद के सभी के कल्याण को प्राप्त करना चाहता है। इसे राम राज्य कहा जाता है। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी,

आचार्य विनोबा भावे और जय प्रकाष नारायण द्वारा विकसित की गई थी जिसके तहत सभी का भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक विकास करने की कोषिष की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देषक सिद्धांत इस आदर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समाजवाद दृ समाजवाद, भारत के लिए नया नहीं है। वेदांत के दर्षन में भी समाजवाद है। स्वतंत्रता के लिए राश्ट्रीय संघर्श का भी यही उद्देष्य था। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को समाजवादी और गणतंत्रवादी बताया था। भारत में लगभग सभी दल लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने का दावा करते हैं। ये सिद्धांत राज्य के नीति निदेषक सिद्धांतों में षामिल हैं। हालांकि, इस पहलू पर जोर देने के लिए, 'समाजवाद' षब्द को विषेश रूप से 42वें संषोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

मानवतावाद दृ मानवतावाद, भारतीय विचारधारा की एक प्रमुख विषेशता है। भारतीय विचारधारा संपूर्ण मानवता को एक बड़ा परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम्) मानती है। यह आपसी बातचीत के जरिए अंतरराश्ट्रीय विवादों को सुलझाने में विश्वास करता है। यह हम राज्य के नीति निदेषक सिद्धांतों में पाते हैं।

विकेंद्रीकरण दृ विकेंद्रीकरण, सर्वोदय का दूसरा पहलू है। भारत में हमेषा पंचायत प्रणाली के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी ने भी विकेंद्रीकरण की वकालत की थी। इसी कारण से उन्हें एक दार्षनिक राजनेता माना जाता है। हमने विकेंद्रीकरण के उद्देष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली की षुरुआत की है। राज्य नीति के निर्देषक सिद्धांतों में निर्धारित कुटीर उद्योगों की अवधारणा भी विकेंद्रीकरण को संदर्भित करती है।

उदारवाद दृ भारतीय उदारवाद, उदारवाद की पष्चिमी अवधारणा को संदर्भित नहीं करता है। यह भारतीय संदर्भ में, स्वषासन, धर्मनिरपेक्षता, राश्ट्रवाद, आर्थिक सुधारों, संवैधानिक दृश्टिकोण, प्रतिनिधि संस्थानों आदि को संदर्भित करता है। इन सभी अवधारणाओं की आधुनिक भारतीय नेताओं द्वारा वकालत की गई थी।

मिश्रित अर्थव्यवस्था दृ सह–अस्तित्व हमारी विचारधारा की एक प्रमुख विषेशता है। यह सह–अस्तित्व भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से प्रकट हुआ है। इस व्यवस्था में हमने अर्थव्यवस्था के निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को एक साथ काम करने की अनुमति दी है। बड़े पैमाने पर और आवष्यक उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में जोड़ा गया है।

गांधीवाद दृ गांधीवाद एक नैतिकता आधारित भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी ने अहिंसा के माध्यम से विदेषी षासन से लड़ने का एक नया उदाहरण पेष किया था। उन्होंने दुनिया को अहिंसा और सत्य के महत्व को समझाया। उन्होंने छुआछूत, कुटीर उद्योग, षराबबंदी, प्रौढ़ षिक्षा और गांवों के उत्थान की वकालत की थी। वह षोशण मुक्त और विकेंद्रीकृत समाज चाहते थे। इन सभी गांधीवादी सिद्धांतों को भारत के संविधान में सम्मानजनक स्थान मिला है।

संविधान के भाग 3 में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिष्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, षोशण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं षिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संषोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था

- मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात 1215 ईसवी के इंग्लैंड के मैग्नाकार्टा से हुआ
- फ्रांस में 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों को षामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवष्यक कुछ अधिकारों की घोशणा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की प्रथा आरंभ हुई
- 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संषोधन करके बिल ऑफ राइट्स(अधिकार पत्र) को षामिल किया गया
- भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की पहली मांग 1895 में उठी
- एनी बेसेंट ने होमरूल आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की
- 1925 ईस्वी में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन अधिकारों की मांग की गई
- भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेषन में इससे संबंधित संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया
- 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई
- कांग्रेस के कराची अधिवेषन(1931) एवं गोलमेज सम्मेलन द्वितीय महात्मा गांधी ने इन अधिकारों की मांग की
- कैबिनेट मिषन 1946 की सलाह पर मूल्य अधिकारों एवं अल्पसंख्यको के अधिकारों पर एक परामर्ष समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे

• परामर्ष समिति ने 27 फरवरी 1947 को 5 और समितियों का गठन किया जिनमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित थी

• मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य जे बी कृपलानी, मीनू मसानी, के. टी. षाह, ए. के. अय्यर, के. एम. मुंषी, के एम पणिक्कर, तथा राजकुमारी अमृत कौर थे

• परामर्ष समिति तथा उप समिति की सिफारिषों पर संविधान में मूल अधिकारों को षामिल किया गया

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

भारत के मूल संविधान में सात प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, षोशण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं षिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार

• इनमें से 1978 ईस्वी में 44 वें संविधान संषोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया

• वर्तमान में अनुच्छेद 300(ए) के तहत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार के रूप में व्यवस्थापित है

• अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रुप से लागू होते हैं

• अनुच्छेद 13 रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसे तत्व न्यायालय द्वारा अवैध घोशित हो सकते हैं

समता का अधिकार (अनु.–14 से 18)द्य त्पहीज जव म्नंसपजल

• अनुच्छेद 14– कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है कानून के समक्ष समानता बिट्रेन के संविधान से उद्धष्त है

• अनुच्छेद 15– जाति, लिंग, धर्म, तथा मूलवंष के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विषेश संरक्षण का प्रावधान है

• अनुच्छेद 16 दृ सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है

• अनुच्छेद 17– इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्यता का अंत किया गया है अस्पष्यता की आचरण करता को [1] 500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया

• अनुच्छेद 18– इसके द्वारा बिट्रिष सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत कर दिया गया सिर्फ षिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही

स्वतंत्रता का अधिकार (अनु 19 से 22)द्य त्पहीज जव तिममकवउ

अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है

• विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

• अर्थषास्त्र रहित षांति पूर्ण सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता

• संगठन संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता

• भारत के किसी भाग में (जम्मू कष्मीर को छोड़कर)बसने की स्वतंत्रता

• संपत्ति के अर्जन एवं व्यय की स्वतंत्रता(44वें संषोधन द्वारा निरस्त)

• जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता(सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1977 में उड़ीसा राज्य बनाम लखन लाल मामले व्यवस्था दी गई कि मादक पदार्थ, तस्करी तथा नषीले पदार्थ आदि का व्यवसाय जीविकोपार्जन के तहत नहीं आता है)

• हमारे संविधान में प्रेस स्वतंत्रता देने के लिए कोई विनिर्दिश्ट उपबंध नहीं है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (क) में सम्मिलित है

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मुद्रण भी षामिल है

• प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (2) द्वारा कुछ परिसीमाओं का निर्धारण किया गया है

• राज्य, प्रेस की स्वतंत्रता पर सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेषी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, षिश्टाचार, न्यायालय अवमानना अपराध उद्दीपन आदि पर विधियां बना सकता है

• अनुच्छेद 20– कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है परंतु एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंडित किया जाएगा बार–बार नहीं

• अनुच्छेद 21– इन अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निम्नवत तरीके से परिभाशित किया है

• सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाश कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में अपने निर्णय में कहा कि प्रदूशण रहित जल एवं वायु का सेवन भी नागरिकों का मूल अधिकार है

• सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले परमानंद बनाम भारत संघ 1989 सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कोई भी व्यक्ति दोशी हो या नहीं उसके जीवन की रक्षा की जानी चाहिए तथा बीमार एवं रोगी को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए

• अनुच्छेद 22– इस अनुच्छेद के तहत जो उपबंध दिए गए हैं उन्हें निवारक निरोध अधिनियम कहा जाता है

• पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बता दिया जाता है कारण न बताए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के उपरांत कारण जान सकता है

• ऐसा विधान उपबंधित है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में पेष करना अनिवार्य है

• विध्वंसात्मक कार्यों के विरुद्ध 7 मई 1971 को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेष पारित हुआ

• जून 1971 में अध्यादेष को कानून का रूप देते हुए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया

• 1970 ईस्वी में तस्करी विदेषी मुद्रा में छल आदि को रोकने के लिए विदेषी मुद्रा संरक्षण एवम तस्करी निवारक अधिनियम बनाया गया

• 44 वें संविधान संषोधन के प्रतिकूल रहने के कारण डै। कानून को रद्द कर दिया गया

• विध्वंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देष्य से 24 सितंबर 1983 को राश्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेष जारी किया

• 1985 ईस्वी में राश्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेष को कानूनी हैसियत प्रदान करते हुए इसे टाडा कहा गया 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया

• वर्श 2003 में आतंकवाद एवं विध्वंसक कार्यवाहियों के नियंत्रण के उद्देष्य से संयुक्त अधिवेषन में संसद ने पोटा कानून लागू किया

• संयुक्त प्रगतिषील गठबंधन की सरकार ने पोटा कानून को रद्द कर दिया

षोशण के विरुद्ध अधिकार(अनु 23 से 24)द्य त्पहीज ।हंपदेज म्चसवपजंजपवद

• अनुच्छेद 23 दृ मनुश्य का क्रय विक्रय, बलात श्रम, बेगार षारीरिक षोशण किसी भी व्यक्ति का किसी के द्वारा किया जाना वर्जित है

• अनुच्छेद 24– 14 वर्श तक के बच्चे को किसी खतरनाक कार्य में लगाना वर्जित है

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु 25 से 28) द्य त्पहीज जव त्मसपहपवने थ्तममकवउ

• अनुच्छेद 25– नैतिकता, धार्मिक सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य के प्रति इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है

- अनुच्छेद 26– इसके तहत धार्मिक समुदाय एवं उससे संबंधित विषेशाधिकारों का वर्णन दिया गया है दान द्वारा ट्रस्ट का निर्माण एवं विकास किया जा सकता है दान की राषि से कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है दान पर कोई कर नहीं लगेगा

- अनुच्छेद 27– राज्य अपनी ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित नहीं कर सकता

- अनुच्छेद 28– राज्य को पूर्णतया अंषतः किसी प्रकार से धर्म द्वारा षिक्षा देना वर्जित है परंतु धार्मिक न्यास पर आधारित संगठन इस तरह की षिक्षा दे सकते हैं जैसे मदरसा

सांस्कृतिक एवं षैक्षिक अधिकार(अनु. 29 से 30) द्य ब्नसजनतंस ंदक म्कनबंजपवदंस त्पहीजे

- अनुच्छेद 29(प) ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें भारत की भाशा या लिपि उनकी संस्कृति के अनुकूल न लगती हो वह अन्य भाशा लिपि एवं संस्कृति अपना सकती हैं

- अनुच्छेद 29(पप) दृ अनुच्छेद 29(प) में वर्गीकृत समूह के लोगों के साथ उनकी भाशा एवं लिपि के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए

- अनुच्छेद 30(प) ऐसी अलग भाशा एवं संस्कृति वाले लोग अपनी भाशा एवं संस्कृति के विकास के लिए षिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं

अनिवार्य षिक्षा का अधिकार

- संविधान के 86वें संषोधन अधिनियम 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21(ए) जोड़ा गया है

- किसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्श की उम्र के बच्चों को अनिवार्य षिक्षा उपलब्ध करानी होगी

- यह व्यवस्था संबंधित प्रांत द्वारा निर्धारित कानून द्वारा होगी

संविधानिक उपचारों का अधिकार(अनु. 32 से 35)

- अनुच्छेद 32– किसी भी व्यक्ति या राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पांच प्रकार की याचिका जारी की जाती है जो निम्नवत है

- बंदी प्रत्यक्षीकरण– बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेष किया जाता है बंदी बनाने के कारणों को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है यह प्रलेख निजी व्यक्ति संगठन एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं

- परमादेष दृ इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेष के लिए आदेष देती है इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को

कर्तव्य पालन के लिए विवष करती है सिर्फ राश्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध यह लेख जारी नहीं हो सकता है

- प्रतिशेध– यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण का प्रयास करते हैं'

- उत्प्रेशण दृ यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब मामला गंभीर मुकदमों के अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना होता है यह लेख उस परिस्थिति में भी जारी किया जाता है जब कोई अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अधिकार करता है यह लेख न्याय पालिका एवं नगर निगमों पर लागू किया जाता है

- अधिकार पष्च्छा दृ जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद यह अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे इसलिए के द्वारा रोका जाता है यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पूर्ण रूप आश्वस्त हो जाता है कि अधिकार का दुरूपयोग कहां तक हुआ है

- संविधान सभा में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी

- 1967 ईस्वी से पूर्व तक यह निर्धारित था के अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग को संषोधित करती है

- 1967 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों का संषोधन नहीं कर सकती

- अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संषोधन करने के उद्देष्य से 24 वे संविधान संषोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संषोधन करके यह निर्धारित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संषोधन कर सकती है

- केषवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया तथा 24 वे संविधान संषोधन को विधिक रूप प्रदान किया गया

- 42वें संविधान संषोधन– 1978 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड(।) एवं(5) को जोड़कर यह व्यवस्थित किया गया कि इस प्रकार किए गए संषोधन को किसी न्यायालय में प्रष्नगत नहीं किया जा सकता

- 1980 ईस्वी में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायालय इस आधार पर किसी संषोधन का पुनरावलोकन कर सकती है इसके साथ ही 42वें संविधान संषोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया

मौलिक कर्तव्यः अर्थ, विकास, विषेशताएँ, महत्त्व और आलोचन

मौलिक कर्तव्यों का अर्थ

मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में देषभक्ति, राश्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

भारत में मौलिक कर्तव्यों की सूची

संविधान के भाग प्ट–। में अनुच्छेद 51। ग्यारह मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। ये मौलिक कर्तव्य नीचे उल्लिखित हैंः

- संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्षों, संस्थाओं, राश्ट्रीय ध्वज तथा राश्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- स्वतंत्रता के लिए राश्ट्रीय संघर्श को प्रेरित करने वाले महान आदर्षों को संजोना एवं उनका पालन करना।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना।
- देष की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राश्ट्रीय सेवा करना।
- धर्म, भाशा और क्षेत्रीय या विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना तथा महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
- देष की समष्द्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्त्व देना और उसका संरक्षण करना।
- वन, झील, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, तथा जीवों के प्रति दयाभाव रखना।
- वैज्ञानिक दृश्टिकोण, मानवतावाद , खोज तथा सुधार की भावना का विकास करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृश्टता की ओर निरंतर प्रयास करना ताकि राश्ट्र निरंतर उच्च प्रयासों और उपलब्धियों के नए स्तरों तक पहुँचे।
- अपने छह से चौदह वर्श की आयु के बीच के बच्चों या आश्रितों को षिक्षा के अवसर प्रदान करना (वर्श 2002 में 86वें संविधान संषोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया)।

नोटः भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं।

इकाई.11 भारत में मौलिक कर्तव्यों का विकास

मूलतः, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य षामिल नहीं थे। हालाँकि, 1975 से 1977 के बीच आंतरिक आपातकाल के दौरान इनकी आवष्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई। तदनुसार, सरकार द्वारा कदम उठाए गए जिससे भारत में मौलिक कर्तव्यों का समावेष और विकास हुआः

सरदार स्वर्ण सिंह समिति

- वर्श 1976 में, भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिषें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया।

- समिति ने पाया कि अधिकारों के उपभोग के अतिरिक्त, नागरिकों को कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए।

- तदनुसार, इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को षामिल करने की सिफारिष की, इनमे 8 मौलिक कर्तव्यों की सूची थी।

42वाँ संविधान संषोधन अधिनियम, 1976

- केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिषों को स्वीकार कर लिया और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को षामिल करने का निर्णय लिया।

- इसके अनुसार, 1976 में 42वें संविधान संषोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया, जिसने संविधान में एक नया भाग (भाग प्ट।) जोड़ा। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद (अनुच्छेद 51।) है जो भारत के नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्यों की एक संहिता निर्दिश्ट करता है।

- यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने आठ मौलिक कर्तव्यों को षामिल करने की सिफारिष की थी, 42वें संविधान संषोधन अधिनियम में दस मौलिक कर्तव्यों को षामिल किया गया।

86वाँ संविधान संषोधन अधिनियम, 2002

- वर्श 2002 के 86वें संविधान संषोधन अधिनियम ने एक और मौलिक कर्तव्य (छह से चौदह वर्श की आयु के बीच अपने बच्चे को षिक्षा के अवसर प्रदान करना) जोड़ा।

- तब से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निरंतर बनी हुई है।

मौलिक कर्तव्यों की विषेशताएँ (थ्मंजनतमे व िजीम थ्नदकंउमदजंस क्नजपमे)– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51–। में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में कई मुख्य विषेशताएं हैं जो इस प्रकार हैंः

• गैर–योग्यसंगत (छवद–श्रनेजपबपंइसम) दृ ये कर्तव्य न्याय योग्य नहीं हैं, अर्थात ये न्यायपालिका के माध्यम से कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यद्यपि, ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्वों और मार्गदर्षक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

• प्रवर्तनीयता का दायरा (बवचम व िचचसपबंइपसपजल) दृ ये कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेषियों तक विस्तारित नहीं हैं।

• विभिन्न स्रोतों से प्राप्त (क्मतपअमक तिवउ टंतपवने वनतबमे) दृ ये कर्तव्य विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हैं, जिनमें पूर्व सोवियत संघ का संविधान, महात्मा गाँधी जी के विचार और अन्य संवैधानिक विषेशज्ञ षामिल हैं। वे राश्ट्रीय और अंतर्राश्ट्रीय मूल्यों के मिश्रण को दर्षाते हैं।

• निदेषात्मक प्रकृति (क्पतमबजपअम छंजनतम) दृ ये कर्तव्य नागरिकों के व्यवहार और आचरण का मार्गदर्षन करते हैं और एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले समाज के निर्माण के लिए नैतिक दिषाबोध के रूप में कार्य करते हैं।

• भारतीय मूल्यों का संहिताकरण (ब्वकपपिबंजपवद व िप्दकपंद टंसनमे) दृ ये उन मूल्यों का उल्लेख करते हैं जो भारतीय परंपराओं और प्रथाओं का हिस्सा रहे हैं। इस प्रकार, ये अनिवार्य रूप से भारतीय जीवन षैली के अभिन्न कार्यों का संहिताकरण हैं।

• नैतिक और नागरिक कर्तव्य (डवतंस ंदक ब्पअपब क्नजल) दृ इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जैसे राश्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्षों को संजोना, जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं जैसे संविधान का सम्मान करना।

मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व

मौलिक कर्तव्य नागरिकों में जवाबदेहिता, देषभक्ति और सामाजिक सद्भाव की भावना पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महत्त्व को रेखांकित करने वाले कुछ बिंदु इस प्रकार हैं:

• नागरिक चेतना को बढ़ावा देना (च्तवउवजमे ब्पअपब ब्वदेबपवनेदमे): ये कर्तव्य नागरिकों में राश्ट्र और समाज के प्रति नागरिक चेतना और जवाबदेही की भावना पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, ये उन्हें संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के उनके दायित्वों का स्मरण कराते हैं।

• षिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना (म्कनबंजपवदंस ंदक ब्नसजनतंस च्तवउवजपवद): कुछ मौलिक कर्तव्य षिक्षा, वैज्ञानिक दृश्टिकोण और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के महत्त्व पर बल देते हैं, साथ ही साथ भारत की समष्द्ध सांस्कृतिक विरासत को भी संजोते हैं।

• अधिकारों के साथ सामंजस्य

ये कर्तव्य संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। यद्यपि मौलिक अधिकार नागरिकों को कुछ प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, मौलिक कर्तव्य उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति उनके पारस्परिक दायित्वों की स्मरण कराते हैं।

• लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना

ये नागरिकों में यह भावना पैदा करते हैं कि वे केवल दर्षक नहीं बल्कि राश्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदार हैं।

• राश्ट्रीय एकता और अखंडता का संरक्षण

ये कर्तव्य संविधान के आदर्षों का सम्मान करने और व्यक्तिगत हितों से परे देष के कल्याण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के महत्त्व पर बल देते हैं।

• नैतिक और सदाचार मूल्यों का समावेष

ये कर्तव्य ईमानदारी, सत्यनिश्ठा और दूसरों के सम्मान को बढ़ावा देकर नागरिकों में नैतिक और सदाचार मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

•लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देनाये कर्तव्य नागरिक जुड़ाव और जिम्मेदार नागरिकता के माध्यम से लोकतंत्र के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हैं, जो एक जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवष्यक हैं।

•सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना

ये कर्तव्य नागरिकों को सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और समावेषिता को बढ़ावा मिलता है।

• मौलिक अधिकारों के पूरक

यद्यपि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को सषक्त बनाते हैं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को समाज और साथी नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। वे अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, यह सुनिष्चित करते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाए।

• कानूनी और संवैधानिक ढांचा

ये कर्तव्य विधायकों और नीति निर्माताओं के लिए समाज की बेहतरी के लिए कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्षक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं।

• न्यायपालिका की सहायता

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय, अगर न्यायपालिका को यह महसूस होता है कि विचाराधीन कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसे कानून को अनुच्छेद

14 (कानून के समक्ष समानता) या अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएं) के संबंध में 'उचित' मान सकती है। जैने, वे न्यायपालिका को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारित करने में सहायता करते हैं।

- **वैश्विक मान्यता**

मौलिक कर्तव्यों को षामिल करने से वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत होती है क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति उसके नागरिकों के समर्पण को दर्षाता है।

मौलिक कर्तव्यों पर उच्चतम न्यायालय के विचार (ैनचतमउम ब्वनतजे टपमूे वद थ्नदकंउमदजंस क्नजपमे)

• श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ (2003): इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से भी आदरपूर्वक बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता के व्यापक प्रसार के संबंध में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिषों के कार्यान्वयन का निर्देष दिया।

- **एम्स छात्र संघ बनाम एम्स**

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व मौलिक अधिकारों के समान है। माननीय न्यायालय ने देखा कि दोनों को 'मौलिक' के रूप में नामित किया जाना उनके समान महत्त्व को रेखांकित करता है।

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच के संबंध को सहसंबंधी और पूरक के रूप में सारांषित किया जा सकता है। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग करने के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए अन्य नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का पालन करना आवष्यक है। इसी प्रकार, अधिकार कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं, और अधिकारों की पूर्ति के बिना, व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, षिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बिना, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने के कर्तव्य की अपेक्षा करना कठिन है।

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अविभाज्य संबंध को निम्नानुसार दर्षाया गया है:

मौलिक अधिकार

मौलिक कर्तव्य

अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। यद्यपि,इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राज्य अन्य बातों के साथ–साथ भारत की संप्रभुता,

अखंडता और राज्य की सुरक्षा के आधार पर इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 51।(ब) नागरिकों पर "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने" का मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 21 में महिलाओं के साथ षालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के अधिकार को षामिल किया गया है। अनुच्छेद 51।(म) नागरिकों को "महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने" का निर्देष देता है।

अनुच्छेद 21(।) 6–14 वर्श की आयु के सभी बच्चों को निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 51।(ा) नागरिकों से "अपने 6–14 वर्श की आयु के बीच के बच्चे/संरक्षक को षिक्षा के अवसर प्रदान करने" के लिए निर्देष देता है।

अनुच्छेद 23(2) में प्रावधान है कि राज्य सैन्य सेवा जैसी सार्वजनिक उद्देष्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। अनुच्छेद 51।(क) नागरिकों से "देष की रक्षा करने और राश्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए आह्वान किए जाने पर ऐसा करने" के लिए निर्देष देता है।

राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत (क्च्ै) भले ही न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, फिर भी वे नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एक प्रकार के अधिकार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, क्च्ै और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध भी सहसंबंधी और पूरक है। इसे निम्न उदाहरणों द्वारा दर्षाया गया हैः

राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत

मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 48 (।) राज्य को "पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने" का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 51।(ह) नागरिकों का मौलिक कर्तव्य "वनों, वन्यजीवों आदि सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने" का निर्देष देता है।

अनुच्छेद 45 राज्य को "सभी बच्चों को 6 वर्श की आयु पूरी होने तक उनके लिए पूर्व–प्राथमिक देखभाल और षिक्षा प्रदान करने" का निर्देष देता है।

अनुच्छेद 51।(ा) नागरिकों से "अपने 6–14 वर्श की आयु के बीच के बच्चे/संरक्षक को षिक्षा के अवसर प्रदान करने" के लिए निर्देष देता है।

अनुच्छेद 49 राज्य को "राश्ट्रीय महत्त्व घोशित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने" का निर्देष देता है। अनुच्छेद 51।(ि) नागरिकों को "देष की समग्र संस्कृति की समष्द्ध विरासत को महत्त्व देने और संरक्षित करने" का निर्देष देता है।

मौलिक कर्तव्यों और संविधान की प्रस्तावना के बीच संबंध

मौलिक कर्तव्यों और संविधान की प्रस्तावना के बीच का संबंध भारतीय संविधान में निहित आदर्शों और आकांक्षाओं को परस्पर मजबूत करने में निहित है। यद्यपि प्रस्तावना संविधान के उद्देष्यों और मार्गदर्षक सिद्धांतों को रेखांकित करता है, मौलिक कर्तव्य इन उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारियों को स्पश्ट करते हैं।

उनके परस्पर सहसंबंधी और सुदृढ़ करने वाले संबंध को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

मौलिक कर्तव्य

संविधान की प्रस्तावना

अनुच्छेद 51 ।() संविधान का पालन करने तथा इसके साथ ही संविधान के आदर्शों एवं संस्थाओं, राश्ट्रीय ध्वज और राश्ट्रगान का सम्मान करने का उल्लेख है।

प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को 'न्याय', 'स्वतंत्रता', 'समानता' और 'बंधुता' के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसलिए, हमें अपने प्रत्येक षब्द, कार्य और विचार में संविधान के इन आदर्शों को याद रखना और उनका पालन करना चाहिए।

अनुच्छेद 51।(ब) "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने" का उल्लेख करता है। इन मूलभूत मूल्यों का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में किया गया है।

अनुच्छेद 51।(म) "धार्मिक, भाशाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने" का उल्लेख करता है।.

संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुता' का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति की गरिमा और राश्ट्र की एकता एवं अखंडता का आश्वासन देता है।

मौलिक कर्तव्यों की आलोचना

- **न्यायिक प्रवर्तनीय न होना**

मौलिक कर्तव्यों के न्यायिक प्रवर्तनीय न होने पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि इनका पालन न करने पर कोई कानूनी दंड नहीं दिया जाता है, जिससे उनकी प्रभावषीलता और उपयोगिता पर सवाल खड़े होते हैं।

- **अपूर्ण सूची**

मौलिक कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों को षामिल नहीं किया गया है, जैसे मतदान करना, करों का भुगतान करना आदि।

- **अस्पश्टता और अनेकार्थता**

कुछ आलोचकों का तर्क है कि मौलिक कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाशा अस्पश्ट, व्यक्तिपरक और अनेकार्थी है, जिससे इन कर्तव्यों के सटीक परिधि और प्रकृति को निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, 'उत्तम आदर्षों', 'समग्र संस्कृति' आदि वाक्यांषों के अलग–अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं।

- **अधिकारों के साथ असंतुलन**

आलोचकों का तर्क है कि जहाँ संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों को थोपना अधिकारों के साथ असंतुलन पैदा करता है। उनका तर्क है कि नागरिकों को बिना किसी संगत कर्तव्य के लागू करने योग्य अधिकार होने चाहिए, क्योंकि कर्तव्य व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं।

- **अप्रभावी प्रचार और जागरूकता**

कई नागरिक अपने कर्तव्यों से अनजान होते हैं या उन्हें अपने अधिकारों के लिए गौण समझते हैं, जो नागरिक दायित्व की भावना को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावषीलता को कमजोर करता है।

- **घटता महत्त्व**

मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग चार के परिषिश्ट के रूप में षामिल करना उनके मूल्य और महत्त्व को कम करने के रूप में देखा जाता है। आलोचकों का तर्क है कि उन्हें मौलिक अधिकारों के समकक्ष रखने के लिए उन्हें भाग तीन के बाद जोड़ा जाना चाहिए था।

आलोचनाओं के बावजूद, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य नागरिक चेतना, देषभक्ति और सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए अभिन्न अंग हैं। नागरिकों को जिम्मेदार नागरिकता की ओर मार्गदर्षन देकर, वे राश्ट्र के सामूहिक कल्याण और प्रगति में योगदान करते हैं। कुल मिलाकर, वे संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित एक सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के दृश्टिकोण को पूरा करने में सहायता करते हैं।

माड्यूल–4

इकाई 12

गांधीः मोहनदास से महात्मा बनने का सफर

2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। आज गांधी होते तो 153 वर्श के हो गए होते। इतने लंबे वक्त तक जिंदा रहना तो बेहद कठिन है लेकिन जन के मन में गांधी आज भी जिंदा हैं। 30 जनवरी 1948 को षारीरिक प्रस्थान से गांधी का अंत नहीं हुआ। षारीरिक प्रस्थान से किसी का अंत होता भी नहीं है। अपनी मौत के बाद भी सभी जीते हैं, हाँ कोई कम और कोई ज्यादा। गांधी षारीरिक रूप से 125 वर्श तक जीने की इच्छा रखते थे लेकिन तत्कालीन हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए 79 वर्श की उम्र में उन्होंने कहा कि "मैं अब जिंदा रह कर क्या करूँगा, अब मैं और नहीं जीना चाहता।" गांधी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनके विचारों का प्रसार लगातार होता रहा और होता रहेगा। हरिजन' में उन्होंने लिखा भी था कि, "उम्र से बूढ़ा होने पर भी मुझे नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास रुक गया है या काया के विसर्जन के बाद रुक जाएगा।" आज गांधी संपूर्ण विश्व में एक गतिमान विचार के रूप में मौजूद हैं। निर्मल वर्मा ने गांधी के बारे में ठीक ही कहा है, "गांधी दुनिया में सबसे कम जगह घेरने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जगह घेरी तो दिल और दिमाग में।"

2 अक्तूबर को पूरी दुनिया में "अंतरराश्ट्रीय अहिंसा दिवस" के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राश्ट्र महासभा ने 15 जून, 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया कि वे षांति और अहिंसा के विचार पर अमल करें और महात्मा गांधी के जन्मदिवस को "अंतरराश्ट्रीय अहिंसा दिवस" के रूप में मनाएँ। इस दिवस का उद्देष्य है, सम्पूर्ण विश्व में षांति स्थापित करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना। इसके अतिरिक्त षांति, सहिश्णुता, समझ और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना। संयुक्त राश्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार यह दिन "षिक्षा और जन जागरूकता सहित अहिंसा के संदेष को प्रसारित करने" का एक अवसर है।

व्यक्तित्व और कृतित्व–

गांधी के मोहनदास से महात्मा बनने का सफर इतना आसान नहीं है। इस सफर को मात्र कुछ षब्दों में समेटा भी नहीं जा सकता। आइंस्टाइन का यह कथन गांधी की महत्ता बताने के लिये पर्याप्त है कि "आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास नहीं करेंगी कि इस धरती पर गांधी जैसा कोई हाँड–माँस का षरीर रहा होगा।"

रामचंद्र गुहा ठीक कहते हैं कि, "गांधी ने जो दो दषक दक्षिण अफ्रीका में बिताए वे गांधी को महात्मा बनने की राह पर ले गए।" गांधी के व्यक्तित्व को उनके पारिवारिक संस्कारों ने जरूर गढ़ा था लेकिन गांधी के मुखर व्यक्तित्व की निर्मिती में दक्षिण अफ्रीका प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के 21 वर्शों में गांधी का जीवन और विचार कई महत्त्वपूर्ण बदलावों से गुजरे।

दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी को कई प्रकार के अपमानजनक अनुभव मिले। उन्होंने इस अपमान के विरुद्ध संघर्श की राह का चुनाव किया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया और लगातार विस्तार करते गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में संगठित प्रयास के लिये 'नटाल इंडियन कांग्रेस' (1894), ट्रांसवाल ब्रिटिष इंडियन एसोसिएषन(1902), हरिजन सेवक संघ (1933) जैसे संगठनों का निर्माण किया।

अपने विचारों के प्रसार के लिये उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ग्रीन पम्फलेट, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन जैसे समाचार पत्रों का प्रकाषन किया। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिये फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फॉर्म, साबरमती तथा सेवाग्राम जैसे महत्वपूर्ण आश्रमों की स्थापना भी की। जो कि स्वराज्य प्राप्ति में सहायक साबित हुए।

भारतीय राश्ट्रीय आंदोलन एवं गांधी–

दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय गांधी के पास एक सुस्पश्ट कार्यपद्धती और भारत के पुनरुत्थान के लिये एक सुविचारित कार्यक्रम था। चंपारण आंदोलन(1917), खेड़ा सत्याग्रह(1918), अहमदाबाद मिल हड़ताल(1918) में सफल नेतष्त्व की बदौलत गांधी भारत आगमन के चार सालों के अंदर ही प्रभावषाली राश्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे। उनकी नैतिकतावादी भाशा, जटिल व्यक्तित्व, स्पश्ट दृश्टि, सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल, आचरण और असाधारण आत्मविश्वास ने देषवासियों को प्रभावित किया। असहयोग आंदोलन(1920) सविनय अवज्ञा आंदोलन(1930) और भारत छोड़ो आंदोलन(1942) गांधी के प्रयोगों के माध्यम से भारतीय जनमानस का ब्रिटिष उपनिवेषवादी सत्ता के प्रति आक्रोष को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना। जिससे स्वाधीनता की राह आसान हुई। गांधी की अनुपस्थिति में हम भारतीय राश्ट्रीय आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

चिंतन–

गांधी को समझने हेतु उनके चिंतन को समझना बेहद जरूरी है। उनका चिंतन बहुआयामी है। इसका मुख्य कारण गांधी बहुत सारे विचारों से प्रभावित थे और अनुभव के आधार पर उनमें स्वीकारोक्ति का भी भाव था। गांधी हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों मुख्य रूप से गीता और रामायण से प्रभावित थे। अहिंसा और षांति का विचार उन्होंने बौद्ध धर्म से लिया था। अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का विचार उन्होंने जैन धर्म से स्वीकार किया था। इस्लाम की बंधुता और ईसाईयत का दया भाव उनको प्रभावित करता था। इसके अतिरिक्त गांधी टॉलस्टॉय, थोरो और रस्किन के विचारों से भी प्रभावित थे।

गांधी ने अपने मत के पक्ष में सदैव वाद–विवाद और संवाद किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी ने जितने भी कदम उठाए, उनका यही उद्देष्य था कि अपने विचारों को जमीन पर उतारा जा सके। उनके लिये वे विचार निरर्थक थे जिन्हें जिया न जा सके। जहाँ ज़रूरी लगा गांधी अपना मत परिवर्तन करने से हिचके भी नहीं। गांधी सदैव सिद्धांत निर्माण के बजाय कर्म में विश्वास करते रहे।

गांधी के जीवन और चिंतन का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष साध्य और साधन की पवित्रता रही। गांधी यहीं पर पष्चिम के मैकियावेली जैसे विचारकों से अलग दिखते हैं। गांधी के भीतर आजीवन एक नैतिक संघर्श चलता रहा। इसे वे आत्मपरीक्षण कहते थे। गांधी एक–एक भाव की जाँच करते थे। जो ग्रहण करने योग्य होता था उसके अनुरूप आचरण करते थे। गांधी धर्म को भी नैतिक अनुषासन की व्यवस्था मानते थे। गांधी के संपूर्ण चिंतन का अवलोकन करने के पष्चात हम कह सकते हैं कि वह एक नैतिक आदर्षवादी' हैं। उनके राजनीतिक विचारों के आलोक में उन्हें दार्षनिक अराजकतावादी' भी कहा जाता है।

गांधी के महत्त्वपूर्ण विचारों को निम्नलिखित षीर्शकों के अंतर्गत समझा जा सकता है–

सत्य और अहिंसा–

गांधी के लिये अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। उनका मानना था कि उन्होंने सत्य की अपनी खोज में अहिंसा को प्राप्त किया है। वे कहते हैं, "मेरे लिये अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है।" गांधी के लिये सत्य कोई अंतिम दावा नहीं था। सत्य उनके लिये प्रयोग का विशय था। उनका मानना था सत्य अपने–अपने अनुभव और विवेक की प्रयोगषाला में स्वयं को परखने की चीज है। वे कहते हैं, "मेरे निरंतर अनुभव ने यह विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है।" इसलिये उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" रखा।

सत्याग्रह–

गांधी के लिये सत्याग्रह, स्वराज प्राप्ति का साधन है। जिसके लिये वे असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसी नैतिक दबाव वाली तकनीकों का प्रयोग करते हैं। वे सत्य पर अडिग रहते हुए ह्रदय परिवर्तन पर बल देते हैं। हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक प्रकार से सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। के. एल. श्रीधरानी ने इसे हिंसाविहीन युद्ध' भी कहा है।

स्वराज–

गांधी के लिये स्वराज प्राप्ति का अर्थ सिर्फ राजनीति स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्वाधीनता है। व्यक्ति के लिये वह इसे स्वनियंत्रण से जोड़ते हैं। गांधी कहते हैं– "मैं ऐसे भारत के निर्माण का प्रयत्न करूँगा जिसमें निर्धन से निर्धन मनुश्य भी यह अनुभव करेगा कि यह मेरा अपना देष है और इसके निर्माण में मेरा पूरा अपना हाथ है।"

स्वदेषी–

गांधी औद्योगीकरण का विरोध करते हुए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेषी पर बल देते हैं। औद्योगिक सभ्यता के इस दौर में गांधी का स्वदेषी से संबंधित विचार देष के आर्थिक निर्माण का मार्गदर्षक सिद्धांत है। उन्होंने भारतीय समाज की संस्कृति का स्मरण कराने वाले प्रतीकों का समूह बनाया। जिसमें चरखा, खादी, गाय एवं गांधी टोपी षामिल था।

सर्वोदय–

सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय। यह एक प्रकार से गांधीवादी समाजवाद है। सर्वोदय ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता है। समाज की बुनियाद इकाइयों और संरचनाओं से इसकी षुरुआत होती है। गांधी ने सभी वर्गों मुख्य रूप से अछूतों, महिलाओं, कामगारों एवं किसानों के उत्थान के लिये रचनात्मक कार्यक्रमों का भी संचालन किया। सर्वोदय की अवधारणा से ही भूदान आंदोलन का जन्म हुआ।

आधुनिकता सभ्यता और गांधी–

महात्मा गांधी राश्ट्र उत्थान के लिये सभी प्रकार के विचारों का स्वागत करते थे लेकिन किसी भी देष की उन्नति के लिये उस देष की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ पष्चिमी सभ्यता में ढालने के पक्षधर नहीं थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पष्चिमी सभ्यता मनुश्य को उपभोक्तावाद का रास्ता दिखा कर नैतिक पतन की ओर ले जाती है; नैतिक उत्थान का रास्ता आत्मसंयम और त्याग की भावना की मांग करता है। गांधी जी ने पष्चिमी सभ्यता और आधुनिक सभ्यता को समवर्ती मानते हुए उसकी विस्तष्त समीक्षा की। वर्श 1927 में 'यंग इंडिया' के अंतर्गत उन्होंने लिखा कि, " मैं यह नहीं मानता कि इच्छाओं को बढ़ाने, उनकी पूर्ति के साधन जुटाने से संसार अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ पाएगा। आज की दुनिया में दूरी और समय के अंतराल को कम करने, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने और उनकी तष्प्ति के लिये धरती का कोना–कोना छान मारने की अंधी दौड़ चल रही है, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यदि आधुनिक सभ्यता के यही सब लक्षण हैं और मुझे इसके यही लक्षण समझ आते हैं तो मैं इसे षैतानी सभ्यता कहता हूँ।"

गांधी जी ने 'हिंद स्वराज' के अंतर्गत लिखा है कि, "आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ के धरातल पर यह प्रजातिवाद को बढ़ावा देती है। इसमें अश्वेत जातियों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है और उनका भरपूर षोशण किया जाता है। कहीं उन्हें दास बनाकर तो कहीं बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है।" गांधीजी के अनुसार, "आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को, प्राकृतिक जीवन की तुलना में यांत्रिक जीवन को और नैतिकता की तुलना में राजनीति और अर्थषास्त्र को ऊँचा स्थान दिया जाता है।"

गांधी की प्रासंगिकता–

गांधी बीसवीं सदी के सबसे सार्थक, सक्रिय और सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व रहे। आज 21वीं सदी के दो दषक बाद भी गांधी और उनके विचार संपूर्ण विश्व के लिये जरूरी प्रतीत होते हैं। वैश्वीकृत, समकालीन आधुनिक भौतिकतावादी समाज में जहाँ असंतोश ,अवसाद, असमानता व असंवेदनषीलता जैसी समस्याएँ हावी हैं वहाँ विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में गांधीवादी चिंतन ना सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि इसमें विषेश अभिरुचि भी ली जा रही है। गांधी के विचारों को आधार बनाकर कई देषों ने स्वाधीनता हासिल की।

चूँकि गांधी सदैव विकेंद्रीकरण के समर्थक रहे इसलिये गांधी का चिंतन वर्तमान लोकतांत्रिक
व्यवस्थाओं के लिये बेहद उपयोगी है। गांधी ने श्रम की गरिमा को मानव गरिमा से जोड़ा।
पूंजीवाद और मानव मूल्यों के क्षरण के इस दौर में मानव गरिमा को बचाए रखने हेतु गांधी
का चिंतन बेहद जरूरी है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे संपूर्ण विश्व
के समक्ष गांधी का चिंतन ना सिर्फ धारणीय विकास के अनुकूल है बल्कि सामाजिक
समावेषन को बढ़ाने वाला है।

निश्कर्श–

आज गांधी की बहुत मूर्तियाँ बनवाई जा चुकी हैं लेकिन असल प्रष्न यह है कि विचार और
आचरण रूप में वह हमारी चेतना और व्यवहार में हैं और रहेंगे कि नहीं?

गांधी जयंती के अवसर पर आज हमें गांधी को महज रस्म अदायगी तक याद करने से
बचना होगा। गांधी का व्यक्तित्व और चिंतन न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिये एक
धरोहर है वर्तमान में इसे संरक्षित और संवर्द्धित करने की आवष्यकता है।

जवाहरलाल नेहरू

पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत 14 नवंबर, 2022 को बाल
दिवस मना रहा है।

विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्श 20 नवंबर को मनाया जाता है। इकाई.1

इकाई.13 जवाहरलाल नेहरूः

परिचयः

जन्मः 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेष में।

पिता का नामः मोतीलाल नेहरू (एक वकील जो दो बार अध्यक्ष के रूप में भारतीय
राश्ट्रीयकॉन्ग्रेस के पद पर रहे)।

माता का नामः स्वरूप रानी

संक्षिप्त परिचयः

लेखक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता और वकील, जो भारत के ब्रिटिष षासन के खिलाफ

नेहरू कैम्ब्रिज़ के ट्रिनिटी कॉलेज में तीन साल पढ़ाई की हैं जहाँ उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की है।

उन्होंने इनर टेम्पल, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की।

स्वदेष वपसीः

वर्श 1912 में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने तुरंत राजनीति में भाग लिया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदानः

नेहरू ने वर्श 1912 में बांकीपुर कॉन्ग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

वर्श 1916 में वे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में षामिल हो गए।

वे वर्श 1919 में होम रूल लीग, इलाहाबाद के सचिव बने।

वर्श 1920 में जब असहयोग आंदोलन षुरू हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बातचीत की और राश्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में षामिल हो गए।

वर्श 1921 में उन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों में षामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।

नेहरू को सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्श 1927 तक उन्होंने दो बार कॉन्ग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया।

वर्श 1928 में लखनऊ में साइमन कमीषन के विरोध में नेहरू पर लाठीचार्ज किया गया था।

वर्श 1929 में नेहरू को भारतीय राश्ट्रीय कॉन्ग्रेस के लाहौर अधिवेषन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

नेहरू ने इस अधिवेषन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।

वर्श 1929–31 में उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जिसमें कॉन्ग्रेस के मुख्य लक्ष्यों और देष के भविश्य को रेखांकित किया गया।

वर्श 1931 में कराची अधिवेषन के दौरान कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव की पुश्टि की गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी।

उन्होंने वर्श 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था।

नेहरू कॉन्ग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और महात्मा गांधी के समान लोकप्रिय हुए।

वर्श 1936 में उन्होंने भारतीय राश्ट्रीय कॉन्ग्रेस के लखनऊ अधिवेषन की अध्यक्षता की।

युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करने के लिये व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित करने के कारण नेहरू को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने वर्श 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया जिसके लिये उन्हें चार साल की जेल की सजा मिली।

नेहरू ने वर्श 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेषन में 'भारत छोड़ो' आंदोलन की षुरुआत की।

अन्य नेताओं के साथ नेहरू को 8 अगस्त, 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर किले में ले जाया गया।

वर्श 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्होंने इंडियन नेषनल आर्मी (प्छ।) में निश्ठाहीनता के आरोपी अधिकारियों और सैनिकों के लिये कानूनी बचाव की व्यवस्था की।

उन्हें वर्श 1946 में चौथी बार भारतीय राश्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

सत्ता के हस्तांतरण की रणनीति की सिफारिष करने के लिये वर्श 1946 में कैबिनेट मिषन को भारत भेजा गया था।

प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।

15 अगस्त, 1947 को भारत को आज़ादी तो मिली लेकिन बँटवारे का दुख भी हुआ।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्रीः

नेहरू के अनुसार एक रियासत को संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहिये, उन्होंने यह भी पुश्टि की कि स्वतंत्र भारत में कोई रियासत नहीं होगी।

उन्होंने राज्यों के प्रभावी एकीकरण का कार्य वल्लभबाई पटेल को सौंपा।

जब नए भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही भारत 26 जनवरी, 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

राज्यों को भाशाओं के अनुसार वर्गीकृत करने के लिये जवाहरलाल नेहरू ने वर्श 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति बनाई।

लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने पहली पंचवर्शीय योजनाओं को पूरा करके भारत के औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (छ।ड) को उनकी सबसे बड़ी भू–राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है।

भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद षीत युद्ध के दौरन किसी भी महाषक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री के रूप में उनका अंतिम कार्यकाल वर्श 1962 के चीन–भारत युद्ध के कारण बहुत प्रभावित हुआ।

उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 17 वर्शों के दौरान लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया, भारत के लिये लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को प्राप्त करने की आवष्यकता पर प्रकाष डाला।

- उनकी आंतरिक नीतियों की स्थापना लोकतंत्र, समाजवाद, एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के चार सिद्धांतों पर की गई थी। वह इन स्तंभों को नए स्वतंत्र भारत के निर्माण में षामिल करने में सक्षम थे।

नेताजी सुभाश चंद्र बोस

नेताजी सुभाश चंद्र बोस (छमजंरप ैनइीं ब्ंदकतं ठवेम) एक क्रांतिकारी राश्ट्रवादी थे, जिनकी देषभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया। उन्हें भारतीय सेना को ब्रिटिष भारतीय सेना से एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी दिया गया जिसने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की।

जीवनकाल

सुभाश चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक षहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस (च्तंइींअंजप क्नजज ठवेम) और पिता का नाम जानकीनाथ बोस (श्रंदांपदंजी ठवेम) था।

अपनी षुरुआती स्कूली षिक्षा के बाद उन्होंने रेवेनषॉ कॉलेजिएट स्कूल (त्वअमदेीूं ब्वससमहपंजम ैबीववस) में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज (च्तमेपकमदबल ब्वससमहम) कोलकाता में प्रवेष लिया परंतु उनकी क्रांतिकारी राश्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहाँ से निश्कासित कर दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (न्दपअमतेपजल व िब्ंउइतपकहम) चले गए।

वर्श 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा (प्दकपंद ब्पअपस ैमतअपबमे– प्ै) परीक्षा की तैयारी करने के लिये लंदन चले गए और वहाँ उनका चयन भी हो गया। हालाँकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेज़ों के साथ कार्य नहीं कर सकते।

सुभाश चंद्र बोस, विवेकानंद की षिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चितरंजन दास (बैपजजंतंदरंद कें) उनके राजनीतिक गुरु थे।

वर्श 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाषित समाचार पत्र 'फॉरवर्ड' के संपादन का कार्यभार संभाला।

वर्श 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कॉन्ग्रेस का सचिव चुना गया।

वर्श 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें माण्डले (डंदकंसंल) कारागार में भेज दिया गया जहाँ वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए ।

वर्श 1930 के दषक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले षोध किया तत्पष्चात् 'द इंडियन स्ट्रगल' नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा, जिसमें उन्होंने वर्श 1920–1934 के दौरान होने वाले देष के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया।

बोस ने वर्श 1938 (हरिपुरा) में भारतीय राश्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राश्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी।

वर्श 1939 (त्रिपुरी) में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कॉन्ग्रेस के भीतर एक गुट 'ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक' का गठन किया, जिसका उद्देष्य राजनीतिक वाम को मज़बूत करना था।

18 अगस्त, 1945 को जापान षासित फॉर्मोसा (श्रंचंदमेम तनसमक थ्वतउवें) (अब ताइवान) में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

सीआर. दास के साथ संबंधः वह सीआर. दास (बैपजजंतंदरंद वें) के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थे और उनके साथ जेल भी गए। जब सीआर. दास को कलकत्ता को–ऑपरेषन का मेयर चुना गया तो उन्होंने बोस को मुख्य कार्यकारी नामित किया था। उन्हें वर्श 1924 में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किया गया था।

ट्रेड यूनियन आंदोलनः उन्होंने युवाओं को संगठित किया और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा दिया। वर्श 1930 में उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया, उसी वर्श उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया।

कॉन्ग्रेस के साथ संबंधः उन्होंने बिना षर्त स्वराज अर्थात् स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (डवजपसंस छमीतन त्मचवतज) का विरोध किया जिसमें भारत के लिये डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी।

उन्होंने वर्श 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्श 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी–इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया।

वर्श 1930 के दषक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कॉन्ग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे।

कॉन्ग्रेस अध्यक्षः बोस वर्श 1938 में हरिपुरा में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

वर्श 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता।

गांधी जी से साथ वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलनः जब द्वितीय विश्व युद्ध षुरू हुआ तो उन्हें फिर से सविनय अवज्ञा में भाग लेने के कारण कैद कर लिया गया और कोलकाता में नज़रबंद कर दिया गया।

उन्होंने 'जय हिंद' और 'दिल्ली चलो' जैसे प्रसिद्ध नारे दिये। अपने सपनों को साकार करने से पहले एक विमान दुर्घटना में उनकी मष्त्यु हो गई।

आज़ाद हिंद

भारतीय सेनाः बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिये भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया, जिन्होंने धुरी राश्ट्र द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेज़ों के लिये लड़ाई लड़ी थी।

यूरोप में बोस ने भारत की आज़ादी के लिये हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी।

आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाश चन्द्र बोस के नेतष्त्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देष्य भारतीयों को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्श करने के लिये प्रचार–प्रसार करना था।

इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई, 1944 को महात्मा गांधी को 'राश्ट्रपिता' के रूप में संबोधित किया।

भारतीय राश्ट्रीय सेनाः वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान–नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्तूबर, 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राश्ट्रीय सेना के गठन की घोशणा की।

गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतष्त्व में किया गया था तथा इसमें मलायन (वर्तमान मलेषिया) अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा किये गए ब्रिटिष–भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को षामिल किया गया था।

में सिंगापुर के जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण–पूर्व एषिया के भारतीय नागरिक दोनों षामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई।

वर्श 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबद्ध सेनाओं का मुकाबला किया।

हालाँकि रंगून के पतन के साथ ही आजाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई।

नवंबर 1945 में ब्रिटिष सरकार द्वारा प्छ। के लोगों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देष में बड़े पैमाने पर प्रदर्षन हुए। के अनुभव ने वर्श 1945–46 के दौरान ब्रिटिष भारतीय सेना में असंतोश की लहर पैदा की, जिसकी परिणति फरवरी 1946 में बॉम्बे के नौसैनिक विद्रोह के रूप में हुई जिसने ब्रिटिष सरकार को जल्द–से–जल्द भारत छोड़ने के लिये मजबूर कर दिया।

अनिवार्य रूप से गैर–सांप्रदायिक संगठन था, क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफी संख्या में थे और इसने झांसी की रानी के नाम पर एक महिला टुकड़ी की भी षुरुआत की।

इकाई.14 डॉ० राजेंद्रप्रसाद

डॉ० राजेंद्रप्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राश्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर, 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माँ का नाम कमलेश्वरी देवी था। वे सभी भाई–बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता फारसी और संस्कृ त के अच्छे जानकार थे। बचपन में राजेंद्र को भी इन भाशाओं के साथ ही खास तौर से गणित की षिक्षा दी गई। वे बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे। उच्च षिक्षा के दौरान भी उन्हें छात्रवर्शत्ति मिलती रही। जब वे कॉलेज में थे, तब पहली बार उन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्रप्रसाद के कहने पर स्वदेषी आंदोलन में भाग लिया। वे सतीषचंद्र मुखर्जी और सिस्टर निवेदिता द्वारा चलाई जा रही डॉन सोसाइटी के सदस्य बन गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात गांधीजी से हुई और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए।

गांधीजी से मिलने के बाद उन्होंने अपने अंदर कई बदलाव लाए। बर्तन साफ करने से लेकर घर की साफ–सफाई तक अपने छोटे–छोटे काम वे खुद करने लगे। राजेंद्रप्रसाद पर गांधीजी का असर इन दैनिक जीवन के कामों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके अंदर का देषभक्ति का जज्बा भी अब हिलोरें मारने लगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक कानून तोड़ने आदि जैसे गांधीजी द्वारा षुरू किए गए आंदोलनों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए।

जब वे जेल में थे, तब बिहार में जबरदस्त भूकंप आया। इसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। जेल से रिहा होते ही वे राहत और बचाव कार्यों में जी–जान से जुट गए। इस काम के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। यह रकम लाखों तक पहुँच गई। 1934 में आगे चलकर वे कई महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे। सबसे पहले वे कांग्रेस के बम्बई अधिवेषन के अध्यक्ष चुने गए, फिर 1939 में सुभाशचंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद वे दुबारा इस पद के लिए चुने गए। वे आज़ादी से पहले जुलाई, 1946 में बनी संविधान सभा के भी अध्यक्ष बनाए गए। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद डॉ० राजेंद्रप्रसाद देष के पहले राश्ट्रपति बने। राश्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉ० राजेंद्रप्रसाद ने कई देषों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ाने की दिषा में महत्त्वपूर्ण काम किया। 12

साल तक देष के राश्ट्रपति पद पर कार्य करने के बाद वे 1962 में पदमुक्त हुए। उनकी देष के प्रति दी गई असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें 'भारतरत्न' से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी, 1963 को उनका निधन हो गया।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जन्म जीरादेई (बिहार) में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनके पिता संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं माता धर्मपरायण महिला थीं। बचपन में राजेन्द्र बाबू जल्दी सो जाते और सुबह जल्दी उठकर अपनी मां को भी जगा दिया करते थे, अतरू उनकी मां उन्हें रोजाना भजन–कीर्तन, प्रभाती सुनाती थीं। इतना ही नहीं, वे अपने लाड़ले पुत्र को महाभारत–रामायण की कहानियां भी सुनाती थीं और राजेन्द्र बाबू बड़ी तन्मयता से उन्हें सुनते थे।

उनकी प्रारंभिक षिक्षा छपरा (बिहार) के जिला स्कूल गए से हुई थीं। मात्र 18 वर्श की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेष परीक्षा प्रथम स्थान से पास की और फिर कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वे हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं फारसी भाशा से पूरी तरह परिचित थे। राजेन्द्र बाबू का विवाह बाल्यकाल में लगभग 13 वर्श की उम्र में राजवंषीदेवी से हो गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहा और उनके अध्ययन तथा अन्य कार्यों में उस वजह से कभी कोई रुकावट नहीं आई।

एक वकील के रूप में अपने करियर की षुरुआत करते हुए उनका पदार्पण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया था। वे अत्यंत सौम्य और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। सभी वर्ग के व्यक्ति उन्हें सम्मान देते थे। वे सभी से प्रसन्नचित्त होकर निर्मल भावना से मिलते थे। भारत के राश्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक का रहा। सन् 1962 में अवकाष प्राप्त करने पर उन्हें भारतरत्न की सर्वश्रेश्ठ उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। राश्ट्रपति पद पर रहते हुए अनेक बार मतभेदों के विशम प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने राश्ट्रपति पद पर प्रतिश्ठित होकर भी अपनी सीमा निर्धारित कर ली थी।

सरलता और स्वाभाविकता उनके व्यक्तित्व में समाई हुई थी। उनके मुख पर मुस्कान सदैव बनी रहती थी, जो हर किसी को मोहित कर लेती थी। राजेंद्र प्रसाद भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस के एक से अधिक बार अध्यक्ष रहे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 को निधन हो गया। महान देषभक्त, सादगी, सेवा, त्याग और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आपको पूरी तरह होम कर देने के गुणों को किसी एक व्यक्तित्व में देखना हो तो उसके लिए भारत को पहले राश्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का नाम लिया जाता है।

माड्यूल–5
इकाई15

भारत में षिक्षा का विकास

किसी भी देष के आर्थिक विकास में षिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वतंत्रता के षुरुआती दिनों से भारत ने हमेषा हमारे देष में साक्षरता दर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भी सरकार भारत में प्राथमिक और उच्च षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है।

भारत में ब्रिटिष काल के दौरान षिक्षा का विकास

षिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने के लिए एक षक्तिषाली उपकरण है जो दुनिया को बदल सकता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ, उनकी नीतियों और उपायों ने सीखने के पारंपरिक स्कूलों की विरासत को भंग कर दिया और इसके परिणामस्वरूप अधीनस्थों की एक वर्ग बनाने की आवष्यकता हुई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने षिक्षा प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजी रंग का एक भारतीय कैनवास बनाने के लिए कई कार्य किए।

प्रारंभ में, ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी षिक्षा प्रणाली के विकास से चिंतित नहीं थी क्योंकि उनका मुख्य उद्देष्य व्यापार और लाभ–निर्माण था। भारत में षासन करने के लिए, उन्होंने "रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद में अंग्रेजी" बनाने के लिए उच्च और मध्यम वर्गों के एक छोटे से वर्ग को षिक्षित करने की योजना बनाई, जो सरकार और जनता के बीच दुभाशियों के रूप में काम करेंगे। इसे "डाउनवर्ड निस्पंदन सिद्धांत" भी कहा जाता था। भारत में षिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित कदम और उपाय किए गए थे।

भारत में ब्रिटिष काल के दौरान षिक्षा के कालानुक्रमिक विकास की चर्चा नीचे दी गई हैः

1813 अधिनियम और षिक्षा

1. चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स, जो मिषनरी कार्यकर्ता थे, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी गैर–आविश्कार नीति को छोड़ने के लिए मजबूर किया और पष्चिमी साहित्य पढ़ाने और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी के माध्यम से षिक्षा का प्रसार करने का रास्ता बनाया। इसलिए, ब्रिटिष संसद ने 1813 के चार्टर में एक खंड जोड़ा कि गवर्नर–जनरल–इन–काउंसिल षिक्षा के लिए एक लाख से कम है और ईसाई मिषनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति देता है।

2. अधिनियम का अपना महत्व था क्योंकि यह पहली बार था कि ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में षिक्षा के प्रचार के लिए स्वीकार किया था।

3. आर. आर. रॉय के प्रयासों से, पष्चिमी षिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई। साथ ही कलकत्ता में तीन संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किए गए।

सार्वजनिक निर्देष की सामान्य समिति, 1823

इस समिति का गठन भारत में षिक्षा के विकास को देखने के लिए किया गया था जिसमें ओरिएंटलिस्टों का वर्चस्व था जो अंगरेज़ी के बजाय ओरिएंटल षिक्षा के महान समर्थक थे। इसलिए, उन्होंने पष्चिमी षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिष इंडिया कंपनी पर दबाव बनाया। परिणामस्वरूप, भारत में षिक्षा के प्रसार में ओरिएंटलिस्ट–एंग्लिसिस्ट और मैकाले के संकल्प के बीच ब्रिटिष षिक्षा प्रणाली की स्पश्ट तस्वीर सामने आई।

लॉर्ड मैकाले की षिक्षा नीति, 1835

1. यह नीति षिक्षा की उस प्रणाली को बनाने का एक प्रयास थी जो अंग्रेजी के माध्यम से समाज के केवल ऊपरी स्तर को षिक्षित करती है।

2. अंग्रेजी अदालत भाशा बन गई और फारसी को अदालत की भाशा के रूप में समाप्त कर दिया गया।

3. अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई।

4. प्राच्य विद्या की तुलना में अंग्रेजी षिक्षा को अधिक निधि मिलती है।

5. 1849 में, जेईडी बेथ्यून ने बेथ्यून स्कूल की स्थापना की।

6. पूसा (बिहार) में कृशि संस्थान की स्थापना की गई

7. इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना रुड़की में की गई थी।

वुड्स डिस्पैच, 1854

1. इसे "भारत में अंग्रेजी षिक्षा का मैग्ना कार्टा" माना जाता है और इसमें भारत में षिक्षा के प्रसार की व्यापक योजना है।

2. यह षिक्षा के प्रसार के लिए राज्य की जिम्मेदारी को जनता तक पहुँचाता है।

3. इसने पदानुक्रम की षिक्षा के स्तर की सिफारिष की– नीचे, वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल; जिले में, एंग्लो–वर्नाक्युलर हाई स्कूल और संबद्ध कॉलेज, और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के संबद्ध विश्वविद्यालय।

4. स्कूल स्तर पर उच्च अध्ययन और स्थानीय भाशा के लिए षिक्षा के माध्यम के रूप में अनुषंसित अंग्रेजी।

हंटर कमीषन (1882–83)

1. 1882 में ॅ. हंटर के तहत 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए इसका गठन किया गया था।

2. इसने प्राथमिक षिक्षा और माध्यमिक षिक्षा के विस्तार और सुधार में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया।

3. इसने जिला और नगरपालिका बोर्डों को नियंत्रण हस्तांतरण को रेखांकित किया।

4. इसने माध्यमिक षिक्षा के दो विभाजन की सिफारिष की– साहित्य विश्वविद्यालय तक; व्यावसायिक कैरियर के लिए व्यावसायिक।

सैडलर कमीषन

1. यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए बनाया गया था और उनकी सिफारिषें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थीं।

2. उनके अवलोकन इस प्रकार थेः

- 12 साल का स्कूल कोर्स
- इंटरमीडिएट चरण के बाद 3 साल की डिग्री
- विश्वविद्यालयों का केन्द्रीयकृत कामकाज, एकात्मक आवासीय–षिक्षण स्वायत्त निकाय।
- लागू वैज्ञानिक और तकनीकी षिक्षा, षिक्षक प्रषिक्षण और महिला षिक्षा के लिए विस्तारित सुविधाओं की सिफारिष की।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिष षिक्षा प्रणाली ईसाई मिषनरियों की आकांक्षा से प्रभावित थी। प्रषासन में और ब्रिटिष व्यावसायिक चिंता में अधीनस्थ पदों की संख्या बढ़ाने के लिए षिक्षित भारतीयों की एक सस्ती आपूर्ति सुनिष्चित करने के लिए इसे इंजेक्ट किया गया था। इसीलिए, वे अंग्रेजी षिक्षा पर जोर देते हैं और साथ ही ब्रिटिष विजेता और उनके प्रषासन का भी महिमामंडन करते हैं।

आजादी के बाद भारत में षिक्षा का विकास

योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद, षिक्षा के प्रसार के प्रयास किए गए।

सरकार ने 14. वर्श की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य षिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया, लेकिन यह उद्देष्य अभी तक हासिल नहीं किया जा सका।

प्रथम पंचवर्शीय योजना में कुल योजना परिव्यय का 7.9þ षिक्षा के लिए आवंटित किया गया था। द्वितीय और तष्तीय योजना में, आवंटन कुल योजना परिव्यय का 5.8þ और 6.9þ था। नौवीं योजना में कुल परिव्यय का केवल 3.5þ षिक्षा के लिए आवंटित किया गया था।

षिक्षा को कारगर बनाने के लिए, 1968 में 'षिक्षा पर राश्ट्रीय नीति' के तहत कोठारी आयोग की सिफारिषें लागू की गईं। मुख्य सिफारिषें सार्वभौमिक प्राथमिक षिक्षा थीं। षिक्षा के नए पैटर्न का परिचय, तीन भाशा सूत्र, उच्च षिक्षा में क्षेत्रीय भाशा का परिचय, कृशि और औद्योगिक षिक्षा का विकास और वयस्क षिक्षा।

देष की बदलती सामाजिक–आर्थिक जरूरतों का मुकाबला करने के लिए, सरकार। भारत ने 1986 में षिक्षा पर एक नई राश्ट्रीय नीति की घोशणा की। प्राथमिक षिक्षा का

सार्वभौमीकरण, माध्यमिक षिक्षा का व्यवसायीकरण और उच्च षिक्षा का विषेशज्ञता इस नीति की मुख्य विषेशताएं थीं।

राश्ट्रीय स्तर पर राश्ट्रीय षैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिशद (छब्म्त्ज्) और राज्य स्तर पर षैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिशद (ब्म्त्ज्) की स्थापना षिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए की गई थी। उच्च षिक्षा के मानक को निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्ळब्) की स्थापना की गई थी।

निम्नलिखित बिंदु स्वतंत्रता के बाद भारत में षिक्षा के विकास की व्याख्या करते हैंः

1. सामान्य षिक्षा का विस्तारः

नियोजन की अवधि के दौरान सामान्य षिक्षा का विस्तार हुआ है। 1951 में साक्षरता का प्रतिषत 19.3 था। 2001 में साक्षरता प्रतिषत बढ़कर 65.4þ हो गया। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन अनुपात 1951 में 43þ था और 2001 में यह 100þ हो गया।

प्राथमिक षिक्षा दृ निःषुल्क और अनिवार्य कर दी गई है। ड्रॉप–आउट दर की जांच करने के लिए 1995 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन षुरू किया गया है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2.10 लाख (1950–51) से तीन गुना बढ़कर 6.40 लाख (2001–02) हो गई है। 1950–51 में केवल 27 विश्वविद्यालय थे जो 2000–1 में बढ़कर 254 हो गए।

2. **तकनीकी षिक्षा का विकासः**

सामान्य षिक्षा के अलावा, तकनीकी षिक्षा मानव पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार। कई औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल और डेंटल कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों आदि की स्थापना की है।

ये नीचे दिए गए हैंः

() भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानः

अंतर्राश्ट्रीय मानक की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में षिक्षा और अनुसंधान के लिए, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, खड़गपुर, रुड़की और गौहाटी में सात संस्थानों की स्थापना की गई है, यहां स्नातक और स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर दोनों के लिए तकनीकी षिक्षा प्रदान की जाती है।

(इ) राश्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

ये संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में षिक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (आरईसी) कहा जाता था। ये पूरे देष में 17 की संख्या में हैं। इंजीनियरिंग और तकनीकी षिक्षा सिखाने के लिए देष में अन्य संस्थान हैं।

(ब) **भारतीय प्रबंधन संस्थानः**

ये संस्थान व्यवसाय प्रबंधन और प्रषासन में षिक्षा प्रदान करते हैं। ये संस्थान अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड में स्थित हैं।

(क) **चिकित्सा षिक्षाः**

1950–51 में देष में केवल 28 मेडिकल कॉलेज थे। 1998–99 में देष में 165 मेडिकल और 40 डेंटल कॉलेज थे।

(म) **कृशि षिक्षाः**

कृशि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए लगभग सभी राज्यों में कृशि विश्वविद्यालयों की षुरुआत की गई है। ये विश्वविद्यालय कृशि, बागवानी, पषुपालन और पषु चिकित्सा विज्ञान आदि में षिक्षा और अनुसंधान प्रदान करते हैं।

3. **महिला षिक्षाः**

भारत में, महिलाओं में साहित्य काफी कम था। 2001 की जनगणना के अनुसार यह 52þ था। जबकि पुरुशों में साक्षरता 75.8þ थी। षिक्षा पर राश्ट्रीय नीति में महिला षिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कई राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय स्तर तक लड़की के षिक्षण षुल्क में छूट दी है। महिलाओं के बीच साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए अलग स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

4. **व्यावसायिक षिक्षाः**

राश्ट्रीय षिक्षा नीति, 1986, माध्यमिक षिक्षा के व्यावसायिककरण का उद्देष्य है। केंद्रीय सरकार। 1988 से कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दे रहा है। कृशि, मछलीपालन, डायरी, मुर्गी पालन, टाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और बढ़ईगीरी आदि को उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में षामिल किया गया है।

5. **उच्च षिक्षा का विकासः**

1951 में, 27 विश्वविद्यालय थे। 2001 में उनकी संख्या बढ़कर 254 हो गई। उड़ीसा राज्य में 1951 में केवल एक विश्वविद्यालय था। अब 9 विश्वविद्यालय हैं।

6. **गैर–औपचारिक षिक्षाः**

यह योजना छठी योजना से प्रयोगात्मक आधार पर और सातवीं योजना से नियमित आधार पर षुरू की गई थी। उद्देष्य 6–14 वर्श की आयु के सभी बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक षिक्षा प्राप्त करना था। यह योजना उन बच्चों के लिए थी जो गरीबी और अन्य कार्यों के साथ पूर्व व्यवसाय के कारण नियमित रूप से और पूरे समय तक स्कूलों में नहीं जा सकते।

केंद्रीय सरकार। राज्य सरकार को सहायता प्रदान कर रहा है। और योजना को लागू करने के लिए स्वैच्छिक संगठन। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों और

मलिन बस्तियों में गैर–औपचारिक षिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को षिक्षा प्रदान करते हैं।

7. **भारतीय भाशा और संस्कृति को प्रोत्साहनः**

षिक्षा की राश्ट्रीय नीति 1968 को अपनाने के बाद, उच्च षिक्षा में क्षेत्रीय भाशा षिक्षा का माध्यम बन गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम, षब्दकोषों, पुस्तकों और प्रष्न पत्रों का क्षेत्रीय भाशाओं में अनुवाद किया जाता है। भारतीय इतिहास और संस्कृति को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में षामिल किया गया है।

8. **वयस्क षिक्षाः**– सीधे षब्दों में वयस्क षिक्षा 15–35 वर्श की आयु के निरक्षर लोगों के लिए षिक्षा को संदर्भित करती है। नेषनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेषन की स्थापना प्रथम पंचवर्शीय योजना में की गई थी। ग्राम स्तर के श्रमिकों को वयस्क षिक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया था। प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही।

राश्ट्रीय वयस्क षिक्षा कार्यक्रम 1978 में षुरू किया गया था। कार्यक्रम को प्राथमिक षिक्षा का एक हिस्सा माना जाता है। राश्ट्रीय साहित्य मिषन भी 1988 में विषेश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क निरक्षरता को मिटाने के लिए षुरू किया गया था।

केंद्र इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों, स्वयंसेवी संगठनों और कुछ चयनित विश्वविद्यालयों को सहायता देता है। 1990–91 में देष में 2.7 लाख वयस्क षिक्षा केंद्र कार्यरत थे। इस कार्यक्रम ने 2001 में साक्षरता दर को 65.38þ तक बढ़ाने में मदद की।

9. **विज्ञान षिक्षा में सुधार**

केंद्रीय सरकार। 1988 में स्कूलों में विज्ञान षिक्षा के सुधार के लिए एक योजना षुरू की। विज्ञान किट, विज्ञान प्रयोगषालाओं के उन्नयन, षिक्षण सामग्री के विकास और विज्ञान और गणित षिक्षकों के प्रषिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एनसीईआरटी में केंद्रीय षैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (ब्म्ज्) की स्थापना राज्य षैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उपकरण खरीदने के लिए की गई थी।

10. **सभी के लिए षिक्षा**

93 वें संषोधन के अनुसार, सभी के लिए षिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। प्रारंभिक षिक्षा 6–14 वर्श की आयु के सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार है। यह भी मुफ्त है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए सर्व षिक्षा अभियान (एसएसए) षुरू किया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पश्ट होता है कि षिक्षा में बहुत विकास भारत में आजादी के बाद हुआ है। सामान्य षिक्षा और उच्च षिक्षा में व्यापक वषद्धि हुई है। षिक्षा को देष के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास किया गया है। अभी भी हमारी षिक्षा प्रणाली समस्याओं से ग्रस्त है।

ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ देष के विकास पर नजर रखते हुए एक साथ रहते हैं। लंबे समय तक भारतीयों ने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना। सातवीं पंचवर्शीय योजना तय करती है, "मानव संसाधन विकास को किसी भी विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए, विषेश रूप से एक बड़ी आबादी वाले देष में"।

नीचे दिए गए बिंदुओं को देखते हुए, कोई यह निष्चित रूप से कह सकता है कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं।

कुषल और विषिश्ट श्रमिक जटिल मषीनों या तकनीकों को संभाल सकते हैं, जिन्हें अकुषल श्रमिक नहीं कर सकते। यह मानव पूंजी भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाती है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और इसलिए उत्पादन में वषद्धि से आर्थिक विकास होता है।

नवीन मानव पूंजी द्वारा उत्पादन के नए तरीके पेष किए जा सकते हैं और ये सकल घरेलू उत्पाद में वषद्धि के रूप में उत्पादन और आर्थिक वषद्धि को बढ़ाते हैं।

मानव पूंजी की भागीदारी की उच्च दर और उनके बीच समानता उच्च रोजगार दर की ओर ले जाती है। जैसे–जैसे रोजगार बढ़ेगा उत्पादन में वषद्धि होगी। साथ ही, आय में वषद्धि और रोजगार के अवसरों में वषद्धि से जीवन स्तर में वषद्धि होती है, जिससे धन की असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। रोजगार दर में वषद्धि और आय असमानताओं में कमी आर्थिक विकास के संकेतक हैं।

मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया सही दिषा में जाने पर समाज की सकारात्मक तस्वीर को चित्रित किया जा सकता है। विचारों के सभी पारंपरिक और रूढ़िवादी स्कूल समाप्त हो जाते हैं और इसलिए कार्यबल में भागीदारी की दर उत्पादन स्तर को बढ़ाती है।

भारत में षिक्षा

भारत में षिक्षा का अर्थ है स्कूलों और कॉलेजों में मानव पूंजी के षिक्षण, सीखने और प्रषिक्षण की प्रक्रिया। इससे ज्ञान में सुधार होता है और कौषल विकास होता है जिससे मानव पूंजी की गुणवत्ता में वषद्धि होती है। हमारी सरकार ने भारत में षिक्षा के महत्व को हमेषा महत्व दिया है और यह हमारी आर्थिक नीतियों में परिलक्षित होता है।

षिक्षा पर सरकारी व्यय में वषद्धि

ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां सरकार व्यय को व्यक्त करती है।

- कुल सरकारी खर्च के प्रतिषत के रूप में।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिषत के रूप में।

कुल सरकारी खर्च में से षिक्षा पर खर्च का प्रतिषत सरकार के समक्ष खर्च की योजना में षिक्षा के महत्व का सूचक है। हमारे देष में षिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का स्तर कुल जीडीपी से बाहर षिक्षा पर किए गए खर्च के प्रतिषत से दिखाया जा सकता है।

1952–2010 के दौरान, कुल सरकारी खर्च में से कुल षिक्षा व्यय का प्रतिषत 7.92þ से बढ़कर 11.10þ हो गया। इसी समय, देष की जीडीपी का प्रतिषत 0.64þ से बढ़कर 3.25þ हो गया। चूंकि उस समय षिक्षा पर व्यय निरंतर नहीं था, इसलिए उस युग में देष की वर्षद्धि अनियमित थी।

भारत में प्राथमिक षिक्षा पर व्यय

प्रारंभिक षिक्षा और उच्च षिक्षा पर किए गए व्यय की तुलना में, प्राथमिक षिक्षा द्वारा प्रमुख हिस्सा हड़प लिया गया था। इसके विपरीत, उच्च षिक्षा पर प्रति छात्र खर्च प्रारंभिक षिक्षा की तुलना में अधिक था।

जैसे–जैसे स्कूल षिक्षा का विस्तार हो रहा है, हमें और अधिक प्रषिक्षित षिक्षकों की आवष्यकता है, जिन्होंने षिक्षण संस्थानों में अध्ययन किया है। इसलिए, षिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वर्षद्धि होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेष रुपये खर्च करता है। बिहार की तुलना में प्रति व्यक्ति षिक्षा खर्च के रूप में 2005 जो रुपये खर्च करता है। 515. यह राज्यों के बीच षैक्षिक अवसरों के अंतर के परिणामस्वरूप होता है।

निः षुल्क और अनिवार्य षिक्षा

षिक्षा आयोग (1964–66) ने सिफारिष की कि षिक्षा में एक पहचान योग्य वर्षद्धि दर बनाने के लिए षिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6þ खर्च किया जाना चाहिए। दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने, भारत के संविधान के 86 वें संषोधन के माध्यम से, 6–14 वर्श की आयु के सभी बच्चों के लिए निः षुल्क और अनिवार्य षिक्षा को मौलिक अधिकार घोशित किया।

तापस मजूमदार समिति को भारत सरकार द्वारा वर्श 1998 में नियुक्त किया गया था। समिति ने रुपये के खर्च का अनुमान लगाया था। स्कूल षिक्षा की छतरी के नीचे 6–14 वर्श आयु वर्ग के सभी भारतीय बच्चों को पूरा करने के लिए 1998–99 से 2006–07 के लिए 1.37 लाख करोड़ (लगभग)।

वर्तमान में, व्यय लगभग 4þ है, जिसे आने वाले वर्शों में वांछित परिणामों तक पहुंचने के लिए 6þ तक बढ़ाया जाना है। सरकार सभी संघ करों पर 2þ की दर से षिक्षा उपकर लगाती है। प्रारंभिक षिक्षा पर खर्च करने के लिए षिक्षा उपकर से मिलने वाला राजस्व निर्धारित किया जाएगा।

भविश्य की संभावनाएं

भारत सरकार षिक्षा को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मानती है जहाँ अत्यधिक विकास और विकास की आवष्यकता है। इसलिए भविश्य की विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया है और नीतियों का मसौदा तैयार किया गया है। दृश्टि यह सुनिष्चित करना है कि भारत में षिक्षा उच्चतम गुणवत्ता की है और बिना भेदभाव के पूरी आबादी के लिए उपलब्ध है। आइए कुछ परियोजनाओं को देखें जिन्हें सरकार सफलतापूर्वक लागू करना चाहती है।

1. सभी के लिए षिक्षा दृ एक सपना

हालाँकि दोनों युवाओं के साथ–साथ वयस्कों के लिए भी षिक्षा का स्तर बढ़ा है, फिर भी निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी आजादी के समय थी। संविधान सभा ने वर्श 1950 में भारत का संविधान पारित किया था। संविधान के प्रारंभ से 10 वर्श के भीतर 14 वर्श तक के बच्चों के लिए निः षुल्क और अनिवार्य षिक्षा संविधान के निर्देषक प्राचार्य के रूप में विख्यात थी। निम्नलिखित कारक हैं जो एक सपने के लिए षिक्षा बनाते हैंः

- लिंग पर पक्षपात
- कम ग्रामीण पहुंच
- निरक्षरों की बढ़ती संख्या
- निजीकरण
- सरकार द्वारा षिक्षा पर कम खर्च

2. लिंग समानता में सुधार

पुरुश और महिला के बीच अंतर कम हो रहा है और इसे साक्षरता दर में देखा जा सकता है, जो लैंगिक इक्विटी में विकास को प्रदर्षित करता है। फिर भी, महिलाओं की षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत बाकी है। इसके विभिन्न कारण हैं, जैसेः

- महिलाओं की सामाजिक स्थिति
- महिलाओं और बच्चों का हेल्थकेयर
- आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार

इसलिए, हम साक्षरता दर में ऊपर की हलचल से संतुश्ट नहीं हो सकते क्योंकि लिंग इक्विटी के लिए लंबी दूरी तय करनी चाहिए। केरल, मिजोरम, गोवा और नई दिल्ली में उच्च साक्षरता दर है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेष, अरुणाचल प्रदेष और राजस्थान षैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य हैं। सामाजिक और आर्थिक गरीबी षैक्षिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण हैं।

3. उच्च षिक्षा

भारत में लोगों को वर्तमान षिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राश्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्श 2007–08 में, माध्यमिक स्तर तक की षिक्षा वाले युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 18.10þ थी। जबकि प्राथमिक स्तर तक की षिक्षा वाले युवाओं की बेरोजगारी दर केवल 11.60þ थी। सरकार को उच्च षिक्षा के आवंटन पर जोर देना चाहिए और छात्रों को सुधारना चाहिए।

मध्यकालीन से लेकर आधुनिक काल तक का भारतीय साहित्य देष की समष्द्ध सांस्कृतिक और भाशाई विविधता को दर्षाता है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य (600–1700 ई.) क्षेत्रीय भाशाओं, भक्ति काव्य और सूफी रहस्यवाद के उदय के साथ फला–फूला, जिससे सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिला। कबीर, मीरा बाई और अमीर खुसरो जैसे कवियों ने स्थानीय भाशाओं का उपयोग करके साहित्य को लोकतांत्रिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपनिवेषवाद, राश्ट्रवाद और क्षेत्रीय प्रभावों से प्रभावित आधुनिक भारतीय साहित्य (19वीं सदी के अंत से 21वीं सदी के प्रारंभ तक) ने विविध विधाओं तथा षैलियों के माध्यम से आधुनिक विश्व की जटिलताओं को दर्षाया है, जिसमें हिंदी, बंगाली, ओड़िया एवं अन्य भाशाओं का उदय हुआ, जो गतिषील सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनों को दर्षाती हैं तथा भारत के विविध साहित्यिक परिदृष्य में योगदान देती हैं।

मध्यकालीन भारतीय साहित्य की प्रमुख विषेशताएँ क्या हैं?

मध्यकालीन भारतीय साहित्य के चरण

- प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय साहित्य (7वीं से 14वीं षताब्दी) : इस अवधि में दक्षिण भारत में अलवार और नयनमार जैसे भक्ति कवियों का उदय हुआ, जिन्होंने षास्त्रीय संस्कृत और तमिल रचनाओं से अलग साहित्य का निर्माण किया।

- उत्तर मध्यकालीन भारतीय साहित्य (14वीं से 18वीं षताब्दी): इस युग में कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और अन्य जैसे साहित्यिक दिग्गजों ने साहित्यिक परिदृष्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

मध्यकालीन भारतीय साहित्य में भाशाई परिदृष्य भाशा संबंधी संघर्शः

- लेखकों को पल्लव और चोल राजवंषों के षाही संरक्षण द्वारा समर्थित संस्कृत तथा भक्ति आंदोलन के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त करने वाली स्थानीय भाशाओं के बीच चयन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा।

- षिव और वैश्णवों द्वारा षुरू किये गए भक्ति आंदोलन ने वैश्णवों के बीच थेनकलाई (तमिल के पक्ष में) और वडकलाई (संस्कृत के पक्ष में) स्कूलों में विभाजन किया।

अपभ्रंष काल (700 ई. – 1000 ई.):

- यह काल मध्यकालीन भारतीय–आर्य भाशाओं के अंतिम चरण को चिह्नित करता है, जहाँ अपभ्रंष प्राकृत से व्युत्पन्न एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक भाशा के रूप में उभरी। हालाँकि प्रारंभ में इसे निम्न माना जाता था, लेकिन अंततः इसे एक वैध साहित्यिक भाशा के रूप में मान्यता दी गई।

- बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाशा रही पाली की स्थिति 12वीं षताब्दी के बाद कम हो गई, जिसमें पद्य चूड़ामणि और जिनचरित जैसी उल्लेखनीय रचनाएँ पाली में लिखी गई अंतिम महत्त्वपूर्ण रचनाओं में से थीं। इसके बाद संस्कृत बौद्ध धर्म की प्राथमिक साहित्यिक भाशा के रूप में उभरी।

संस्कृत की स्थितिः

- संस्कृत को षिक्षित अभिजात वर्ग की भाशा के रूप में सम्मान दिया जाता था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बोली जाती थी और पूरे भारत में साहित्यिक भाशा के रूप में कार्य करती थी। अपनी प्रतिश्ठा के बावजूद यह आम जनता द्वारा व्यापक रूप से नहीं बोली जाती थी और इसके साहित्यिक कार्यों में वेद, पुराण एवं उपनिशद षामिल थे।

- **संस्कृत साहित्यः**

पाल साम्राज्य संस्कृत साहित्य में अपने योगदान के लिये प्रसिद्ध था। मदन पाल के षासनकाल के दौरान, बंगाली कवि संध्याकर नंदी की रामचरित और श्रीधर नंदी की न्यायकंदली, तत्त्वप्रबोध, तत्त्वसंगबदिनी तथा तत्त्व संग्रह टीका जैसी प्रमुख रचनाएँ प्रसिद्ध थीं।

अन्य महत्त्वपूर्ण योगदानों में चक्रपाणि दत्ता की चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, भानुमती और जिमुतबाहाना की दयाभाग षामिल हैं ।

सेन राजवंष में, बल्लाल सेन के दान–सागर, अदवुत–सागर और प्रतिश्ठा–सागर ने हिंदू षास्त्र को समृद्ध किया।

- जयदेव की गीत गोविंदा और धोयी की मेघदूत भी इस काल की प्रमुख रचनाएँ थीं।

तमिल की स्थितिः

- तमिल, जिसे भारत की सबसे पुरानी भाशाओं में से एक माना जाता है, की साहित्यिक परंपरा बहुत समष्द्ध रही है, विषेशकर भक्ति साहित्य में। इसने एक महत्त्वपूर्ण पाठक वर्ग बनाए रखा और अपने प्राचीन स्वरूप से काफी विकसित हुई, जिसमें प्राचीन और आधुनिक दोनों विषेशताएँ प्रतिबिंबित होती हैं।

- **तमिल साहित्यः**

चोल काल में तमिल साहित्य अपने चरम पर था। इस काल की सबसे प्रसिद्ध तमिल कृतियों में से एक कंबन द्वारा रचित 'रामावतारम' है।

अव्वैयार ने रामायण और महाभारत से प्रेरणा लेकर 'अथिचुडी' और भीमकवि ने 'राघव–पडविया' लिखा।

मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सांस्कृतिक परिदृष्य

लोक साहित्य का विनाषः मध्यकालीन साहित्य का अधिकांष हिस्सा या तो धार्मिक था या अभिजात वर्ग के लिये था, आम लोगों के मनोरंजन के लिये कम रचनाएँ बनाई गईं। अपर्याप्त संरक्षण के कारण ये लोकप्रिय रचनाएँ अक्सर बच नहीं पाईं।

प्रसारण के तरीकेः साहित्य निर्माण को सीमित संसाधनों और उच्च निरक्षरता दर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अधिकांष साहित्य पेषेवर कहानीकारों और कलाकारों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित किया गया। मौन वाचन असामान्य था, और केवल धार्मिक, षैक्षणिक संस्थान और धनी लोग ही पुस्तकालय बनाए रख सकते थे।

प्रदर्षन के स्थानः साहित्य या तो षाही दरबारों के लिये या आम जनता के लिये रचा जाता था। दरबारी कविताएँ विषिश्ट होती थीं, जो राजाओं और कुलीन वर्ग के लिये होती थीं, जबकि मंदिर में होने वाले प्रदर्षन सामाजिक स्थिति की परवाह किये बिना बड़े, विविध दर्षकों को ध्यान में रखकर किये जाते थे।

लेखकों की स्थितिः दरबारी कवि मुख्य रूप से प्रतिश्ठित पष्ठभूमि से आए षिक्षित ब्राह्मण थे, जबकि आम जनता के कवियों में निम्न जातियों सहित विभिन्न सामाजिक स्तरों से आए सम्मानित संत कवि षामिल थे। उल्लेखनीय महिला लेखिकाएँ दुर्लभ थीं, जिनमें अक्का महादेवी और कराईकल अम्मैयार जैसी प्रमुख हस्तियाँ षामिल थीं।

श्रोता गतिषीलताः साहित्य को आकार देने में श्रोताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृत कविता मुख्य रूप से कुलीन समूहों को लक्षित करती है जिन्हें गोश्ठी के रूप में जाना जाता है , जिससे अकादमिक चर्चा (षास्त्रगोश्ठी) और रचनात्मक लेखन (विदग्धा गोश्ठी) की सुविधा मिलती है । कवि अक्सर तात्कालिक अपील और मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसके परिणामस्वरूप अभिजात वर्ग के दर्षकों के लिए एक सजावटी और कामुक षैली तैयार की गई।

मध्यकालीन भारतीय साहित्य पर धर्म का क्या प्रभाव था?

धार्मिक संप्रदायों का उद्भवः मध्ययुगीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गिरावट के साथ–साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, विषेश रूप से ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ।

इस युग में मंदिर निर्माण, मूर्ति पूजा और विस्तष्त अनुश्ठानों में वषद्धि देखी गई। ब्राह्मणवाद ने त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विश्णु और षिव की त्रयी) की अवधारणा विकसित की, जो दिव्य पूजा की बहुमुखी प्रकृति को दर्षाती है।

सांप्रदायिक प्रभावः यह काल विभिन्न संप्रदायों के बीच तनाव और अंतर्क्रियाओं से चिह्नित था, विषेश रूप से षैव (षिव की पूजा) और वैश्णव (विश्णु की पूजा) तथा षक्तिवाद (देवी की पूजा) के बीच।

पुराणों ने इन संप्रदायों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, भागवत पुराण जैसे ग्रंथ वैश्णववाद के लिये आधारभूत साहित्य के रूप में कार्य करते हैं, जबकि मार्कण्डेय पुराण षाक्तवाद के लिये महत्त्वपूर्ण था।

पुराणों की भूमिकाः पुराणों में देवताओं की वंषावली, मिथक और कथाएँ षामिल थीं जो लोकप्रिय धार्मिक चेतना को आकार देने में महत्त्वपूर्ण थीं।

सांप्रदायिक हितों के आधार पर वर्गीकृत 18 प्रमुख पुराणों ने धार्मिक विचारधाराओं को संरक्षित और बढ़ावा दिया और इनके साथ एक द्वितीयक साहित्य भी था जिसे उप–पुराण के रूप में जाना जाता है।

इन ग्रंथों ने सषृश्टि, ब्रह्मांडीय चक्रों और षाही वंषों के बारे में अंतर्दृश्टि प्रदान की, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रभाव पड़ा।

पवित्र भूगोलः महाकाव्य महाभारत और रामायण ने पुराणों के साथ मिलकर भारत के पवित्र भूगोल में योगदान दिया। उन्होंने उस समय के राजनीतिक विखंडन के बावजूद पवित्र पर्वतों, नदियों और वनों की विषेशता वाले एकीकृत पवित्र स्थान की भावना को जगाया। इस साहित्यिक चित्रण ने जनता के बीच एक सामूहिक धार्मिक पहचान को बढ़ावा दिया।

यथार्थवाद और पौराणिक तत्वः मध्यकालीन भारतीय साहित्य में अलौकिक तत्व विद्यमान थे, लेकिन इसमें यथार्थवाद की प्रबल भावना भी सम्मिलित होने लगी, विषेश रूप से 9वीं और 10वीं षताब्दी में।

साहित्यिक रचनाओं ने रोज़मर्रा के जीवन को स्पश्ट रूप से चित्रित करना षुरू कर दिया, जिससे विश्व को भ्रम के रूप में देखने और मानवीय अनुभवों को पहचानने के बीच के तनाव पर प्रकाष डाला गया।

यह यथार्थवाद विषेश रूप से संकलनों और बौद्ध सहजिया काव्य में स्पश्ट था, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों को प्रामाणिक रूप से प्रतिबिंबित करता था।

उल्लेखनीय कवि और दार्षनिकः

षंकर (8वीं षताब्दी): अद्वैत वेदांत के एक प्रमुख व्यक्ति, उन्होंने अद्वैत और पृथकता (माया) के भ्रम पर ज़ोर दिया।

रामानुज (11वीं–12वीं षताब्दी): उन्होंने विषिश्टाद्वैत को प्रारंभ किया, जिसमें एक योग्य अद्वैतवाद की वकालत की गई, जिसने भौतिक संसार को ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता दी।

मध्यकालीन भारतीय साहित्य पर भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव था?

भक्तिपूर्ण ध्यानः भक्ति आंदोलन ने चुने हुए देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर ज़ोर दिया, जिसे अक्सर प्रेम कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। कृश्ण और राम जैसे केंद्रीय चरित्र

दिव्य प्रेम का प्रतिनिधित्व करते थे, जो प्रेमी या बालक के समान व्यक्तिगत संबंध को दर्षाता था, जिसने आध्यात्मिकता को आम व्यक्ति के लिये सुलभ बना दिया।

समन्वयवाद और धार्मिक सद्भावः इस आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों को सम्मिश्रित करते हुए विविध धार्मिक परंपराओं के बीच एकता को बढ़ावा दिया।

कबीर, गुरु नानक और अन्य जैसे उल्लेखनीय कवियों ने सार्वभौमिक भाईचारे का संदेष दिया, सांप्रदायिक विभाजन को पार किया और इस विचार को बढ़ावा दिया कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में निवास करता है।

क्षेत्रीय भाशा और साहित्यः भक्ति काव्य स्थानीय भाशाओं में रचा गया, जिससे आध्यात्मिक साहित्य आम जनता के लिये अधिक प्रासंगिक और समझने योग्य बन गया। इससे क्षेत्रीय भाशाओं का विकास हुआ, जिससे एक समष्द्ध साहित्यिक परंपरा का निर्माण हुआ जिसमें हिंदी में तुलसीदास, राजस्थानी में मीरा बाई और कन्नड़ में बसवन्ना जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति षामिल थे।

सामाजिक सुधार और जाति–विरोधी भावनाः भक्ति आंदोलन ने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी, मानवता की पूजा की वकालत की और इस विचार को बढ़ावा दिया कि ईश्वर की भक्ति सभी के लिये सुलभ है, चाहे उनकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। आंदोलन के कई कवि निचली जाति की पष्ठभूमि से थे, जिसने आंदोलन को सामाजिक पदानुक्रम के प्रति एक निम्नस्तरीय प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित किया।

व्यक्तिगत और रहस्यवादी अनुभवः इस आंदोलन ने कर्मकांडीय प्रथाओं या धार्मिक विद्वत्ता पर निर्भर रहने के बजाय ईश्वर के प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत अनुभवों पर ज़ोर दिया। इस अनुभवात्मक दृश्टिकोण ने रहस्यवाद के एक ऐसे रूप को जन्म दिया जो सांसारिकता को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता था, जिससे भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक अंतदृश्टि से भरपूर कविताएँ बनती थीं।

विविध काव्य रूपः भक्ति आंदोलन ने प्राचीन महाकाव्यों और स्थानीय परंपराओं के तत्वों को षामिल करते हुए विभिन्न काव्य रूपों के विकास में योगदान दिया। गीतात्मक अभिव्यक्ति पर ज़ोर देने से प्रेम, भक्ति और सामाजिक टिप्पणी के जटिल विशयों की खोज करने का अवसर मिला, जिससे एक विषाल और विविध कृति का निर्माण हुआ।

महिला कवियों की भूमिकाः भक्ति आंदोलन में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, मीरा बाई और लाल देद जैसी कवियों ने अपनी वाणी का उपयोग गहन आध्यात्मिक अंतर्दृश्टि व्यक्त करने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिये किया। उनके योगदान ने उस समय की लैंगिक गतिषीलता को उजागर किया और आध्यात्मिक प्रवचन में महिलाओं के दृश्टिकोण के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

आधुनिक भारतीय साहित्य की प्रमुख विषेशताएँ क्या हैं?

आधुनिक भारतीय साहित्य का विकासः

आधुनिक भारतीय साहित्य, या आधुनिक काल साहित्य , एक विषाल और विविध साहित्यिक परिदृष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो भाशाई और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है।

इसमें हिंदी, बंगाली, ओडिया, असमिया, राजस्थानी और गुजराती जैसी भाशाएँ षामिल हैं, जो उपनिवेषवाद, राश्ट्रवाद और क्षेत्रीय प्रभावों से प्रेरित सामाजिक–राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्षाती हैं।

यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई पष्चिमी संस्कृति के प्रभाव में उभरा। षिक्षा और प्रषासन में अंग्रेजी की षुरूआत ने इसे अभिजात्य समाज में एकीकृत कर दिया, जिससे लेखकों को इस भाशा को अपनाने की प्रेरणा मिली।

कोलकाता के हिन्दू कॉलेज में डेरोजियन आंदोलन ने इस बदलाव को गति दी, जिसमें मधुसूदन भट्टाचार्य और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे षुरुआती लेखकों ने अगुवाई की।

समय के साथ साहित्य एक क्रांतिकारी मानसिकता की ओर विकसित हुआ, जिसका उदाहरण रवींद्रनाथ टैगोर, षरत चंद्र चट्टोपाध्याय और मुंषी प्रेमचंद हैं।

हाल के वर्शों में, वैश्वीकरण ने चेतन भगत और अरुंधति रॉय जैसे समकालीन लेखकों की रचनाओं के विशयों को प्रभावित किया है, जो भारत के औपनिवेषिक अतीत से उपजे सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं।

हिंदी साहित्यः

ब्रिटिष उपनिवेषी षासन के उदय ने हिंदी साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया। इस समय के दौरान षास्त्रीय और संस्कृत के प्रभावों का पुनर्जीवन हुआ, साथ ही राश्ट्रवाद की भावना में भी वृद्धि हुई।

1850 के दषक में भारतेन्दु हरिष्चंद्र जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सामने आए, जिनकी रचनाओं में "अंधेर नगरी" (अंधकार का षहर) षामिल है, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी।

आधुनिक हिंदी साहित्य के चरणः

भारतेंदु युग (1868–1893)

द्विवेदी युग (1893–1918)

छायावाद युग (1918–1937)

समकालीन काल (1937–वर्तमान)

मुंषी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा जैसे प्रमुख लेखकों ने सामाजिक न्याय और महिला संघर्श जैसे विशयों पर अपनी विविध कथाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समष्द्ध किया है।

बंगाली साहित्यः

इसका विकास हिंदी और उर्दू के साथ–साथ हुआ, जो अंग्रेज़ विलियम कैरी के कार्यों से प्रभावित था, जिन्होंने 1800 में बंगाल में बैपटिस्ट मिषन प्रेस की स्थापना की थी।

साहित्यिक आंदोलन का नेतष्त्व राजा राम मोहन राय और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे दूरदर्षी लोगों ने किया और आनंद मठ ने राश्ट्रवादी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर अपनी उत्कृश्ट कृति गीतांजलि के साथ बंगाली साहित्य के प्रकाष स्तंभ बने हुए हैं ।

असमिया और उड़िया साहित्यः

असमिया साहित्य दरबारी इतिहास ("बुरंजियों") से आगे बढ़कर आम आदमी की पीड़ा और राश्ट्रवादी भावनाओं पर केंद्रित हो गया, जो पद्मनाभ गोहेन बरुआ जैसे लेखकों से प्रभावित था।

राधा नाथ रे और फकीर मोहन सेनापति जैसे आधुनिक लेखकों के माध्यम से ओड़िया साहित्य में पुनरुत्थान देखा गया, जिनकी रचनाओं में मज़बूत राश्ट्रवादी विशयवस्तु व्यक्त की गई।

गुजराती साहित्यः

भक्ति आंदोलन ने गुजराती साहित्य को काफी प्रभावित किया, नरसिंह मेहता जैसे कवियों ने भक्ति गीतों की रचना की।

गोवर्धन राम द्वारा रचित सरस्वती चंद्र जैसे क्लासिक उपन्यास और डॉ. के.एम. मुंषी की ऐतिहासिक कृतियाँ गुजराती साहित्य में समष्द्ध कथात्मक परंपरा का प्रतीक हैं।

राजस्थानी साहित्यः

- इसमें विविध बोलियाँ षामिल हैं, जिनमें ढोला मारू जैसे मध्ययुगीन ग्रंथों और मीराबाई जैसे संतों की भक्ति कविताओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह साहित्य क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार तथा आध्यात्मिक मान्यताओं को समाहित करता है।

सिंधी और कष्मीरी साहित्यः

- सिंधी साहित्य में राजस्थान और गुजरात के प्रभावों का मिश्रण प्रतिबिंबित होता है , जिसे सूफीवाद और इस्लामी प्रवासियों ने आकार दिया है।
- उल्लेखनीय लेखकों में दीवान कौरमल और मिर्ज़ा कलीच बेग षामिल हैं।
- कष्मीरी साहित्य एक समष्द्ध इतिहास से प्रेरित है, जिसमें कल्हण की राजतरंगिणी और लाल देद की रहस्यवादी कविता जैसे प्राचीन ग्रन्थों के साथ–साथ बाद के सूफी प्रभाव भी षामिल हैं।

पंजाबी साहित्यः

पंजाबी साहित्य को पुनर्जीवित करने के हालिया प्रयासों से इस पर फारसी और गुरुमुखी लिपियों का प्रभाव उजागर होता है।

धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ एक उत्कृश्ट कृति के रूप में सामने आता है, जबकि हीर–रांझा जैसी कहानियाँ क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

बाबा फरीद और बुल्ले षाह की सूफी कविता ने भी आधुनिक पंजाबी साहित्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मराठी साहित्यः

ज्ञानेश्वर (जिन्हें ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर विट्ठल कुलकर्णी या मौली के नाम से भी जाना जाता है) पहले मराठी लेखक थे जिनके व्यापक पाठक थे और उनका गहरा प्रभाव था, उनकी कुछ रचनाएँ 'अमष्तानुभव' और ' भावार्थ दीपिका' थीं।

भक्ति संत नामदेव इस युग के अन्य महत्त्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने मराठी के साथ–साथ हिंदी में भी धार्मिक गीत रचे। उनकी कुछ हिंदी रचनाएँ सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में षामिल की गईं।

एक अन्य मराठी लेखक मुकुंदराज थे जिन्होंने 'विवेक सिंधु' और 'परमामष्त' लिखी।

राश्ट्रवादी आंदोलन ने बाल गंगाधर तिलक और एम.जी. रानाडे जैसे लेखकों को प्रेरित किया, जिससे एक समष्द्ध साहित्यिक परंपरा का जन्म हुआ, जो महाराश्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है।

औपनिवेषिक काल के दौरान आधुनिक भारतीय साहित्य ने भारतीय राश्ट्रीय पहचान को किस प्रकार आकार दिया?

राश्ट्रवाद में भारतीय लेखकों की भूमिकाः

व बंकिम चंद्र चटर्जी (1838–1894): वे राश्ट्रवाद को भारतीय परंपराओं के साथ मिलाने वाले पहले लोगों में से एक थे। दुर्गेष नंदिनी (1865) और आनंद मठ (1882) जैसे उनके ऐतिहासिक उपन्यास राश्ट्रवादी एवं देषभक्ति के मूल्यों को स्थापित करने के लिये लोकप्रिय हुए, जिससे राश्ट्रवाद भारतीय धर्म का एक हिस्सा बन गया।

- उनकी रचनाओं में भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से प्रेरित होकर भारतीयों को उपनिवेषवाद के विरुद्ध संघर्श करने की आवष्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

व रवींद्रनाथ टैगोर (1861–1942): वे एक अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने संघवाद और विविधता में एकता पर ज़ोर देकर राश्ट्रवाद को पुनर्परिभाशित किया।

- टैगोर का राश्ट्रवाद भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ था तथा सहिश्णुता और बहुलवाद पर केंद्रित था।

• उनकी रचना गोरा (1910) उपनिवेषवाद को दी गई उनकी चुनौती तथा भारतीय राश्ट्रवाद को समावेषी और विविधतापूर्ण रूप में प्रस्तुत करने का प्रतिबिंब है।

देषभक्ति साहित्य और सुधारवादः

19वीं और 20वीं षताब्दी के प्रारंभ में, कई भारतीय भाशाओं में देषभक्ति साहित्य की लहर उठी।

रंगलाल (बंगाली), भारतेंदु हरिष्चंद्र (हिंदी) और मिर्ज़ा गालिब (उर्दू) जैसे लेखकों ने औपनिवेषिक षासन का विरोध करने और भारत की विरासत का महिमामंडन करने के लिये साहित्य का उपयोग किया। उनके कामों ने विदेषी वर्चस्व का विरोध करने के साथ–साथ आंतरिक सामाजिक सुधारों की ज़रूरत को भी संबोधित किया।

तमिल कवि सुब्रमण्य भारती (1882–1921) ने देषभक्ति को सामाजिक सुधार के मुद्दों से जोड़ा। उन्होंने राश्ट्रीय एकता और अस्पष्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए तमिल कविता में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया।

ऐतिहासिक उपन्यास राश्ट्रवाद को बढ़ावा देने का एक लोकप्रिय माध्यम थे। हरि नारायण आप्टे (मराठी) और बंकिम चंद्र चटर्जी (बंगाली) जैसे लेखकों ने भारतीयों को उनके गौरवषाली अतीत की स्मषति दिलाने तथा ब्रिटिष षासन के विरुद्ध संघर्श को प्रेरित करने के लिये लेखन किया। इन उपन्यासों ने राश्ट्र के प्रति दायित्व की भावना को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये संघर्श का आह्वान किया।

पुनरुत्थानवाद और सामाजिक सुधारः

• भारतीय भाशाओं के षुरुआती उपन्यासों, जैसे एच. कैथरीन मुलेंस द्वारा रचित फुलमनी ओ करुणार बिबरन (1852, बंगाली), प्रताप मुदलियार चरित्रम (1879, तमिल) और श्री रंगराज चरित्र (1872, तेलुगु) ने अस्पृष्यता, जाति आधारित भेदभाव तथा विधवा पुनर्विवाह के निशेध जैसी सामाजिक बुराइयों को संबोधित किया।

• इन लेखकों ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के पुनरुद्धार का समर्थन किया, साथ ही सुधार के लिये ज़ोर दिया और रूढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती दी।

भारत: एक परिदृश्य - सन्दर्भ सूची

1. त्रिपाठी, रामशरण (2017). *भारत का भूगोल*. दिल्ली: नेशनल पब्लि शंग हाउस।

2. संह, सुरेश (2019). *भारतीय संस्कृति और वरासत*. वाराणसी: संस्कृति प्रकाशन।

3. Government of India (2021). *भारत 2021 - एक वा र्षक रिपोर्ट*. सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

4. https://knowindia.gov.in – भारत सरकार की आ धकारिक जानकारी हेतु।

5. Wikipedia contributors. "India." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Accessed April 2025.

MATS UNIVERSITY

MATS CENTER FOR OPEN & DISTANCE EDUCATION

UNIVERSITY CAMPUS : Aarang Kharora Highway, Aarang, Raipur, CG, 493 441

RAIPUR CAMPUS: MATS Tower, Pandri, Raipur, CG, 492 002

T : 0771 4078994, 95, 96, 98 M : 9109951184, 9755199381 Toll Free : 1800 123 819999

eMail : admissions@matsuniversity.ac.in Website : www.matsodl.com